महानगर नई दिल्ली रविवार 18 अगस्त, 2024, रु. 6.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

कर्नाटक में एमयूडीए भूमि आबंटन मामले में राज्यपाल का निर्णय

सिद्धरमैया पर मुकदमे को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की ओर से भूमि आबंटन में हुए कथित घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की शनिवार को मंजूरी दे दी। राज्यपाल ने कहा कि मामले की तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच कराना बहुत जरूरी है। वे प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि आरोप और मामले से जुड़ी संबंधित सामग्री अपराध किए जाने का खुलासा करती हैं।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से संबंधित राज्यपाल के फैसले को संविधान व कानून के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस पर

राज्यपाल का फैसला संविधान व कानून के खिलाफ, मैं इस्तीफा क्यों दूं? इसे मैं चुनौती दूंगा : सिद्धरमैया

राज्यपाल ने कहा, मामले की वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच कराना बहुत जरूरी है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए।

अदालत में सवाल उठाया जाएगा और वे कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे। सिद्धरमैया ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि यह प्रदेश की निर्वाचित सरकार को हटाने की एक साजिश है। भाजपा ने दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों में ऐसा किया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा राज्यपालों के जरिए राज्यों में गैर भाजपा सरकारों पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भाजपा की मांग पर सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जिससे उन्हें त्यागपत्र देना पड़े।

राज्यपाल ने प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए उस निर्णय को अतार्किक करार दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने व मुकदमा चलाने की मंजूरी की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने की सलाह दी गई थी। राज्यपाल ने अपने निर्णय में कहा, याचिका के साथ आरोपों के समर्थन में सामग्री, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के उत्तर, राज्य मंत्रिमंडल की सलाह और कानूनी राय की समीक्षा करने पर मुझे लगता है कि एक ही तथ्य के संदर्भ में दो अलग-अलग पक्ष हैं। मगर, यह बहुत जरूरी है कि मामले की गहन व निष्पक्ष जांच की जाए।

राज्यपाल ने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि टीजे अब्राहम, प्रदीप कुमार एसपी और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए रखा प्रस्ताव

खाद्य, ऊर्जा संकट से एकजुट होकर निपटें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'ग्लोबल साउथ' के लिए मानव-केंद्रित व्यापक वैश्विक विकास समझौता करने का प्रस्ताव रखा, ताकि भारत की विकास यात्रा और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यापार, प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण और रियायती वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाया जा सके। मोदी ने कहा कि विकास वित्त के नाम पर जरूरतमंद देशों पर कर्ज का बोझ नहीं डाला जाएगा।

बेजिंग की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआइ) के तहत कई देशों के चीन के 'कर्ज जाल' में फंसने की चिंताओं के बीच उन्होंने भारत की ओर से डिजिटल रूप से आयोजित तीसरे 'वायस आफ ग्लोबल साउथ' सम्मेलन में 'काम्पैक्ट' (वैश्विक विकास समझौते) की घोषणा की। मोदी ने दुनियाभर में अनिश्चितताओं के परिणामों पर चिंता जताते हुए 'ग्लोबल साउथ' के देशों से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट एवं आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का आ''ान किया। उन्होंने आपसी

बेजिंग की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के तहत कई देशों के चीन के 'कर्ज जाल' में फंसने की चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से डिजिटल रूप से आयोजित तीसरे 'वायस आफ ग्लोबल साउथ' सम्मेलन में 'काम्पैक्ट' (वैश्विक विकास समझौते) की घोषणा की।

व्यापार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'ग्लोबल साउथ' या विकासशील देशों के साथ अपनी क्षमताओं को साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास समझौता 'ग्लोबल साउथ' के देशों द्वारा निर्धारित बाकी पेज 8 पर

केंद्र सरकार करेगी विलंबित प्रवेश प्रक्रिया से 45 पदों पर भर्ती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों में विलंबित प्रवेश प्रक्रिया (लेटरल एंट्री) से संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त करेगी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया।

खरगे ने कहा कि सरकार ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कम से कम 45 पद 'लेटरल एंट्री' के जरिए भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी,एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण है?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र में 'लेटरल एंट्री' के माध्यम से भर्ती अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण से दूर रखने की सरकार की साजिश है।

आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) - और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी होते हैं।

-पूरी खबर पेज 8

'विजेता' विनेश का दिल्ली से हरियाणा के रास्ते भव्य स्वागत

महिला पहलवान ने कहा, पूरे देश का आभार व्यक्त करती हूं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के पचास किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बावजूद अयोग्य ठहराने जाने के बाद भारत की पहलवान विनेश फोगाट का शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।

पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के अलावा पंचायत नेता भी विनेश का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे थे। विनेश का स्वागत फूलों की माला और नोटों से बनी माला के साथ किया गया। उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा विनेश के साथ थे और उन्होंने विनेश को मिठाई खिलाई। विनेश ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरे देश का आभार व्यक्त करती हूं।

इसके बाद यह विशाल काफिला विनेश के साथ हरियाणा में उनके गांव बलाली रवाना हुआ। पूरे रास्ते में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे और इस पहलवान ने भी उनका आभार व्यक्त किया। हुड्डा ने विनेश को 'विजय का प्रतीक' गदा भेंट की, जिसे देखकर विनेश भावुक हो गईं और उनके पति सोमवीर ने उन्हें सांत्वना दी।

विनेश का काफिला बलाली पहुंचने से पहले धनकोट, बादली, जहाजगढ़, लोहारवाड़ा बाकी पेज 8 पर

पेरिस से लौटीं पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर।

पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, वे भले ही पदक हासिल नहीं कर पाईं लेकिन हमारे लिए वे चैंपियन हैं।

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने 'एक्स' पर लिखा, हमारी नजर में आप पहले भी विजेता रही हैं और भविष्य में भी विजेता रहेंगी।

तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे स्वर्ण पदक नहीं दिया, लेकिन यहां के लोगों से मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है, वह 1000 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने से भी ज्यादा है।
-विनेश फोगाट

कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास

साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतरे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के कम से कम 20 डिब्बे कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात पटरी से उतर गए। हालांकि, इस हादसे में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस (वाराणसी-अमदावाद) का इंजन शुक्रवार देर रात दो बजकर 35 मिनट पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराकर पटरी से उतर गया। तेजी से टकराने के निशान देखे गए हैं। साक्ष्य सुरक्षित हैं। आइबी और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस पर काम कर रहे हैं। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई।

हादसे के बाद रेलवे ने यात्रियों और उनके परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उत्तर-मध्य रेलवे (एनसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह हादसा देर रात करीब ढाई बजे हुआ। उन्होंने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे कानपुर

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन शुक्रवार देर रात दो बजकर 35 मिनट पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराकर पटरी से उतर गया।

और भीमसेन रेलवे स्टेशन के बीच पटरी से उतर बाकी पेज 8 पर

अमेरिकी अदालत से राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

अमेरिका की एक अदालत ने मुंबई में 2008 हुए भीषण आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के आरोपी एवं पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

अमेरिका की नाइंथ सर्किट संबंधित अपीलीय अदालत ने 15 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में कहा, '(भारत अमेरिका प्रत्यर्पण) संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है।' राणा (63) ने

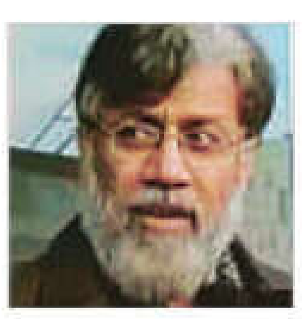

अमेरिका की नाइंथ सर्किट संबंधित अपीलीय अदालत ने 15 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में कहा, '(भारत अमेरिका प्रत्यर्पण) संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है।'

कैलिफोर्निया में अमेरिकी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ बाकी पेज 8 पर

हरियाणा में जुआ-सट्टेबाजी पर सात साल की सजा

सरकार लेकर आई अध्यादेश, चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेजेगी

चंडीगढ़, 17 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा में अब क्रिकेट मैचों पर फिक्सिंग, जुआ और सट्टेबाजी पर सात साल की सजा होगी। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार इस संबंध में एक अध्यादेश लेकर आई है।

इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के साथ मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को भेजने का फैसला किया गया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तिथि घोषित करने से पहले भी राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की थीं।अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि हरियाणा में जुआ खेलना अथवा किसी मैच

पेज 8

मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में सरकार ने स्वीकार किए कई प्रस्ताव

पर सट्टा लगाना संज्ञेय अपराध होगा। हरियाणा में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह की सट्टेबाजी में शामिल होता है अथवा कोई 'मैच फिक्सिंग' करने का दोषी पाया जाता है सात साल की सजा और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार पांच अध्यादेश पहले ही ला चुकी है, जिन पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी विधानसभा में मंजूर नहीं कराया जा सका है। जो पांच अध्यादेश स्वीकृत किए हैं, उनमें प्रदेश में संविदा (कांट्रेक्ट) आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा में सुरक्षा प्रदान करने को लेकर अहम अध्यादेश शामिल है। प्रदेश के नगर निकायों (नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका समितियों) और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के बारे में तीन अध्यादेश हैं। पांचवां अध्यादेश हरियाणा शामलात (साझा) भूमि विनियमन (संशोधन) से जुड़ा है।

जनसत्ता प्रश्नकाल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खत्म होगा तानाशाही का माहौल

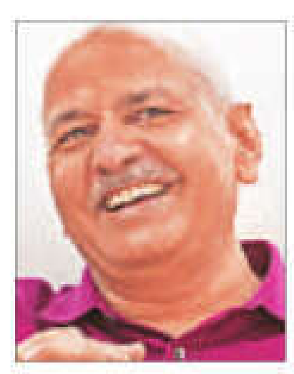

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि शराब घोटाला भाजपा की लिखी मनोहर कहानी है जो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से लिखी गई। पेज 7

अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना प्रांत में एक किशोर ने एक स्टोर में लूटपाट करने के बाद भारतीय मूल के 36 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

'सैलिसबरी पोस्ट' की रपट के अनुसार 2580 एअरपोर्ट रोड स्थित 'टोबैको हाउस स्टोर' के मालिक मेनांक पटेल की मंगलवार सुबह गोलीबारी में मौत हो गई। रोवन काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार इस अपराध के लिए एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।

-पूरी खबर पेज 12

न्यायेतर हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पर जोर | संयुक्त राष्ट्र की रपट | प्रतिशोध में की गई हत्याओं की संख्या अभी निर्धारित की जानी बाकी

बांग्लादेश में हुई हिंसा में जा चुकी है 650 लोगों की जान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (यूएनएचसीआर) ने एक प्रारंभिक रपट में कहा है कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अशांति के दौरान हिंसक घटनाओं में लगभग 650 लोग मारे गए। इस रपट में न्यायेतर हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और लोगों को हिरासत में लिए जाने की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का सुझाव दिया गया है।

'बांग्लादेश में हालिया विरोध प्रदर्शन और अशांति का प्रारंभिक विश्लेषण' शीर्षक वाली 10-पृष्ठ की रपट के अनुसार, 16 जुलाई से चार अगस्त के बीच करीब 400 मौत हुईं, वहीं पांच और छह अगस्त के बीच विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद लगभग 250 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनों के सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप लेने के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मीडिया और आंदोलन समूहों द्वारा उपलब्ध सार्वजनिक रपट में दावा किया गया है कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच, भेदभाव-विरोधी छात्र प्रदर्शनों के बाद हिंसा की घटनाओं में 600 से अधिक लोग मारे गए।

जिनेवा में शुक्रवार को जारी की गई रपट में कहा गया है कि उस समय से प्रतिशोध में की गई हत्याओं की संख्या अभी निर्धारित की जानी बाकी हैं। यूएनएचसीआर की रपट में कहा गया है कि सात से 11 अगस्त के बीच कई मौत हुईं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी हिंसा में लगी चोटों के कारण चिकित्सा उपचार के दौरान मौत हो गई। रपट में कहा गया है कि मरने वालों में प्रदर्शनकारी, राहगीर, पत्रकार और सुरक्षा बल के कई जवान शामिल थे। इसमें कहा गया है कि हजारों प्रदर्शनकारी और राहगीर घायल हुए तथा अस्पताल अत्यधिक मरीजों से भरे हुए हैं।

फाइल फोटो

संरा के मुताबिक, 'ऐसे मजबूत संकेत हैं कि सुरक्षा बलों ने हालात से निपटने के लिए अनावश्यक और अत्यधिक बल का प्रयोग किया।

रपट में कहा गया है कि मरने वालों की संख्या संभवतः कम आंकी गई है, क्योंकि कर्फ्यू और इंटरनेट बंद होने के कारण आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण सूचना संग्रह में बाधा आ रही है। रपट में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों ने अस्पतालों को मारे गए और घायल हुए लोगों का विवरण देने से रोका। रपट में कहा गया है, 'ऐसे मजबूत संकेत हैं कि सुरक्षा बलों ने हालात से निपटने के लिए अनावश्यक और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। इसलिए इन सबकी स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।'

रपट के अनुसार, 'कथित उल्लंघनों की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है, जिनमें न्यायेतर हत्याएं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत, जबरन गायब कर दिया जाना, यातना और दुर्व्यवहार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध शामिल हैं।' रपट में कहा गया है कि पांच अगस्त को हसीना के इस्तीफे के बाद लूटपाट, आगजनी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों पर हमले के साथ ही पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों और पुलिस के खिलाफ प्रतिशोधी हमलों और हत्याओं की भी खबरें आईं।

संयुक्त राष्ट्र की रपट में कानून और व्यवस्था को तेजी से बहाल करने के महत्व पर जोर के साथ ही जानमाल की हानि, हिंसा और प्रतिशोध की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Anie Thakuarchanm R/o. 11-C, pocket B-2, Mayur vihar phase 3, Delhi 110096 have changed my name to Anie Michael Thankachan for all future purposes 0040744627-1

I, Alok Kumar S/o Shri Yatendra R/o 1038, Upper Ground floor, Shora Kothi, Subzi Mandi, Delhi 110007 have changed the name of my Daughter from Aadhya Bhardwaj to Khrisha Bhardwaj for all purpose. 0070919240-1

I Roshan Singh S/o Anand Singh Rawat R/o C-23, Vinoba Enclave, Jharoda Kalan, South West Delhi-110072, have changed my name to Roshan Singh Rawat 0070919231-1

I Renu Minocha W/o Girish Kumar Manocha R/o BE-150, Street-no-5 Hari Nagar,New Delhi-110064 have changed my name to Renu Manocha. 0040744680-3

I Raju S/o Mohd. Nooruddin R/o H-89, Hakkani Masjid, Shaeed Nagar, Chikamberpur, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201006, have changed my name to Mohd. Rajuddin 0070919200-1

I Payal D/o Sushil Kumar Sharma R/o B-106 Rishi Nagar Rani Bagh Delhi 110034 has changed my name from Payal to Payal Sharma permanently 0040744629-1

I Nitesh S/o Naresh Soni R/o House No-54, 3rd Floor, Gali No-1, Kewal Park Extn., Azadpur, Delhi-110033, have changed my name to Nitesh Verma for all purposes 0070919229-1

I Mohammad Akif Husain S/O, Ateeq Ahmad R/o 115, Shekh Sarain Anshik, Khairabad, District Sitapur-261131 have changed my name to Mohammad Akif. 0040744368-2

I JC-671851 N sub(SKT) Shyam Yadav. Presently residing at 1/212 Ratan Khand , Sharda Nagar Lucknow- 226012 (Uttar Pradesh) have changed the name of my Daughter from Shreya yadav to Shreeya yadav vide affidavit dated 14/Aug/2024 before collectorate court Lucknow (U.P) for all future references. 0040744391-2

I Bhairav Datt Upadhay S/o Gusai Dutt Upadhyay. R/O. 541/542, PanditColony, Sarfabad, Sec-73, Noida-201301 declared that I have changed myname Bhairav Datt Upadhay to Bhairav Datt for all purposes in Future. 0040744639-1

I ARMY NO- 15432989P, NK SANJIT KUMAR MOHANTA, UNIT -HQ AMC C&C, RESIDENT OF VILLAGE -SANSIMILA, I HAVE CHANGE MY FATHER NAME DILLIP KUMAR MOHANTA TO DILLIP KUMAR MAHANTA IN MY SERVICE RECORD, IN FUTURE MY FATHER NAME KNOWN AS DILLIP KUMAR MAHANTA. 0060118536-2

I AHMED SAHID NOOR AHMED S/O NOOR AHMED R/O 2345 KATRA ALAM BEG BALLIMARAN DELHI-110006, have changed my name to AHMED SAEED Permanently. 0070919187-1

I,hitherto known as SURESH KUMAR,S/o,UDAY SINGH,R/O,Old State-Bank,124,Prajapat moholla Naya-Vans Road,Village,Khera Khurd,North West-Delhi,Delhi-110082,have changed my name TO SURESH. 0040744653-5

I,Vinita Singh W/o Rakesh Roshan Singh R/o Vill. Chhichha, Post-Chhichha Teh-Bindki, Distt. Fatehpur State,Uttar Pradesh-212635, have changed my date of birth from 10-07-1984 to 10-07-1983 due to civil documents, vide affadavit no BV 377483. 0040744648-7

I,Shehzan Ali,S/o-Irshad Ali,R/o-8153,Gali No.5,Chimni Mill,Bara Hindu Rao, Delhi-110006,have changed my name to Mohd Shehzan,for future. 0040744673-2

I, Athulya Nidhin, legally wedded spouse of No. 15419417P, Rank-Hav, Name-Nidhin-K, Unit-331 Field Hospital, C/o 56-APO, presently R/o Village-Keezhallur, PO-keezhallur, Teh.-Thalassery, P/S-Mattannur, Distt.-Kannur, Kerala-670612 have changed my name from ATHULYA NIDHIN to ATHULYA PRASANNAN vide Affidavit No. IN-UP44824173829147W dated 12-08-2024 0060118529-17

I, Army No. 6947684N, Rank-NK, Name-JAIPRAKASH, Unit-128 ARMD WKSP, C/o 56-APO, presently R/o Village-Bajhan, PO-Bajhan, Teh.-Sadar, P/S-Antu, Distt.-Pratapgarh, Uttar Pradesh-230503 have changed my Daughter's name from SAKSHI DEVI to SAKSHI VERMA vide Affidavit No. IN-UP25734783983664W dated 26/07/2024 0060118529-12

I, Ankita Singh Bhadoriya W/o Pavan Pratap Singh Bhadoriya R/o A-203, Galaxy Royale Keshav Kunj, Gaur City-2, Greater Noida West, UP-201009 have changed my name to ANKITA BHADORIYA for all purposes. 0070919232-1

I, Army No. 6947684N, Rank-NK, Name-JAIPRAKASH, Unit-128 ARMD WKSP, C/o 56-APO, presently R/o Village-Bajhan, PO-Bajhan, Teh.-Sadar, P/S-Antu, Distt.-Pratapgarh, Uttar Pradesh-230503 have changed my Daughter's name from KHUSHBOO to KHUSHBOO VERMA vide Affidavit No. IN-UP25736290703101W dated 26/07/2024 0060118529-13

I, Army No. 15577755M, Rank-NK, Name-Ramraj Pal, Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Village-Laudhiya Bujurg PO-Ragauli, Teh.-Karwi, P/S-Karwi, Distt.-Chitrakoot, Uttar Pradesh-210205 have changed my Son's name from BHUPENDRA SINGH to BHUPENDRA SINGH PAL vide Affidavit No. IN-UP44831832424662W dated 12-08-2024 0060118529-14

I, Archana, legally wedded spouse of No. 15577755M, Rank-NK, Name-Ramraj Pal, Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Village-Laudhiya Bujurg PO-Ragauli, Teh.-Karwi, P/S-Karwi, Distt.-Chitrakoot, Uttar Pradesh-210205 have changed my name from ARCHANA to ARCHANA DEVI vide Affidavit No. IN-UP44833308576923W dated 12-08-2024 0060118529-16

I Vageesha D/o Rajeev Lochan R/o 243, 1st Floor, AGCR Enclave, Karkardooma, East Delhi, Delhi -110092 have changed my name to Vageesha Bhatnagar for all purposes. 0040744632-1

I,hitherto known as Noopur Mittal,D/o-Vipin Kumar,W/o-Deepak R/o-F-70,Ground Floor,Kalkaji, Delhi-110019, have changed my name and shall hereafter be known as Nupur Mittal. 0040744673-9

I,hitherto known as KAUKESH KUMARI,W/o BALRAJ,R/o-House no-296,village-Rewdi Rewda,Muradnagar,PO:Murad nagar,DIST:Ghaziabad,Uttar Pradesh-201206,have changed my name and shall hereafter be known as LOKESH. 0040744653-6

I,Yatharth Ladna,S/O Janardan,R/O Flat.No.39,2nd-Floor, Dda-Sfs Type-2,Flats, Pocket-3,Pragati Apartment, Paschim Vihar,Delhi-110063, Have Changed My Name,From Yatharth To Yatharth Ladna, For All,Future Purposes. 0040744653-10

I,Vibha saxena,W/O Sanjay Subash saxena,R/O Plot-38A/2,Swami Nandji-Colony Chetan Vihar,Gopal-Nagar Ext.Phase-1,Najafgarh,South West,New Delhi-110043,have Changed my name to Vibha Kumari. 0040744684-2

I,Vasdev Tanwar,S/O Rakam pal R/O,H.no-223,mange ram-park,pooth klan e-block,budh-vihar delhi-110086,Have Change my name from Vasdev Tanwar to Vasdev. 0040744648-5

I,USHA BHARTI D/O KAMTA PRASAD R/O,D-11 Surya-Vihar Gali-No-2 East Sadatpur Karawal Nagar Musalmanan Dayalpur,North East-Delhi-110094 changed my-name to USHA. 0040744680-5

I,TAMANNA S/O NAVI HASSAN,R/O 243-A CHURIA MOHALLA, MADANPUR KHADAR,SARITA VIHAR,DELHI-110076 HAVE CHANGED MY NAME TO MANNAT KHAN. 0040744653-2

I,Swaroop Ravi S/o Shri P. Raveendran,R/o.Flat-No.41, 4th-Floor,SVG Heights,Gate No.6,Informal Sector-P3, Greater-Noida,Uttar-Pradesh-201308,in my Aadhar card,Pan Card and Driving Licence my father's name is wrongly written as Raveendran instead of P. Raveendran,he will be known as P. Raveendran in future. 0040744644-3

I,Shampy w/o Manohar Singh r/o B-478 Resettlement Colony, Khayala Delhi have changed my name to Shampy Kaur. 0040744667-1

I,Santosh Sah,S/O Ram Sarup Shah,Permanente R/o Tariyani,Near Panchayat Bhawan, Tariani, Darbhanga, Bihar-847102,Present,Address-PVT-351,KH.??.317/214, 1st-Floor gali.no.10,Village Mukandpur ph-1,New Delhi-110042,declare that name of mine and my-father has been wrongly-written as SANTOSH KUMAR SHAU and SAWROOP SHAU in my Pan-Card No.BXSPS7963J.The actual-name of mine and my-father are Santosh Sah and Ram Sarup Shah. 0040744653-4

I,Sanjeev Kumar Talwar S/o Madan Lal Talwar r/o 20B/96B Tilak Nagar Delhi have changed my name to Sanjeev Talwar. 0040744667-2

I,Sanjay Kumar S/o Someshwar Dutt Sachdeva R/o-9/138, Block 9,Geeta Colony, Delhi-110031 have chanded my name to Sanjay Sachdeva. 0040744667-4

I,Saeed Ansari S/o Abdul Hamid R/o 827,Katra Hiddu Farash Khana Delhi-110006, have changed my name to Mohd Saeed permanently. 0040744648-3

I, Army No. JC-671123N, Rank-Sub/Clk (SD), Name-Satish Kumar, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO, presently R/o Village-Dariyapur, PO-Dariyapur, P/S-Sadar Bazar, Teh.-Jhansi, Distt.-Jhansi, Uttar Pradesh-284001 have changed my Daughter's name from SAPNA to SAPNA KUMARI vide Affidavit No. IN-UP07715606898728W dated 10-07-2024 0060118529-19

I, Atul Jagannath Pandey S/o Jagannath R Pandey R/o FLAT NO T 12, /203 MANDAKINI ENCLAVE APARTMENT, AWAD VIHAR YOJNA NEAR MEDANATA HOSPITAL, DIST: Lucknow, declare that in my Minor son's (Neev Atul Pandey) his some documents his name is wrongly mentioned as Neev Pandey but his correct and actual name is Neev Atul Pandey for all future purposes. 0060118528-6

I,SUNIL KUMAR VED,S/O-RAJAY SINGH,R/O-319.SETOR-2,R.K PURAM,SECTOR-5, SOUTH, WEST,DELHI-110022,declare that name of mine and mymi-nor son has been wrongly-written as SUNIL KUMAR and VYOM VEDH in my-minor son VYOM VAID aged-15-years in his 10th-class educational-documents the actual-name of mine and my minor son are SUNIL KUMAR VED and VYOM VAID. 0040744648-9

I,SHYAMWATI W/O GANESH SINGH,R/O-55 SECTOR-5,RADHEY SHYAM PARK, RAJENDRA NAGAR,SAHIBABAD,GHAZIABAD,HAVE CHANGED MY NAME TO RANI SINGH,FOR FUTURE PURPOSES. 0040744657-3

I,SHAILENDRA SINGH,S/o-YOGENDRA SINGH,permanent, R/o-24,Ghatgara, Ghatgara, Dhar Madhya Pradesh-454660,present,R/o-KH,no, 1000 House.no,01 Landmark Hanuman-chowk Jagatpur,Ext delhi-110084,declare that name of mine and my father have been wrongly written as SHAILENDRA CHOUHAN and YOGENDRA CHOUHAN in my 10th-class marks-sheet and certificate.The actual-name of mine and my father are SHAILENDRA SINGH and YOGENDRA SINGH, 0040744648-10

I,SEEMA SINGH W/o AKHILESH KUMAR SINGH,R/o VPO-Barauli,Piro,Bhojpur,Bihar have changed my name from SEEMA SINGH to SIMA DEVI vide affidavit no.11482 dated 04/07/2024 before public notary Buxar area. 0040744644-2

I,SANJEEVANI MISHRA D/O HIMANSHU SHEKHAR MISHRA, R/O Tower H-101 BPTP Freedom-Park Life,Plot-B Sec-57,Chowk Tigra(91)Smaspur Gurgaon,Haryana-122003 changed my-name to SANJEEVANI JHA. 0040744680-6

I,SADDAM HUSAIN S/O SAM SHUDDIN R/O,H.No-03 Gali-No-02 Budh Vihar Behrampur Ghaziabad Uttar Pradesh-201009 changed my name to RYAN MANSURI. 0040744680-4

I,S INDUMATHI W/o SUSIVANDHIRAN G,R/o.-S 2/3,AF Stn,Issapur,New-Delhi have changed my name from S INDUMATHI to INDUMATHI S vide affidavit no.INDL30633635318984W dated 04/08/2024 before public notary Delhi area. 0040744644-1

I,Rakesh Roshan Singh S/o Samar Singh,R/o Vill. Chhichha. Post-Chhichha Teh-Bindki, Distt. Fatehpur State Uttar Pradesh-212635 have changed my minor Daughter's name Aaradhya Singh to Aradhya Singh vide affadavit no BV 377485.Due to civil documents. 0040744648-6

I,Rakesh Roshan Singh S/o Samar Singh R/o Vill. Chhichha. Post-Chhichha Teh-Bindki, Distt. Fatehpur State Uttar Pradesh-212635,have changed my minor Daughter's Name Urvasi Singh to Urvashi Singh vide affadavit no BV 377484.Due to civil documents. 0040744648-8

I,Rajesh Kumar Thakur,S/O Prem Chandra Thakur,R/O H.NO.18-19,Third Floor,Pocket-3, Sector-25,Rohini,Delhi,have changed my name to Rajesh Thakur Permanently. 0040744653-1

I,Pradeep Pathor,S/o-Jagdeesh Pathor,R/o-8,Servant Qtrs. Jodhpur,Hostel Pandara Park,Pandora Road,Lodhi Road,Delhi-110003,have changed the name of my-minor son from Mayank to Mayank Pathor. 0040744657-5

I,Pradeep Pathor,S/o-Jagdeesh Pathor,R/o-8 Servant-Qtrs. ,Jodhpur,Hostel-Pandara Park,Pandora-Road,Lodhi Road,Delhi-110003,have changed the name of my-minor son,from Rishabh to Rishabh Pathor. 0040744657-8

I,Mohd Usman,S/o-Deen Mohammad,R/o-Ward No.1,Jatav Mohalla,Ladamka Bharatpur, Rajasthan-321204,have changed my name to Mohammad Usman,for future. 0040744673-4

I,Mohd Simraan,S/o-Irshad Ali,R/o-8153,Gali No.5,Chimni Mill,Bara Hindu Rao, Delhi-110006,have changed my name to Muhammad Yusuf,for future. 0040744673-1

I,Mohd Arshad,S/o-Rafat Husain,R/o-1120,Kishan Ganj,Gali Neem Wali,Azad Market Delhi-110006,have changed my name to Mohammad Arshad,for future. 0040744673-3

I, Arvind Pratap Bhanu S/o R. N. Sharma R/o 10063, ATS HappyTrails, Sector-10, Greater Noida West, Gautam Buddha Nagar, UP-203207 have changed my name to ARVIND P. BHANU for all purposes. 0070919233-1

I, Jitin Kumar,S/o Vijender Kumar,R/o-E-199,Karampura, Delhi,have changed my son's name from Yuvan Bansal,to Yuvaan Bansal,for all purposes. 0040744673-5

I,Janardan R/O-Flat.No.39,2nd-Floor, DDA-SFS Type-2,Flats Pocket-3,Pragati-Apartment Paschim-Vihar,Delhi-110063, Have Changed My Minor Daughter's Name From Yashashvi To Yashasvi Ladna,For All Future Purposes. 0040744653-7

I,Harshita,D/o-Tarun Kumar Nirwan,R/o-A-105,Ground floor,Chattarpur Enclave, phase-2,New Delhi-110074, have changed my name from Harshita to Harshita Nirwan all future purposes. 0040744661-2

I,Harichand Dewan S/o Mangu Ram Diwan R/o B-452-E, Graund Floor,Gali N-5,Majlish Park, Azadpur,N.S. Mandi Model Town,North West Delhi, Delhi-110033 have changed my name to Hari Chand Diwan. 0040744657-2

I,Gunjan Verma S/o Raj Bahadur Verma R/o,Flat-No-826, Dakshinayan-Apartment, Plot-No-19, Sector-4,Dwarka Delhi-110078,have changed my name to Gunjan K Verma for-all-Purpose. 0040744680-1

I,GOPAL KRISHNA SANDILYA S/O SHARAD SHARMA R/O H.NO 41,GALI.NO.10, SAROJINI PARK,SHASTRI NAGAR,DELHI-110031,Have Changed My Name to GOPAL KRISHNA, Permanently. 0040744657-9

I,GAYATRI KUMARI,W/O HEMESH KUMAR R/O S-664/C, Gali.No-7,School Block, Shakarpur,New Delhi-110092, have changed my name from GAYTRI to GAYATRI KUMARI for all future purposes. 0040744653-3

I,FARMAN KHAN,S/O SHABBIR AHMED,R/O,G-73,ABUL-FAZAL ENCLAVE-1, JAMIANAGAR, NEW DELHI-110025,IN MY PASSPORT MY-FATHER NAME BY MISTAKE CHANGED SHABBIR KHAN CORRECT-NAME IS SHABBIR AHMED. 0040744648-4

I,Durgawati W/O Devendra Kumar Verma,R/o 3/6, Saraswati Camp,Sector-3, R.K. Puram, DIST:South West Delhi, Delhi-110022,have changed my name to Durgawati Verma,for all future purposes. 0040744648-1

I,Dheeraj Dewan S/o Hari Chand Diwan R/o B-452-E, Graund Floor, Gali N-5,Majlish Park, Azadpur, North West Delhi,Delhi-110033 have changed my name to Dheeraj Diwan. 0040744657-1

I,Devender Kumar,S/O Ram Narayan Verma,R/o-3/6, Saraswati Camp,Sector-3, R.K.Puram, South West Delhi, Delhi-110022,have changed my name to Devendra Kumar Verma,for all future purposes. 0040744648-2

I,Bhupesh Rawat,S/o Rajendar Singh Rawat,R/o Flat.No.D-302,2nd-Floor,MIG Aditya Apartments Unione Residency Near-Green Ghaziabad,U.P.201009,have changed my name to Bhupesh Singh. 0040744684-1

I,Atul Samanta S/o Debendranath Samanta R/o-H.No.5, Gali No.6, Block-5,Geeta Colony,Delhi-110031,have changed my name to Atul Chandra Samanta for all purposes. 0040744667-3

I,Nabela Nasar,D/O-Abu Nasar Abbasi,R/O H.N.750/3,T-15 Road, T-Block, Nathupur,DLF Phase-3,Gurgaon, have changed my name to Nabeela Nasar for all purposes. 0040744661-1

I,Arun Kumar,S/o Surendra Singh,R/o V-7 Himalaya Tanishq Raj Nagar Extension Ghaziabad-201017,Have Changed My Name To Arun Lohaan. 0040744657-4

I, Yash Kanojia S/O Sh.Rajkumar R/O-C-16C, DSIDC Flats,Paschim Puri,West Delhi-110063 declare that my name is wrongly mentioned-as Yash in my passport instead-of Yash Kanojia. Yash Kanojia and Yash are one,and the same person's name. 0040744595-5

I, Sneha Atul Pandey W/o Atul Jagannath Pandey R/o FLAT NO T 12, /203 MANDAKINI ENCLAVE APARTMENT, AWAD VIHAR YOJNA NEAR MEDANATA HOSPITAL, DIST: Lucknow, declare that in some documents my name is wrongly mentioned as Sneha Verma but my correct and actual name is Sneha Atul Pandey for all future purposes, and DOB From 12-07-1988 to 19-09-1988. 0060118528-5

I, Shalan Lalaso Mahadik, legally mother of No. 15673942H, Rank-Hav, Name-Mahadik Santosh Lalaso, Unit-31 ADSR (A), C/o 56-APO, presently. R/o Village-Nevari, PO-Nevari, Teh.-Kadegaon, Distt.-Sangli, Maharashtra-415311 have changed my name from MAHADIK SHALAN LALASO to SHALAN LALASO MAHADIK and his DOB from 01/07/1959 to 01/01/1952 vide Affidavit No. IN-UP15801971230684W dated 18/07/2024 0060118529-11

I, GHAYAS AHMAD KHAN S/o Mukhtar Ahmad R/o A-10, 3rd Floor, D.D.A Colony, New Jafrabad, Shahdara, Delhi-110032, Have changed my name to GHAYAS AHMED. 0040744690-1

I, Dinesh,S/o-Rajkapoor Singh, R/o-225,Pana Harsuka, Barwala, Delhi-110039,have changed my minor son's name,from Abhimanyu,to Abhimanyu Dabas 0040744673-8

मैं, रिमझिम सिंह, पत्नी आर्मी नं0 7781061H, हवलदार अखिलेश सिंह निवासिनी– ग्राम– भौनी का पुरवा, पोस्ट–गोपालपुर, जिला–रायबरेली, राज्य– उत्तर प्रदेश, पिन–229124 दिनांक–16.08.2024 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथ पत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम रिमझिम सिंह से बदलवाकर मंजू सिंह करवा ली हूँ।

मैं, नानन बाई चौहान माता आर्मी नं0 15714278L, लांस नायक प्रेमलाल चौहान, निवासिनी ग्राम मुंडघुसरी, पोस्ट–बिजाटोला, जिला–बालाघाट, राज्य–मध्य प्रदेश, पिन– 481051 दिनांक–09.08.2024 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथ पत्र देकर बेटे के आर्मी रिकार्ड में दर्ज गलत जन्मतिथि 09.10.1964 के स्थान पर अपनी सही जन्मतिथि 01.01.1968 करवा रही हूँ।

मैं, मोनोरंजन माझी पुत्र अनंता माझी, पिता आर्मी नं0 15450199H, हवलदार सान्तनु माझी, निवासी– ग्राम–नातुनग्राम (खुदीराम पल्ली), पोस्ट–मोरेपुकुर, जिला– हुगली, राज्य– पश्चिम बंगाल, पिन–712250 दिनांक–16.08.2024 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथ पत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम मोनोरंजन माझी से बदलवाकर मनोरंजन माझी करवा लिया हूँ।

I, Lalaso Bhau Mahadik, legally father of No. 15673942H, Rank-Hav, Name-Mahadik Santosh Lalaso, Unit-31 ADSR (A), C/o 56-APO, presently R/o Village-Nevari, PO-Nevari, Teh.-Kadegaon, Distt.-Sangli, Maharashtra-415311 have changed my name from LALASO to LALASO BHAU MAHADIK and DOB from 01/07/1951 to 01/03/1945 vide Affidavit No. IN-UP16108084817950W dated 19/07/2024 0060118529-10

I, Kuldeep Negi, Service No-14703949N, Rank-HAV, Present Address:RZ-36,Third Floor, T-Extn.,Vishwash Park, Uttam Nagar,New Delhi-110059, Confirm that in My,Service Record,My Mother and Father Name Has been Wrongly Written-as Della Devi & Murali Singh Negi instead Of Correct Names,as Dilla Devi & Murli Singh Negi Recpectively. 0040744595-4

I, Kamal Deep,S/o-Ravinder Singh,R/o-303 B,Pana Harnand,Barwala, Delhi-110039,have changed my minor son's name from Veer to Veer Dabas 0040744673-7

I, Girish Kuamr/Girish Kumar Minocha S/o Sukh Dayal Menocha R/o-BE-150, Street-No-5, Hari-Nagar New-Delhi-110064,have changed my-name to Girish Kumar Manocha. 0040744680-2

I, Atul Jagannath Pandey S/o Jagannath R Pandey R/o FLAT NO T 12, /203 MANDAKINI ENCLAVE APARTMENT, AWAD VIHAR YOJNA NEAR MEDANATA HOSPITAL, DIST: Lucknow, declare that in some documents my name is wrongly mentioned as Atul Pandey but my correct and actual name is Atul Jagannath Pandey for all future purposes. 0060118528-4

I, Army No. JC-671123N, Rank-Sub/Clk (SD), Name-Satish Kumar, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO, presently R/o Village-Dariyapur, PO-Dariyapur, P/S-Sadar Bazar, Teh.-Jhansi, Distt.-Jhansi, Uttar Pradesh-284001 have changed my Daughter's name from SHIVANI to SHIVANI KUMARI vide Affidavit No. IN-UP07714701796417W dated 10-07-2024 0060118529-18

I, Jitin Bansal,S/o Vijender Kumar,R/o-E-199, Karam pura, Delhi, have changed my name to Jitin Kumar,for all purposes. 0040744673-6

I am Asif Siddiqui son of late Mohd. Mustafa Siddiqui, R/O Nizampur Malhaur, Chinhat, Lucknow. My wife's full and correct name is Abida Khatoon. In the educational documents of my daughter Yasha Siddiqui, the name of Yasha Siddiqui's mother (my wife) is mentioned as Abida Siddiqui. The name of Yasha Siddiqui's mother (my wife) in the educational documents of my daughter Yasha Siddiqui should be changed to Abida Khatoon.

PUBLIC NOTICE

I, Parveen Kumar Gulati S/o Kamal Kishore Gulati R/o B-233, FF, Hari Nagar, Delhi-110064 have changed my name to PARVEEN GULATI

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुव्वकिलगण त्रिलोक चन्द उम्र करीब 70 वर्ष एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश उम्र करीब 61 वर्ष निवासीगण म० नं0 101, बाल्मीकि सदन, मंदिर मार्ग नई दिल्ली–110001 ने अपनी मर्जी से व सोच विचार करके तथा सेवा भावना न होने के कारण अपने पुत्र रोहित उम्र करीब 43 वर्ष व उसकी पत्नी श्रीमती ज्योति उम्र करीब 36 वर्ष से सदैव के लिए सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। मेरे मुव्वकिलगणों ने सम्बन्ध विच्छेद के साथ साथ उपरोक्त पुत्र रोहित व पुत्रवधू ज्योति को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से सदैव के लिए बेदखल कर दिया है और अब मेरे मुव्वकिलगण उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधू के किसी भी अच्छे बुरे कार्य के लिये भविष्य में जिम्मेदार नहीं होंगे।

हस्ता./–
(तरूण लाल) एडवोकेट
चेम्बर नं0 314, पटियाला हाउस कोर्ट्स
नई दिल्ली

चांदीपुरा विषाणु के संदिग्ध मरीज की मौत

इंदौर, 17 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक निजी अस्पताल में चांदीपुरा विषाणु के संदिग्ध मरीज की शनिवार को मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जांच रिपोर्ट में मरीज में इस विषाणु के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है।

खोया+पाया

Original property documents and chain of property bearing.no.186,situated at Khureji Khas,Delhi-110051,has been lost.finder contact:Mohd Asim S/o,Late Mohd Ilyas,R/o-186 Khureji-Khas Delhi-110051,Mobile-No.9911990931. 0040744680-7

PUBLIC NOTICE

I, LOVENEET KAUR DANG W/o RAMAN DEEP SINGH DANG R/o House No.-6, Road No.-69, Punjabi Bagh West, Delhi-110026 have changed my name LOVENEET KAUR as a given name and DANG as a surname permanently.

PUBLIC NOTICE

I, MOHD KAIS S/o MOHD HAROON QURASHI R/o House No.-6474, Gali ISHWARI PRASAD, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 have changed my name MOHAMMAD KAIS permanently.

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Seetaram @ Sita Ram S/o Late. Sh. Lakhan Lal and Smt. Gaytri Devi W/o Sh. Sita Ram both R/O Block-C, 12 ND, Himgiri Enclave, Shokeen Vihar, Nilothi, West, Delhi-110041, have disinherited/disowned their elder son Rahul Kohli from their properties/assets both movable & immovable and also have severed all their relations from their son Rahul Kohli due to his misbehavior, misconduct & quarrelsome & threatening nature. Henceforth, Whosoever deals with him shall do at their own risk, cost and responsibility, my clients shall not be responsible/liable for any acts or deeds/transactions or any dealing of their son Rahul Kohli in any manner whatsoever.

Sd./-
Raj Kumar, Advocate
Mob-9540521935,8700363257

PUBLIC NOTICE

"Public at large hereby informed that my Client Sh. Bharat Bhushan S/o Sh. Ramesh Chand, R/o J Block 3046 Ground Floor Sainik Colony, Sec-49 NIT Faridabad, have served/ relinquish all his relationship with his Son namely Siddharth Bhushan, S/o Bharat Bhushan, due to his unwarranted/ bad attitude towards my client and his family. My above named client has also disowned and debarred his said son from all their movable and immovable properties. Hence, he is not in control of my client. If any person will deal with him shall do so at his/her own risk and cost and my client shall not be responsible in any manner.

Sd/-
NEHA RANI
Advocate
Enrl. No. D/11566/2021
Off: C-42, Jeevan Park,
Uttam Nagar, N.D.-59

सार्वजनिक सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री मुखतयार पुत्र श्री फत्वा और श्रीमती सितारा पत्नी श्री मुखतयार दोनो निवासी– मकान न० 92, डाबड़ी, डाबड़ी गाँव, साऊथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली–110045 ने अपनी पुत्री जीनत उर्फ रजिया उम्र करीब 36 वर्ष को अपनी चल एवं अचल संपत्ति से उसके अभद्र व्यवहार, मारपीट गाली गलौच व अनियंत्रित होने के कारण बेदखल कर दिया है और उससे अपने सभी संबंध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में उसके किये गये किसी भी कार्य के लेन देन के प्रति मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं है और ना ही भविष्य में होंगे।

हस्ता./–
(रविन्द शर्मा)
अधिवक्ता

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my client, **Sh. Prem Chand** S/o Late Sh. Jeetu R/o House No. 194E, Gali No. 26, E Block, Molarband Extension, Jaitpur, New Delhi - 110044 have severed all their relations with their son **Sh. Rahul Ujjainwal** due to his bad habits. My above named clients have also disowned and debarred his said son from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with Sh. **Rahul Ujjainwal** will do so at his/her/their own risk and responsibilities and my clients will not be responsible for any act, deed or dealing done by **Sh. Rahul Ujjainwal.**

Sd/-
Arjun
Advocate
Ch. No. 343, Lawyers Block,
Saket Court, New Delhi-110017

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

TRUST IAS

KHUSHBOO OBEROI
AIR 139
Public Admin
Marks - 294
Our Classroom Student

Ashish Kumar Sir

New Live Online Batch
Public Administration
Starting on 25th August 2024

Aadhaar Polity Batch
Starting on 15th August 2024

Call us: 09717310441
Mail us: online@trustias.com
Visit us: www.trustias.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
(M): 9212665841, 9212008155

उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव

मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, स्कूलों में अवकाश

जयपुर, 17 अगस्त (भाषा)।

राजस्थान के उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के छात्र पर सहपाठी द्वारा चाकू से किए गए हमले की घटना के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच जिले के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने उदयपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया है। हमले में घायल छात्र का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों छात्र नाबालिग हैं। वहीं, जिला प्रशासन ने बुलडोजर से आरोपी छात्र के घर को ढहा दिया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

सरकारी स्कूल के छात्र पर सहपाठी द्वारा चाकू से हमले की घटना के बाद दो समुदाय आमने–आमने आ गए थे।

उदयपुर के जिलाधिकारी अरविंद पोसवाल ने बताया कि कानून–व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उदयपुर शहर और उदयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूल शनिवार से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर घायल छात्र के इलाज के लिए जयपुर से विशेष विमान से तीन चिकित्सकों की टीम उदयपुर भेजी गई है। उदयपुर शहर, बेदला, बड़गांव, ब्लीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढीकली और भुवाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 10 बजे से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जिलाधिकारी अधिकारी पोसवाल ने कहा, 'अपराध करने वाले व्यक्ति के मन में प्रशासन का डर जरूरी है। जांच में पाया गया कि इस मामले में आरोपी का घर वन भूमि पर बना था और नियमों के अनुसार नोटिस देने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। क्षेत्र में हालात अब सामान्य है, लेकिन तनाव स्थिति अभी बनी हुई है। कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

विरोध प्रदर्शन में पिस्तौल लहराने के आरोप में चिकित्सक पर मामला दर्ज

अमरेली (गुजरात), 17 अगस्त (भाषा)।

कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित रूप से बलात्कार और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना का विरोध करने के लिए एकत्र हुए चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों को संबोधित करते समय लाइसेंसी पिस्तौल लहराने के आरोप में एक चिकित्सक के खिलाफ गुजरात के अमरेली शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक चिराग देसाई ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े बजे हुई, जब मेडिकल छात्र और चिकित्सक 'कैंडल मार्च' के लिए शहर के राजकमल चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे।

देसाई ने बताया कि 'कैंडल मार्च' शुरू होने से पहले अपने संबोधन के दौरान, निजी 'प्रैक्टिस' करने वाले एक चिकित्सक डा जीजे गजेरा ने 'लोगों में डर पैदा करने के इरादे से' अपनी लाइसेंसी पिस्तौल लहराई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डा. गजेरा ने लाइसेंसी हथियारों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचना का भी उल्लंघन किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (1), (बी) (सार्वजनिक स्थान पर शरारतपूर्ण व्यवहार) और 270 (सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव) तथा शस्त्र अधिनियम और गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ई-रिक्शा चालक व उसके साथियों ने युवक को पीटा, मौत

जयपुर, 17 अगस्त (भाषा)।

जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक ई-रिक्शा चालक और उसके दो साथियों ने एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने शास्त्री नगर थाने के बाहर प्रदर्शन किया और मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर) बजरंग सिंह के अनुसार, शुक्रवार रात एक स्कूटी और ई-रिक्शा में टक्कर हो गई, जिसके बाद स्कूटी चालक व ई-रिक्शा चालक व उसके दो साथियों के बीच हाथापाई हो गई। सिंह ने बताया, 'घटना के बाद स्कूटी चालक और ई-रिक्शा चालक अपने-अपने घर चले गए।

कुछ लोग राजनीतिक हित को राष्ट्र हित से ऊपर रखते हैं : धनखड़

वेंकटचलम (आंध्र प्रदेश), 17 अगस्त (भाषा)।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को यहां कहा कि देश में कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक हित को राष्ट्र हित से ऊपर रखा है और उम्मीद है कि उन्हें सद्बुद्धि आएगी।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे लोग हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदानों से कुछ सीखेंगे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे लोग हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदानों से कुछ सीखेंगे। नेल्लोर जिले के वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की बैठक को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा, 'देश में कुछ लोगों ने अनुचित कारणों से अपने राजनीतिक हित को राष्ट्र हित से ऊपर रखा है। उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनमें समझ आए।'

धनखड़ ने इस बयान से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को चिंता व्यक्त की थी कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहा है ताकि 'हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य वाले विमर्श' को हवा दी जा सके। माना जा रहा था कि उनका इशारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर था।

खबर कोना

जेएनयू में भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी, कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शनिवार को छठे दिन भी जारी रही। छात्र संगठन के अनुसार कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। छात्र 11 अगस्त से अपनी मांगों के चार्टर पर जेएनयू प्रशासन की कथित गैर-जिम्मेदारी के खिलाफ परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने कहा कि विश्वविद्यालय में अधिसूचित छात्र संघ नहीं है और प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा उठाई गई कुछ मांगों को निधि की कमी के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुलपति ने कहा कि जो मांगें उठाई हैं, उन्हें स्वीकार करना असंभव है।

कोचिंग सेंटर हादसा : आरोपियों की जमानत याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने कोचिंग सेंटर में जलभराव होने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर 23 अगस्त को फैसला सुना सकती है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने शनिवार को सीबीआइ तथा आरोपियों-परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दलीलों के दौरान, आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि घटना 'ईश्वरीय कृत्य' थी और एजंसियों ने अपना कर्तव्य निभाया होता, तो इसे टाला जा सकता था। वकील ने दलील दी कि बेसमेंट कोई पुस्तकालय नहीं था, बल्कि कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र है।

सड़क पर झगड़े में युवक की चाकू घोंप कर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की रात आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की देर रात चार युवकों ने रोडरेज में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मोनू (22) की मौत हो गई।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। आरोपियों की पहचान जुगनू, अमित, विक्की और करण के रूप में हुई है। ये सभी जींस के कारखाने में काम करते हैं और उसी इलाके में रहते हैं, जहां मोनू रहता था। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है।

मध्य जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने शनिवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस की रात करीब 12 बजे थाना प्रसाद नगर में एक युवक को चाकू घोंप कर घायल करने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि कुछ ही घंटे में इलाज के दौरान दम उसकी तोड़ दिया। उपायुक्त ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर दबोच लिया।

वारदात से दो घंटे पूर्व गाड़ी से हुई थी टक्क्कर

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वारदात से दो घंटे पूर्व जुगनू की स्कूटी और मोनू का दोस्त नीरज मोटरसाइकिल चला रहा था। इसी दौरान एक दूसरे की टक्कर हो गई थी। इसके बारे में सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। इसके बाद उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और उन्होंने मोनू की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आगे जांच में पुलिस को पता चला कि मोनू पर भी पहले से एक मामला दर्ज है।

दिल्ली विश्वविद्यालय : 24 घंटे में 72200 से अधिक विद्यार्थियों ने आबंटित सीटें कीं स्वीकार

नई दिल्ली, 17 अगस्त (संवाददाता)।

दिल्ली विश्वविद्यालय में 24 घंटे के भीतर 72,277 उम्मीदवारों ने आबंटित पाठ्यक्रम और कालेजों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों की संख्या को पार कर गया है।

29 अगस्त से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र।

डीयू कालेजों में स्नातक सीटों की कुल संख्या लगभग 71,600 है। हांलाकि सीट आबंटन के पहले दौर में 97,387 उम्मीदवारों को सीटें आबंटित की गई थीं। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 29 अगस्त से शुरू होगा। डीयू के प्रवेश डीन हनीत गांधी ने कहा कि 97,387 में से 72,277 विद्यार्थियों ने कालेज और उन्हें दिए गए पाठ्यक्रम को स्वीकार करके अपनी सीटों की पुष्टि की है। डीयू ने यूनिक कामन रैंक के आधार पर सीटें आबंटितकी हैं। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से 21 अगस्त तक अपनी फीस जमा करने को कहा है। विश्वविद्यालय 69 कालेजों और विभागों में प्रवेश दे रहा है।

12 कालेजों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी

नई दिल्ली, 17 अगस्त (संवाददाता)।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार के वित्तपोषित 12 कालेजों को राहत प्रदान करते हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी है। कालेजों में शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में अत्यधिक देरी को देखते हुए फैसला लिया।

डीयू प्रशासन के अनुसार, विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों में यह प्रतिबंधित है। इन कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी को देखते हुए डीयू प्रशासन ने कहा कि छात्रों के व्यापक हित में उसका पिछला निर्देश इन कालेज पर लागू नहीं होगा। उप रजिस्ट्रार (कालेज) द्वारा 13 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि चूंकि दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित 12 कालेज में शिक्षकों की नियुक्ति में अत्यधिक देरी हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि संकाय की नियुक्ति के लिए जो निर्देश केवल अवकाश की स्थिति में लागू होते हैं, जैसे कि मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, चिकित्सा अवकाश और असाधारण अवकाश वे इन कालेज पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक नए निर्देश जारी नहीं किए जाते।

मंत्री आतिशी ने की घोषणा

बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नकदी रहित इलाज की सुविधा का मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, 17 अगस्त (संवाददाता)।

दिल्ली सरकार ने बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शनिवार को बड़ा एलान करते हुए उन्हें संबद्ध अस्पतालों पर नकदी रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की है। बिजली मंत्री आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की।

आतिशी ने कहा कि बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए) अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरुरत नहीं है। उन्हें संबद्ध अस्पतालों में नकदी रहित मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले से दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20,000 से अधिक पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन एक-दो दिन में जारी कर दिया जाएगा।बिजली मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि साल 2002 में दिल्ली के बिजली के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ था। दिल्ली विद्युत बोर्ड से बिजली की अलग-अलग इकाइयां बनाई गई थी, जिसमें बिजली उत्पादन कंपनियां, ट्रासमिशन के लिए ट्रासको, बिजली वितरण का काम अलग-अलग कंपिनयों, निजी हाथों में सौंपा गया था।

कहा, इस फैसले से 20,000 से अधिक पूर्व कर्मी होंगे लाभान्वित

उन्होंने कहा कि जब दिल्ली विद्युत बोर्ड में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया तो विद्युत बोर्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार ने ली। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत हुए। उनमें से कई कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा था।

one 97 Paytm

ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED

CIN: L72200DL2000PLC108985
पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, दिल्ली, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय: वन स्काईमार्क, टॉवर-डी, प्लॉट नंबर H-10B, सेक्टर-98, नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश, भारत
टेलीफोन नंबर: +91-120-4770770; **फैक्स:** +91-120-4770771
ईमेल: compliance.officer@paytm.com; **वेबसाइट:** www.paytm.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से 24वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में सूचना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **One 97 Communications Limited ("कंपनी") की 24वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)** आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना ("सूचना") में उल्लिखित व्यवसायों का लेनदेन किया जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू सभी प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में और विभिन्न परिपत्रों सहित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर, 2023 को जारी सामान्य परिपत्र 09/2023 और सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 (जिसे आगे "परिपत्र" कहा जाएगा) और अन्य लागू कानूनों के अनुसार होगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन के अंतर्गत, सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 ("वार्षिक रिपोर्ट") केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में और/या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://ir.paytm.com/agm पर, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरीज़ लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और आरटीए की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होगी। सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो इसे compliance.officer@paytm.com पर अपने फोलियो नंबर/डीपी ID और क्लाइंट ID का उल्लेख करके इसके लिए अनुरोध करेंगे।

एजीएम में शामिल होने और भाग लेने के निर्देशों के उल्लेख सूचना में प्रदान किए जाएंगे। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

कंपनी सभी सदस्यों को सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान करेगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका:
जिन सदस्यों के पास अभौतिकीकृत स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में शेयर हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग का तरीका सूचना में बताया जाएगा। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका:
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, लिंक https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके और वहाँ दिए गए पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके आरटीए के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना नाम, फ़ोलिओ नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता जैसी जानकारी प्रदान करें और पैन, आधार कार्ड, शेयर प्रमाण पत्र और फार्म आईएसआर-1 की फ़ोटोकॉपी पीडीएफ़ या जेपीईजी प्रारूप (1 एमबी तक) में अपलोड करें। सदस्य की जानकारी जमा करने पर सदस्य को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे सत्यापन के लिए लिंक में दर्ज किया जाना होगा।
- किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य आरटीए को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं या टेलीफोन नंबर: 022-49186000 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://ir.paytm.com/faqs पर उपलब्ध पूछे जाने वाले प्रश्न को भी देख सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कंपनी से सभी सदस्य-संबंधित संचार प्राप्त करने के लिए डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

यह विज्ञापन सभी सदस्यों की जानकारी और हित में जारी परिपत्रों के अनुपालन हेतु जारी किया जा रहा है।

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के आदेश से
One 97 Communications Limited के लिए
Sd/-
सुनील कुमार बंसल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्य संख्या: F 4810

स्थान: नोएडा, उत्तर प्रदेश
तारीख: 17 अगस्त, 2024

पदयात्रा के दूसरे दिन सिसोदिया ने विनोद नगर में किया संवाद

कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल से बाहर आएंगे, हमेशा जीत सच्चाई की होती है

पदयात्रा के दौरान लोगों का अभिवादन करते पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से 17 महीने बाद बाहर आने के बाद पद यात्रा कर रहे हैं। सिसोदिया ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के वेस्ट विनोद नगर में पदयात्रा निकाली और स्थानीय लोगों से संवाद किया।

पद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि वह जेल से बाहर आ गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। भगवान ने उनकी सुन ली है, जल्दी ही केजरीवाल का भी प्रार्थना सुनेंगे।

वहीं, सिसोदिया से मिलने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पहले से ही बड़ी तादात में लोग इकट्ठा हो गए थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा और तमाम समर्थक फूल मालाओं के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। लोगों ने उनपर पुष्प वर्षा कर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया।

pnb पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्किल सस्त्र : गाजियाबाद,
केजे-13, कवि नगर, गाजियाबाद 201001,
दूरभाष नं. : 8295961765, 8283810870 ई-मेल आईडी : cs8228@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामी का नाम (सम्पत्ति के बंधककर्ता)	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / B) बकाया राशि / C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि / D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	E) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / F) ईएमडी / E) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण / अधिकृत प्राधिकारी
1.	शा.का.: चंदर नगर, गाजियाबाद (144300) श्री इंद्रजीत पुत्र श्री महेंद्र सिंह (कर्जदार) श्रीमती सुनीता पत्नी श्री इंद्रजीत (गारंटर)	आवासीय प्लॉट नंबर 1, खसरा नंबर 1519, मेघराज एन्क्लेव ग्राम-रईसपुर, प्रागना डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का समस्त भाग, प्लॉट का क्षेत्रफल 85.28 वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र से उधारकर्ता ने 27.59 वर्ग मीटर जमीन बेच दी है। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर, प्लॉट का वास्तविक क्षेत्रफल 57.69 वर्ग मीटर है। श्री इंदरजीत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह के नाम पर	A) 21.03.2024 B) रु. 95.73 लाख + वसूली घटाकर ब्याज तथा प्रभार C) 21.06.2024 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 53.00 लाख F) रु. 5.30 लाख G) रु. 0.25 लाख	06.09.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं / श्री आर.पी. यादव मोबाइल : 9971720088
2.	शा.का.: शाहिबाबाद गाजियाबाद (370900) मेसर्स बेबी सेल्स एजेंसी (प्रोपराइटर) श्री बटेश्वर झा, पता : फ्लैट नंबर एफ-1 प्रथम तल, प्लॉट नंबर 16-17, ब्लॉक-एम, सेक्टर-12, रामप्रस्थ, गाजियाबाद यूपी	संपत्ति फ्लैट नंबर एफ-1 प्रथम तल का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 16 ए और 17 ब्लॉक एम, तीसरा बी सेक्टर 12, रामप्रस्थ जिला गाजियाबाद, कवर्ड एरिया 400 वर्ग फीट, बटेश्वर झा पुत्र स्वर्गीय श्री दुखमोचन झा के नाम पर	A) 01.05.2017 B) रु. 18.44 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 02.02.2018 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 15.95 लाख F) रु. 1.60 लाख G) रु. 0.25 लाख	06.09.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं / श्री आर.पी. यादव मोबाइल : 9971720088
3.	शा.का.: शाहिबाबाद गाजियाबाद (370900) मेसर्स बेबी सेल्स एजेंसी (प्रोपराइटर) श्री बटेश्वर झा, पता : फ्लैट नंबर एफ-1 प्रथम तल, प्लॉट नंबर 16-17, ब्लॉक-एम, सेक्टर-12, रामप्रस्थ, गाजियाबाद यूपी	संपत्ति का समस्त भाग, प्रतिभूति '. जिसमें दुकान नंबर एल.जी.ई.-11, दुकान का आधा निचला भूतल (छत के बिना) एरिया 9.522 वर्ग मीटर प्लॉट नंबर सी-7/ई, ब्लॉक-सी, रामप्रस्थ, जिला-गाजियाबाद बटेश्वर झा पुत्र स्वर्गीय श्री दुखमोचन झा के नाम पर।	A) 01.05.2017 B) रु. 18.44 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 02.02.2018 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 6.26 लाख F) रु. 0.63 लाख G) रु. 0.25 लाख	06.09.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं / श्री आर.पी. यादव मोबाइल : 9971720088
4.	शा.का. : करहेड़ा गाजियाबाद (027210) श्री नरेश कुमार चौहान (कर्जदार)	संपत्ति का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 746, सेक्टर 2बी, पहली मंजिल (छत के अधिकार के बिना) वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 95.19 वर्ग मीटर की संपत्ति शामिल है। श्री नरेश कुमार चौहान पुत्र श्री राधे श्याम चौहान के नाम पर। साथ ही खाता संख्या 05625015003455 में प्रभार का विस्तार, नाम मेसर्स कशिश ट्रेडर्स शा.का. - हौज खास, नई दिल्ली	A) 02.03.2020 B) रु. 13.81 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 23.02.2023 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 44.82 लाख F) रु. 4.49 लाख G) रु. 0.25 लाख	06.09.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं / श्री आर.पी. यादव मोबाइल : 9971720088

नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री ऑनलाइन, वेबसाइट https:// ebkray.in पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://ebkray.in तथा www.pnbindia.in देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/अटेंडेंट शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य को देय राशि के बारे में बैंक को जानकारी नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने की सलाह दी जाती है। 6. संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि 29.08.2024 को दोपहर 01.00 बजे से 03:00 बजे के बीच निर्धारित की गई है।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना)

दिनांक : 17.08.2024 स्थान : गाजियाबाद — अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

खबर कोना

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 अगस्त।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में ग्रेटर नोएडा के विभिन्न हिंदू संगठनों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध करने के बाद एडीएम (भूमि अध्याप्ति) बच्चू सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिसके जरिए भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किए जाने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया। साथ ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी रखी। विश्व हिंदू महासंघ, गोरक्षा दल और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन समेत विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता तिलपता चौक पर एकत्र हुए और पैदल यात्रा करते हुए सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस बल और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

ग्रेटर नोएडा : सेवानिवृत्त दारोगा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 अगस्त।

थाना ईकोटेक थ्री क्षेत्र स्थित खैरपुर गुर्जर गांव में सेवानिवृत्त दारोगा वेद प्रकाश पंवार ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मूलरूप से बागपत के खेकड़ा के रहने वाले थे। वेद प्रकाश की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीमारी से तंग आकर वह अपनी जान दे रहे हैं। कुछ समय पहले उनकी शल्य चिकित्सा हुई थी। जिसके बाद से उनको असहनीय पीड़ा होती थी। इस वजह से वह अपना जीवन त्याग रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि खैरपुर गुर्जर गांव में एक पेड़ से व्यक्ति की लाश लटकी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल की तो उस व्यक्ति की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें पता चला कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस से पूर्व दरोगा है, जिसका नाम वेद प्रकाश (73) थी। मामले की सूचना पुलिस ने वेद प्रकाश के बेटे को दी है।

दुकानदार की हत्या की कोशिश के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

नरेला थाना क्षेत्र में पिछले 31 जून को एक दुकानदार पर मुफ्त में मांस नहीं देने पर एक बदमाश ने चाकू से जानलेवा हमला किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी की पहचान बवाना निवासी रहमान उर्फ कौशर (24) के तौर पर की गई है। आरोपी नरेला थाने का घोषित अपराधी (बीसी) भी है। आरोपी रहमान के खिलाफ 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराध शाखा के उपायुक्त सतीश कुमार ने शनिवार को बताया कि पिछले 31 जून को घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस टीम को पीड़ित ने बताया कि रहमान अकसर उसकी दुकान से मुफ्त में मांस लेकर जाता था। घटना वाले दिन उसने मुफ्त में मांस देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने दुकान में रखे चाकू से उस पर हत्या करने की नियत से हमला कर दिया। उसके बाद मौके से फरार हो गए।

दिल्ली भाजपा आज 300 झुग्गी एवं सेवा बस्तियों में मनाएगी रक्षा बंधन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

दिल्ली भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता रविवार को दिल्ली की लगभग 300 झुग्गी एवं सेवा बस्तियों में रक्षा बंधन का पर्व मनाएंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूर्वी दिल्ली में एनएच 24 पर स्थित विनोद नगर की सेवा बस्ती नेहरू कैम्प की बहनों के साथ रक्षा बंधन मनाएंगे। इस मौके पर पार्टी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रदेश, जिला एवं मंडल पदाधिकारियों के साथ ही वरिष्ठ नेता विभिन्न बस्तियों में रक्षा बंधन मनाएंगे।

कोलकाता में चिकित्सक से बलात्कार-हत्या का मामला

दिल्ली में चिकित्सकों की हड़ताल छठे दिन भी जारी

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर देशभर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को छठे दिन भी जारी रही। इस दौरान अस्पतालों में सभी वैकल्पिक सेवाएं निलंबित रहीं।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल भी शनिवार सुबह छह बजे प्रारंभ हुई। प्रमुख अस्पतालों के रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के सदस्य ने विरोध-प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के चिकित्सकों ने एम्स, आरएमएल अस्पताल और डीडीयू अस्पताल सहित विभिन्न आरडीए के आह्वान पर बलात्कार-हत्या की घटना के विरोध में पूरे शहर में विरोध मार्च और मोमबत्ती जुलूस निकाले। आइएमए ने 'समान एकीकृत कार्य योजना' को लागू करने पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े एक ऐसे अधिनियम की मांग करना है, जो पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के हितों और जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आरडीए ने इस बात पर जोर दिया कि यह विरोध-प्रदर्शन केवल न्याय की मांग भर के लिए नहीं है, बल्कि आगे हिंसा रोकने तथा स्वास्थ्य सेवा में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी है।

निजी अस्पताल भी हड़ताल में शामिल

कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल तेज होती जा रही है। दिल्ली के सर गंगा राम, फोर्टिस एवं अपोलो जैसे अस्पताल अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी एवं आइपीडी सेवाएं बंद कर हड़ताल में शामिल हो गए हैं। सर गंगा राम अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डा. अजय स्वरूप ने कहा कि हमने ओपीडी, वैकल्पिक आपरेशन थियेटर और आइपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है।

भूखंड आबंटन के लिए 13 गांवों के किसानों की पात्रता सूची तैयार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 अगस्त।

प्राधिकरण क्षेत्र के 39 गांवों में लगभग 4200 किसानों की पात्रता सूची तैयार करेगा। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान पिछले कई साल से छह फीसद आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे हैं।

जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को मिलने वाले छह फीसद विकसित भूखंड के लिए प्राधिकरण ने सिरसा, डाढ़ा, जुनपत, सैनी, पतवाड़ी, थापखेड़ा समेत 13 गांवों की पात्रता सूची तैयार कर ली है। अब नियोजन विभाग जमीन की उपलब्धता के आधार पर भूखंड लगाने का काम करेगा। इसके लिए गांव के आसपास ही जमीन की तलाश की जा रही है। क्षेत्र के 39 गांवों में लगभग 4200 किसानों की पात्रता सूची तैयार करनी है।

दरअसल जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान पिछले कई साल से छह फीसद आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं, जिनकी पात्रता तय नहीं हुई है। इसको लेकर किसान आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के नेतृत्व में प्राधिकरण दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। किसानों की समस्या का समाधान किए बिना अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले अन्य गांवों के किसान प्राधिकरण को जमीन देने को तैयार नहीं हैं। इसको देखते हुए पात्रता सूची तैयार करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक 13 गांवों की पात्रता सूची तैयार कर नियोजन विभाग को भेज दी गई है। बाकी बचे गांवों में शिविर लाकर पात्रता सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही गांव के आसपास जमीन की तलाश की जा रही है, ताकि किसानों को भूखंड आबंटित किए जा सकें।

गौरतलब है कि छह फीसद भूखंड पर किसान मकान बनाने के साथ व्यावसायिक गतिविधि भी संचालित कर सकते हैं। प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि छह फीसद आबादी भूखंड आबंटित करने के लिए किसानों की पात्रता सूची तैयार की जा रही है। 13 गांवों की पात्रता सूची तैयार कर ली गई है। अब नियोजन विभाग जमीन की उपलब्धता के हिसाब से भूखंड लगाएगा। प्राधिकरण किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने का काम कर रहा है।

मंगेतर और उसके दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

नजफगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने मंगेतर और उसके दोस्त के साथ मिल कर मां की हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि मृतका की पहचान सुमित्रा (58) के रूप में हुई है। महिला के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि वारदात की सूचना आरोपी बेटी ने ही पुलिस को दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने सुमित्रा के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया है और हत्या करने के आरोप में उसकी बेटी मोनिका, मोनिका का मंगेतर नवीन कुमार और नवीन के दोस्त योगेश उर्फ योगी को गिरफ्तार कर लिया है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने शनिवार को बताया कि सुमित्रा अकेले मकान नंबर एच-1062, मेन मार्केट, नजफगढ़ में रहती थीं। पुलिस को फोन कर मोनिका ने बताया कि उनकी मां कोई जवाब नहीं दे रही हैं और घर का दरवाजा अंदर से बंद है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मोनिका मिली उसने बताया कि उसकी मां सुमित्रा यहां अकेली रहती है। वह पिछले दिन मिलने आई थी, तब सब ठीक-ठाक था। वह अगले दिन फिर से जब अपनी मां के घर पहुंची तो उसकी मां ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस ने गेट तोड़ा और वह अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने देखा कि फ्लैट के अंदर बाथरूम के फर्श पर सुमित्रा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके माथे, आंख और दोनों हाथों की कलाई पर चोट के निशान थे और उसके मुंह से भी न निकल रहा था। पुलिस ने उन्हें पास के अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपायुक्त ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

संपत्ति विवाद में दिया वारदात को अंजाम: पुलिस को जांच में पता चला कि संपत्ति विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला अकेली रहती थी। परिवार में एक बेटा भी है। वह शादीशुदा है और अपने परिवार के साथ मोहन गार्डन में रहता है। हालांकि, यह बात भी सामने आ रही है कि सुमित्रा अपने बेटे के नाम पर पहले ही वसीयतनामा कर चुकी है।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

पुलिस ने इमारत में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। पुलिस को शनिवार तड़के करीब 02:18 बजे एक महिला और दो पुरुष फ्लैट में आते हुए दिखाई दिए। बाद में महिला की पहचान सुमित्रा की बेटी मोनिका और दो लड़कों की पहचान मोनिका का मंगेतर नवीन कुमार और उसके दोस्त योगेश के रूप में हुई। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने सच बताया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

कई माल को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप

नोएडा, दिल्ली का डीएलएफ, दिल्ली और गुरुग्राम का एंबियंस माल शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली/नोएडा, 17 अगस्त

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई माल को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि जांच के बाद बम या कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। जिन माल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी उनमें दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एफएलएफ और एंबियंस माल, गुरुग्राम में स्थित एंबियंस माल और नोएडा को डीएलएफ माल शामिल है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को वसंत कुंज स्थित एफएलएफ और एंबियंस माल में बम होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई तो जांच पता चला कि बम होने की सूचना गुरुग्राम स्थित एंबियंस माल को सुबह करीब 9.30 बजे ईमेल के द्वारा मिली।

इसमें दिल्ली के एंबियंस माल और नोएडा के डीएलएफ में भी बम रखे होने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, श्वान दस्ता, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए। तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला तो इसको फर्जी घोषित कर दिया गया। इसके बाद माल को लोगों के लिए खोल दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वह ई-मेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले भी दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई स्कूलों को इसी तरह की धमकी दी गई थी। हालांकि तलाशी अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था।

पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

ग्रेटर नोएडा, 17 अगस्त (संवाददाता)।

थाना सूरजपुर पुलिस और मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के बीच शुक्रवार की रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने दो बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों ने दो सप्ताह पहले शराब ठेके के सेल्समैन से लूटपाट की थी।

पकड़े गए बदमाशों ने दो सप्ताह पहले शराब ठेके के सेल्समैन से लूटपाट की थी।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना सूरजपुर पुलिस शुक्रवार रात जैतपुर गोलचक्कर पर वाहनों की जांच कर रही थी तभी अचानक 130 मीटर रोड से काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाते हुए डेल्टा वन की तरफ भागने का प्रयास किया गया।

सुपारी देकर कराई थी युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 17 अगस्त (संवाददाता)।

जाफराबाद के चौहान बांगर में 13 अगस्त को छोटा रिजवान की हत्या करने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान साहिब (18) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिजवान की हत्या गैंगवार के चलते हुई थी।

गैंगवार के कारण हत्याकांड को दिया गया था अंजाम।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि हाशिम बाबा के करीबी गुर्गे अनस ने सुहेल को रिजवान की हत्या की सुपारी दी थी। अपराध शाखा के उपायुक्त अमित गोयल ने शनिवार को बताया कि पिछले 13 अगस्त को गली नंबर-5, चौहान बांगर, जाफराबाद में छोटा रिजवान (25) की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। जाफराबाद थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

ग्रेटर नोएडा में गर्भपात के दौरान महिला की मौत

शव छिपाने के आरोप में चार गिरफ्तार, छह अगस्त से थी लापता

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 अगस्त।

ग्रेटर नोएडा में प्रेम-प्रसंग के चलते एक विधवा महिला गर्भवती हो गई। प्रेमी, महिला का गर्भपात कराने के लिए उसे एक झोलाछाप के पास ले गया। जहां उसका गर्भपात कराया गया। इसी दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद प्रेमी ने अपने एक मित्र के सहयोग से उसके शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया।

इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि मृतका के बेटे ने अपनी मां के लापता होने की रपट थाना जेवर में गत 15 अगस्त को दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि वह 6 अगस्त से लापता है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि थाना जेवर पुलिस ने गुमशुदा महिला का गर्भपात कराने और गर्भपात के दौरान मृत्यु होने पर शव को छिपाने वाले चार आरोपी जमशेद, मनोज कुमार, मिथलेश पत्नी मनोज कुमार और राज बहादुर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान गुमशुदा के मोबाइल की जांच में पता चला कि जमशेद से उसकी ज्यादा बातचीत हुई है। जमशेद से पूछताछ की गई, तो उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया। मैनुअल इंटेलिजेंस व तकनीकी सर्विलांस के जरिए गहन जांच करने पर पता चला कि गुमशुदा गर्भवती थी। चूंकि गुमशुदा विधवा थी, इसलिए समाज के डर से गर्भपात के लिए जमशेद अपने दोस्त सद्दाम की मदद से उसे 6 अगस्त को ही अपनी मोटरसाइकिल से डिबाई ले गया। जहां सद्दाम के मित्र मोनू व मोनू की भाभी गुड्डी देवी उसे डिबाई स्थित झोलाछाप के यहां ले गया। झोलाछाप के कर्मी मनोज कुमार, मिथलेश और राज बहादुर से महिला का बुलंदशहर के ग्राम खुसालाबाद में गर्भपात कराया। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। जिससे डर के कारण महिला के शव को जमशेद ने अपने सहयोगी सद्दाम, मोनू और गुड्डी की मदद से सात अगस्त को अनूपशहर के जंगल ग्राम रोड बांगर की झाड़ियों में छिपा दिया था।

समाज के डर से झोलाछाप के यहां कराया था गर्भपात।

नोएडा और ग्रेनो डिपो से रक्षाबंधन पर 291 बस के अतिरिक्त फेरे शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 अगस्त।

शनिवार को मेरठ, आगरा और अलीगढ़ मार्ग की बसों में संख्या सबसे ज्यादा रही।

नोएडा और ग्रेनो डिपो से रक्षाबंधन पर 291 बस के अतिरिक्त फेरे शनिवार से शुरू किए गए हैं। अन्य दिनों की तुलना में बसों में यात्रियों की संख्या अधिक रही। डिपो अधिकारियों के अनुसार मेरठ, आगरा और अलीगढ़ मार्ग की बसों में सवारियों की संख्या सबसे ज्यादा रही।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 291 बस हैं। इनमें नोएडा डिपो में बसों की संख्या 171 है। रक्षाबंधन के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा देने के लिए दोनों डिपो से बस के अतिरिक्त फेरों की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा 22 अगस्त तक जारी रहेगी। लखनऊ के लिए जहां एक बस नोएडा डिपो से निकलती थी, वहीं अब बसों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी गई है। इसके अलावा आगरा मेरठ और अलीगढ़ मार्ग पर भी बसों की संख्या बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि शासन की ओर से जारी निर्देशानुसार 17 अगस्त से 22 अगस्त तक डिपो से 24 घंटे बस मिलेंगी। सूचना केंद्र सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक कार्यरत रहेगा।

शिकंजा

'आपरेशन स्ट्रीट सेफ' के तहत 692 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई

सात सौ से ज्यादा लोग शराब पीते पकड़े, 22 वाहन जब्त

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 अगस्त।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर शिकंजा कसने के लिए शुक्रवार देर रात गौतमबुद्ध नगर आयुक्तालय पुलिस की ओर से आपरेशन स्ट्रीट सेफ चलाया गया।

जनपद के तीनों पुलिस जोन में 50 से अधिक स्थानों पर जांच करते हुए पुलिस टीम ने 692 वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इन जगहों पर सात सौ से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया। साथ ही 22 वाहनों को जब्त किया गया। शुक्रवार रात साढ़े 11 बजे से डेढ़ बजे तक अभियान चलाया गया। हालांकि सभी को कुछ ही समय बाद थाने से जमानत दे दी गई। डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह के नेतृत्व में अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग करते हुए थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा 35 व्यक्तियों, थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा 20 व्यक्तियों, थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा 48 व्यक्तियों, थाना फेस वन पुलिस द्वारा 40 व्यक्तियों, थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा 60 व्यक्तियों, थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा 45 व्यक्तियों, थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा 30 व्यक्तियों, थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा 32 व्यक्तियों व थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए दबोचा गया। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी के नेतृत्व में फेज दो पुलिस द्वारा 33 व्यक्तियों, फेज तीन पुलिस द्वारा 30 व्यक्तियों, सेक्टर-63 पुलिस द्वारा 48 व्यक्तियों, थाना बिसरख पुलिस द्वारा 30 व्यक्तियों, थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों, थाना इकोटेक थर्ड पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों, थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 29 व्यक्तियों, थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध खुले में शराब पीने पर धारा 292 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

इसके अलावा डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान के नेतृत्व में जोन के सभी थानों की टीमों ने 256 व्यक्तियों को खुले में शराब पीते हुए पाया। पुलिस ने नोएडा जोन से आठ, सेंट्रल नोएडा जोन से 12 और ग्रेनो जोन से दो वाहनों को इस दौरान जब्त किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

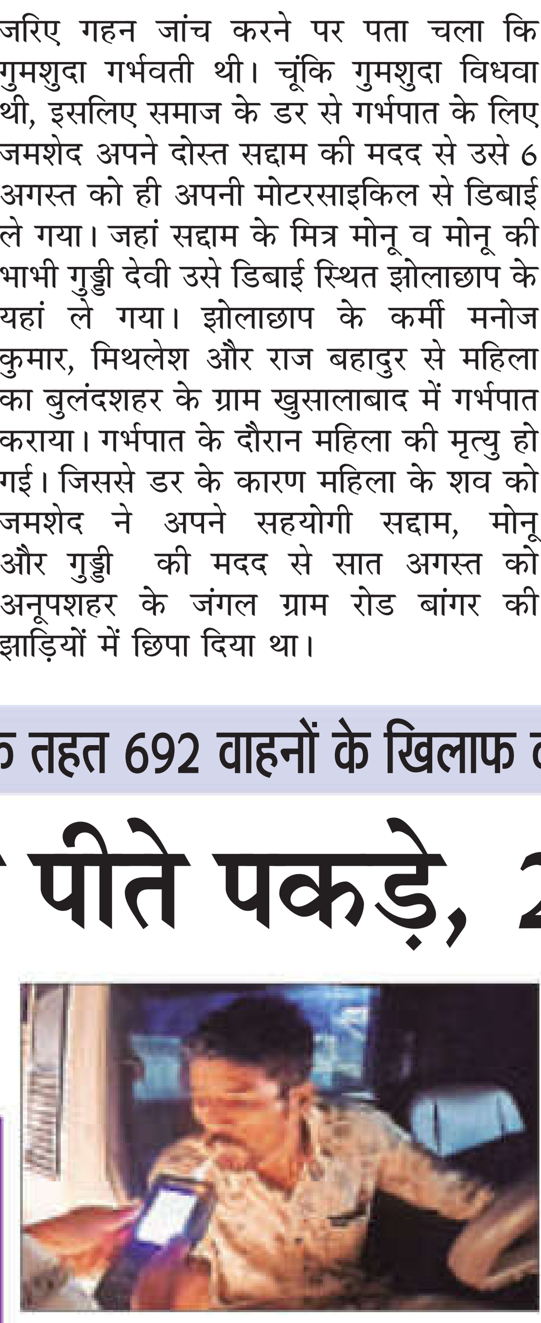

शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे से डेढ़ बजे तक चला अभियान।

दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत

नई दिल्ली, 17 अगस्त (संवाददाता)।

दिल्ली का मौसम शनिवार को बदला-बदला नजर आया। दिन में गर्मी और भारी उमस के बाद शाम को लोगों को बारिश से राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि राजधानी के कई इलाकों में जलभराव के कारण यातायात जाम होने से वाहन चालक परेशान हुए।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अनुसार पश्चिमी जोन, मध्य जोन, शाहदरा दक्षिणी जोन और नरेला जोन में कई जगहों से जलभराव और मध्य जोन से पेड़ गिरने की सूचना मिली। विभाग के अनुसार शनिवार से दिल्ली शनिवार की सुबह काफी उमस भरी रही और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भ्रष्टाचार से कांग्रेस का पुराना नाता : नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

भाजपा ने एमयूडीए 'घोटाले' में सिद्धरमैया से इस्तीफा देने की मांग की। पार्टी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल के निर्णय का स्वागत किया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। पार्टी ने कहा कि सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आबंटन घोटाले में उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। पार्टी ने इस मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल के निर्णय का भी स्वागत किया है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार से पुराना नाता रहा है। यह कांग्रेस के पाखंड और परिवारवाद की राजनीति का एक और उदाहरण है। उन्होंने निजी लाभ के लिए बार-बार लोगों का भरोसा तोड़ा है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया, कांग्रेस खुद को दलितों और अल्पसंख्यकों का संरक्षक बताती है, लेकिन उनके ही एक मुख्यमंत्री दलित परिवार की जमीन हड़पने में शामिल हैं। वहीं, भाजपा सांसदों–संबित पात्रा और तेजस्वी सूर्या ने संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस का यह आरोप खारिज किया कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का निर्णय राजनीति से प्रेरित है। पात्रा ने दावा किया कि यह भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला है, जिसमें सिद्धरमैया और उनका परिवार संलिप्त है। उन्होंने दावा किया कि पूरा घोटाला 4,000 करोड़ रुपए का है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसके नेता हजारों करोड़ रुपए से कम का कोई घोटाला नहीं करते। वहीं, सूर्या ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए दो आयोग गठित किए हैं, जिनमें से एक की अगुआई आइएएस अधिकारी जबकि दूसरे का नेतृत्व हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरु में प्रतिपूरक भूखंड आबंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था जिसे एमयूडीए ने अधिग्रहीत किया था। एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आबंटित किए थे।

गैर-भाजपा शासित राज्य निशाने पर : खरगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ एकजुट प्रदेश सरकार और कांग्रेस। डीके शिवकुमार बोले, राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।

कर्नाटक के राज्यपाल की ओर से भूमि आबंटन के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल गैर-भाजपा शासित राज्यों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। वहीं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैसूरु में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्यपाल का नोटिस किस बारे में है। अभी वह नहीं कह सकते कि यह सही है या गलत। मगर, एक बात साफ है कि भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल जहां भी हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या जहां भी गैर-भाजपा सरकारें (राज्यों में) हैं, वे और अधिक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह मामले का विवरण प्राप्त करने और वकीलों से परामर्श करने के बाद विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे।

वहीं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि पूरी सरकार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ मजबूती से खड़ी है और वह अपने पद पर बने रहेंगे। शिवकुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यपाल ने अपने सचिव के माध्यम से (मुख्यमंत्री को) एक असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी पत्र भेजा है। उपमुख्यमंत्री ने सिद्धरमैया और मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को भेजे गए उस पत्र का जिक्र करते हुए यह बात कही, जिसमें उन्हें सूचित किया गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है।

मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

भ्रष्टाचार निवारण पर 1988 के कानून के तहत किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच और मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल सचिवालय ने कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धरमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध को स्वीकार किया है।

कर्नाटक के राज्यपाल सचिवालय ने कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और धारा 218 के तहत सिद्धरमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध को स्वीकारा।

कानून के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी है और कानूनी स्थिति के मद्देनजर आरोपी को पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। एक संशोधन के माध्यम से वर्ष 2018 में शामिल की गई पीसी अधिनियम की धारा 17ए का उद्देश्य लोकसेवकों को उनके आधिकारिक निर्णयों से संबंधित कथित अपराधों की जांच से बचाना है और एक लोकसेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए प्रक्रियात्मक विवरण प्रदान करना है। कानूनी प्रावधान कहता है कि एक पुलिस अधिकारी को ऐसे अपराधों की जांच करने से पहले पूर्वानुमति लेनी होगी। सक्षम प्राधिकारी को जांच एजंसी से अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिन के भीतर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकसेवकों को परेशान न किया जाए।

कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी में बीएनएसएस की धारा 218 भी लागू की है, जिसने हाल ही में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ली है। बीएनएसएस प्रावधान लोकसेवकों और न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया प्रदान करता है और कहता है कि कोई भी अदालत अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किसी लोकसेवक के खिलाफ कथित अपराध का तब तक संज्ञान नहीं ले सकती, जब तक कि सरकार ने पूर्व मंजूरी नहीं दी हो।

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल शस्त्रा केन्द्र : उत्तरी दिल्ली
पताः द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
ई–मेल : cs8292@pnb.co.in, मो. 011-44776099, +91-9310865921

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत आम जनता को ई–नीलामी बिक्री सूचना, अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस। आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा, प्रतिभूति लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे वर्णित तालिका के अनुसार बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / ख) बकाया राशि / ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य (रु. में) / ख) ईएमडी / ग) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1	दिल्ली– पीतमपुरा (171000) मैसर्स जय शिव फूड्स, 512, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली–110040 शिव चरण बंसल, 512, जी–ब्लॉक, गली नं. 10, पंजाबी कॉलोनी, मामूरपुर, नरेला, दिल्ली–110040 शालिनी बंसल, 512, जी–ब्लॉक, गली नं. 10, पंजाबी कॉलोनी, मामूरपुर, नरेला, दिल्ली–110040 कृष्णा देवी, 512, जी–ब्लॉक, गली नंबर 10, पंजाबी कॉलोनी, मामूरपुर, नरेला, दिल्ली–110040	प्लॉट नं. 7, खसरा नं. 512 में से, गली नं. 10, पंजाबी कॉलोनी, ग्राम मामूरपुर, नरेला, दिल्ली–110040 में स्थित, यह सम्पत्ति शालिनी बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल 36 वर्ग गज	A) 28.12.2021 B) रु. 4,85,80,727.57 दिनांक 30.06.2024 तक और भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं खर्चे पूर्ण चुकौती की तिथि तक C) 04.03.2022 D) भौतिक कब्जा	A)15,30,000.00 B)1,53,000.00 C)25,000.00	06-09-2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
		सम्पत्ति नं. 125–बी, खसरा नं. 512 में से, ब्लॉक – जी, पंजाबी कॉलोनी, एक्सटेंशन, ग्राम मामूरपुर, नरेला, दिल्ली–110040 में स्थित, यह सम्पत्ति कृष्णा देवी के नाम पर है। क्षेत्रफल 194 वर्ग गज	A) 28.12.2021 B) रु. 4,85,80,727.57 दिनांक 30.06.2024 तक और भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं खर्चे पूर्ण चुकौती की तिथि तक C) 04.03.2022 D) भौतिक कब्जा	A)78,30,000.00 B)7,83,000.00 C)25,000.00	06-09-2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
		सम्पत्ति नं. 5, खसरा नं. 512 में से, ब्लॉक – जी, पंजाबी कॉलोनी, एक्सटेंशन, ग्राम मामूरपुर, नरेला, दिल्ली–110040 में स्थित, यह सम्पत्ति शिव चरण के नाम पर है। क्षेत्रफल 50 वर्ग गज	A) 28.12.2021 B) रु. 4,85,80,727.57 दिनांक 30.06.2024 तक और भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं खर्चे पूर्ण चुकौती की तिथि तक C) 04.03.2022 D) भौतिक कब्जा	A)22,05,000.00 B)2,20,500.00 C)25,000.00	06-09-2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट **https://ebkray.in** के माध्यम से ऊपर वर्णित नीलामी की तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **https://www.pnbindia.in, https://ebkray.in** देखें।

दिनांक : **16-08-2024,** स्थान : नई दिल्ली
श्री विवेक कुमार, प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति लेनदार, पंजाब नैशनल बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India undertaking

चकरपुर शाखा, एससीओ 19, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, सरस्वती विहार, चकरपुर, गुरुग्राम

नीलामी बिक्री सूचना

निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे ऋण खातों में देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। उन्हें पंजीकृत डाक से भेजे गए नोटिस बैंक को बिना डिलीवर किए वापस कर दिए गए हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे देनदारी और अन्य शुल्कों का भुगतान करें और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को 22.08.2024 पर या उससे पहले छुड़ाएं, ऐसा न करने पर उक्त प्रतिभूतियों को बैंक द्वारा 23.08.2024 पर प्रातः 10 बजे बैंक के परिसर में उधारकर्ता की कीमत पर सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाएगा, या उसके बाद किसी अन्य सुविधाजनक तारीख को बिना किसी सूचना के, बैंक के पूर्ण विवेक पर

क्र. सं.	ऋण की तिथि	ऋण नं.	कर्जदार का नाम एवं पता
1.	19-04-2023	509806540000015	मंजू गुप्ता, मकान नंबर 57, सरस्वती विहार, चकरपुर, गुड़गांव।

ध्यान दें: बकाया राशि में गोल्ड लोन के साथ–साथ किसी अन्य ऋण / क्रेडिट सुविधा के तहत पार्टी की सभी देनदारियां शामिल होनी चाहिए।

दिनांक 17.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
आपका पारिवारिक बैंक। संपूर्ण भारत में।

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
8–बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060
दूरभाष /फैक्स : 011–40591567, (एक्स. 240),
ई–मेल : delhiarm@kbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
सीआईएन : एल85110केए1924पीएलसी001128

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कर्नाटका बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनाँकित 04–06–2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरों : (1) मैसर्स जैन स्टील ट्रेडर्स, इसके स्वामी श्री जय भगवान जैन द्वारा अभ्यावेदित, पंजीकृत पता : 174/91, हरनारायण गोपीनाथ कंपाउंड, यू.पी. बॉर्डर जीजेडबी, गाजियाबाद–201014, उत्तर प्रदेश, (2) जय भगवान जैन पुत्र गंगा राम जैन, (3) तरुण जैन, दोनों नंबर (2) से नंबर (3) यहां रहते हैं : # मकान नंबर– सी–12/147, यमुना विहार, सी–ब्लॉक, उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली–110053 को सूचना में अंकित राशि रु. 2,11,73,709.53 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार सात सौ नौ एवं तिरेपन पैसे मात्र) अर्थात् (i) रु. 1,83,63,409.93 ओवरड्राफ्ट ऋण खाता संख्या 5607000100003701 के अंतर्गत 01.06.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, (ii) रु. 10,80,587.60 पीएस टर्म ऋण खाता संख्या 5607001800003901 के अंतर्गत 01.06.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, (iii) रु.17,29,712.00 पीएस टर्म ऋण खाता संख्या 5607001800004801 के अंतर्गत 01.06.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, और लागत का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्तागण, बंधककर्तागण एवं गारंटरगण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं, गारंटरों को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 16 अगस्त 2024 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि यहां इसमें निम्न वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 2,17,17,771.53 (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख सत्रह हजार सात सौ इकहत्तर एवं तिरेपन पैसे मात्र) अर्थात् (i) रु. 1,88,49,962.93 ओवरड्राफ्ट ऋण खाता संख्या 5607000100003701 के अंतर्गत 01.08.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, (ii) रु. 11,05,272.60 पीएस टर्म ऋण खाता संख्या 5607001800003901 के अंतर्गत 11.08.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, (iii) रु.17,62,536.00 पीएस टर्म ऋण खाता संख्या 5607001800004801 के अंतर्गत 11.08.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, की एक राशि और लागत हेतु कर्नाटका बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली–ईस्ट ऑफ कैलाश शाखा के प्रभाराधीन होगा।

(ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

अचल संपत्ति का विवरण

संख्या 147 धारक दो मंजिला स्वामित्वधारी आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ब्लॉक सी – 12 (सी – 12 / 147)में, 70 वर्ग मीटर माप के प्लॉट पर निर्मित, यमुना विहार, दिल्ली – 110053 में स्थित, श्री जय भगवान जैन से संबंधित है।
सीमायें :– पूर्व : संपत्ति संख्या 148, पश्चिम : संपत्ति संख्या 146, उत्तर : सर्विस लेन, दक्षिण : सड़क

स्थान : नई दिल्ली — **कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड**
दिनांक : 16–08–2024 — **मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र | Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम — एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय : भूतल, प्लेट बी, ब्लॉक 04, एनबीसीसी ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
विधि विभाग, दूरभाष : 26197769/26164817,
फैक्स : (011) 26171554, ई–मेल : staff_del@mahabank.co.in;
मुख्य कार्यालय : लोक मंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे–411005

कब्जा सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कथित सूचना(ओं) की तिथि/कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/रों एवं जमानती/यों से प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचनाएंजारी की थी।

कर्जदार/रों एवं जमानती/यों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों), जमानती/यों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज, लागत, प्रभारों एवं व्ययों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	(क) शाखा का नाम (ख) एनपीए खाते का नाम (ग) कर्जदार/रों तथा जमानती/यों के नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(क) धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) सांकेतिक कब्जे की तिथि	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1	1. मेसर्स चोपड़ा गुड्स कैरियर्स ई–145, एमसीएफ–5741, पहली मंजिल, सेक्टरः फरीदाबाद, हरियाणा–121005 2. श्री संजीव कुमार मालिकः मेसर्स चोपड़ा गुड्स कैरियर ई–145, एमसीएफ–5741, पहली मंजिल, सेक्टरः फरीदाबाद, हरियाणा–121005 3. श्री संजीव कुमार मालिकः मेसर्स चोपड़ा गुड्स कैरियर साथ ही : 1612/6, जवाहर कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा–121001 4. श्री चरण लाल पुत्र श्री जगन लाल 1639/1, जवाहर कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा– 121001	सम्पत्ति का बंधक, 1639/1, जवाहर कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित संपत्ति जिसका माप 62.71 वर्ग मीटर (75 वर्ग गज) है। श्री चरण लाल पुत्र श्री जगन लाल के नाम पर। बैंक के पक्ष में दिनांक 24.02.2012 के बंधक विलेख और दिनांक 17.06.2015 के पूरक विलेख द्वारा बनाया गया सरल बंधक/पंजीकृत बंधक (विधिवत पंजीकृत)	(क) 08.04.2024 (ख) 17.08.2024	रु. 46,71,418/– (रुपये छियालीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ अठारह मात्र) + अप्रयुक्त ब्याज संविदात्मक दर पर (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) 08.04.2024 से + एनपीए की तिथि अर्थात 02.04.2024 से होने वाली लागत, शुल्क और व्यय
2	1. श्री सूरज पुत्र परमाल सिंह मकान नं. 83, गांव – मच्छगर, फरीदाबाद, हरियाणा – 121004 साथ हीः श्री सूरज पुत्र परमाल सिंह मकान नं. 999, सेक्टर – 9, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा 2. श्रीमती भारती पत्नी श्री सूरज मकान नं. 43, ब्लॉक – 2, गांव मच्छगर, फरीदाबाद, हरियाणा – 121004 साथ हीः श्रीमती भारती पत्नी श्री सूरज मकान नं. 999, सेक्टर – 9, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा	आवासीय गृह संपत्ति, मकान नंबर 999, सेक्टर 9, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा –121004 पर स्थित है। नोटः उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति भी मेसर्स सूरज इंडस्ट्रीज (इसके मालिक – श्री सूरज के माध्यम से) के नाम पर 48.00 लाख रुपये में ऋण सुविधा में गिरवी रखी गई है।	(क) 21.10.2023 (ख) 17.08.2024	रु. 80,80,827/– (रुपये अस्सी लाख अस्सी हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र) + अप्रयुक्त ब्याज 9.90% प्रति वर्ष की दर से 21.10.2023 से प्रभावी

हस्ता./–
तिथि : 17.08.2024 स्थान : दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी : (सरफैसी अधिनियम, 2002), दिल्ली जोन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा | Bank of Baroda

टाउन हॉल चांदनी चौक शाखा, लक्ष्मी बिल्डिंग,
चांदनी चौक, दिल्ली –110006, भारत
ईमेलः – vjccwk@bankofbaroda.com / वेबः www.bankofbaroda.com

कर्जदार को सूचना
(सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत)

दिनांक : 02.07.2024

सेवा में,
श्रीमती स्वाति नागर पत्नी संदीप नागर, श्री देवेन्द्र नागर पुत्र सुबे सिंह नागर, श्रीमती पालो नागर पत्नी जगबीर सिंह नगर, सभी निवासीः पताः 1) बी 112 बी, सेक्टर 44 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर यूपी, पिन 201301
2) कार्यालय एएएफ 5, शिप्रा अजोरा कोप्लेक्स कौशाम्बी, 110092
3) प्लॉट नंबर 257 शाहपुरा जट्टा कुचेसर रोड चौपला बाबूगढ़ जिला हापुड–गाजियाबाद
4) हाउस नंबर 18, ब्लॉक डुप्लेक्स II सेक्टर 82 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर यूपी में स्थित

संदर्भः हमारी टाउनहॉल चांदनी चौक शाखा के साथ ऋण सुविधा।

1. हम अपने स्वीकृति पत्र CCK/AG M/PS/176/2015 दिनांक 28.03.2015 का संदर्भ देते हैं, जिसमें विभिन्न ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शर्तों का उल्लेख है। उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार आपने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और इसके लिए प्रतिभूति प्रदान करने के बाद इनका उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आगे बताया गया है। विभिन्न ऋण/ऋण सुविधा खातों में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए सृजित प्रतिभूति हित निम्नानुसार हैं:

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार	सीमा	ब्याज की दर	30.06.2024 तक के बकाया और 01.07.2024 से भावी ब्याज और एनपीए की तारीख से वसूली तक अन्य लागत, शुल्क और व्यय	प्रतिभूति के संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिभूत समझौता
गृह ऋण खाता 89790600000220	रु. 1,04,00,000/–	10.15% प्रति वर्ष मासिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात एमसीएलआर 8.80% (वर्तमान में) + क्रेडिट स्प्रेड 1.35% = 16.02.24 को वार्षिक समीक्षा के समय 10.15% तथा डिफॉल्ट की तिथि से 2% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज	रु. 89,99,465/–	आवासीय डुप्लेक्स II, मकान नं. 18, ब्लॉक डुप्लेक्स II का समस्त भाग, सेक्टर 82 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. में स्थित, माप 160.05 वर्ग मीटर, श्रीमती स्वाति नागर पत्नी संदीप नागर के नाम पर

2. दिनांक 30.10.2023 के ऋण स्वीकृति पत्र में आपने 30.10.2023 तक बैंक के प्रति 93,10,657/– रुपए की देनदारी स्वीकार की है।
3. जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आप संदीप नागर के आवास ऋण (एनपीए खाता) में सह आवेदक हैं, खाता संख्या 89790600000165 है, स्वीकृत राशि 2,03,00,000/– है। बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, संदीप नगर के एनपीए खाते के कारण आपका गृह ऋण 'स्वाति नागर' भी रद्द कर दिया गया है।
4. आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 30.06.2024 को आपकी ऋण खाता को गैर–प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे बार–बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने अधिबकाया, ऋण तथा उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया।
5. ऊपर पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा आपकी खाता को एक गैर–प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित 30.06.2024 तक कुल रु. 89,99,465/– (रुपये नवासी लाख निन्यानबे हजार चार सौ पैंसठ मात्र) का पूर्ण भुगतान एवं अपनी देयताओं का निस्तारण करें। हम पुनः आपको सूचित करते हैं कि यदि भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित राशि के भुगतान में आप विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे। कृपया, इसका ध्यान रखें।
6. कृपया ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधा के लिये ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उपचयित होती रहेगी।
7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम 13 की उप–धारा (13) के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) ऊपर पैरा 1 में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण करने से आप वंचित हैं। हम पुनः सूचित करते हैं कि उक्त अनुबंध की धारा 13(13) में शामिल उपरोक्त प्रावधान की अवज्ञा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
8. हम पुनः आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि आप सार्वजनिक नीलामी/ कोटेशन/ निविदा आमंत्रित करने/ निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना के प्रकाशन के बाद आपको प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।
9. कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह–रहित है तथा इसे लिमिटेशन रहित, हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार सहित हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों को छूट देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

अधिकृत प्राधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
शाखा कार्यालय : सर्कल सस्त्र केंद्र,
पता : प्लॉट नं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32, गुरुग्राम–122001
ईमेल : cs8230@pnb.co.in

ई–नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनागत / भौतिक / साँकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक / प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिये, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, निम्न तालिका में संबंधित संपत्तियों के समक्ष अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणकर्ता / गारंटरों का नाम एवं पता, खाता	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण / स्वामी का नाम (संपत्ति(यों) के बंधककर्तागण)	क) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / ख) .... के अनुसार बकाया राशि / ग) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(4) के तहत अधिग्रहण तिथि / घ) अधिग्रहण की प्रकृति साँकेतिक/भौतिक/रचनागत	ड.) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / च) धराज (धराज जमा की अंतिम तिथि) / छ) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि / समय / संपत्ति आईडी एवं अक्षाँश, देशाँतर	प्रतिभूत ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभारों के विवरण / प्राधिकृत अधिकारी
1.	314500–सुखराली (हरियाणा) मैसर्स पराग एलाइड केमिकल्स, प्रोप.– श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, मकान नं.– 1499, सेक्टर–21, गुरुग्राम–122016, अन्य पता :– खसरा नं.–130, मौजा ओगली, काला अंब, द–नाहन, जिला – सिरमौर, हिमाचल प्रदेश–173030, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, दीपांशु गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, योगिता गुप्ता पुत्री श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सोनिया गुप्ता पुत्री श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, कविता गुप्ता पुत्री श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सभी श्रीमती कमलेश गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी हैं	मकान 1499 सेक्टर 21 गुड़गांव कुल क्षेत्रफल 179 वर्ग गज श्रीमती कमलेश गुप्ता पत्नी श्री प्रमोद गुप्ता के नाम पर। संपत्ति की सीमा, उत्तर– मकान नं. 1500, पूर्व– सड़क, पश्चिम– दिल्ली क्षेत्र, दक्षिण– मकान नं. 1498	क) 19.01.2015 ख) रु. 1,26,18,987.00 दिनाँक 31.12.2014 के अनुसार ब्याज + भावी ब्याज तथा अन्य शुल्क ग) 02.05.2015 घ) साँकेतिक	ड.) रु. 242.66 लाख च) रु. 24.27 लाख (05.09.2024) छ) रु. 1.00 लाख	06.09.2024 को मध्या. 11.00 से अप. 04:00 बजे PUNB0HEM001688	हमें ज्ञात नहीं / श्री प्रवीण कुमार सम्मी, मुख्य प्रबंधक, 8527977711

नियम एवं शर्तें : विक्रय, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होगा : (1) संपत्तियों का विक्रय, "जैसी हैं जहां हैं आधार", "जैसी हैं जो हैं आधार" और "वहां जो कुछ भी हैं आधार" पर किया जा रहा है। (2) यहां इसमें उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संवर्णित किए गए हैं, तथापि प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में होनेवाली / हुई किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। (3) विक्रय, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट **https://ebkray.in** पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा। (4) विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया **https://ebkray.in – www.pnbindia.in** का संदर्भ ग्रहण करें। (5) सभी वैधानिक बकाया / सहायक शुल्क / पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर / किसी भी प्राधिकरण शुल्क आदि सहित अन्य बकाया राशि का भुगतान क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क, ऋणभार के अंतर्गत के ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति (ई–नीलामकृत) के संबंध में देय किसी अन्य बकाया के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकायों, बिजली के बकायों इत्यादि सहित संपत्ति पर ऋणभार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत सांविधिक विक्रय सूचना

दिनाँक : 17–08–2024, स्थान : गुरुग्राम — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता

कल्पमेधा

सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि तुमने किससे, कहां, क्या कहा था।

– राबर्ट बेर्न्स

जो दिखता है वैसा नहीं है

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> **सभी ने सोचा था कि 'शार्टसेलर', हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को जनवरी 2024 में चुपचाप दफना दिया जाएगा, लेकिन 'शार्टसेलर' अगस्त 2024 में फिर से सुर्खियों में आया, जब उसने 'सेबी' की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ आरोप लगाए।**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के खुलते आख्यान ने व्यापार और वित्तीय जगत का ध्यान आकर्षित किया है। शर्लक होम्स ने कहा था, 'अगर आप अंधविश्वास, नाटकीयता और अराजकता को हटा दें, तो आपके पास सिर्फ बेजान तथ्य रह जाएंगे।' इस आख्यान में अंधविश्वास यह है कि सरकार हमेशा आम लोगों के हक में बोलती और काम करती है। नाटकीयता यह है कि आख्यान में बड़े व्यवसाय छोटे निवेशकों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं और अंत में सबक यह कि हमें खून-खराबे से बचना चाहिए। अराजकता इस अर्थ में है कि बहुत-से लोग बहुत-सी आवाजों में बोलते हैं और नतीजा सिर्फ शोर होता है।

अगर आप अंधविश्वास, नाटकीयता और अराजकता को हटा दें, तो आपको सच्चाई नजर आ जाएगी। मुख्य प्रश्न यह था कि एक व्यावसायिक समूह में निवेश का स्रोत क्या था? समूह ने इनकार किया कि उसने कोई गलत काम किया है और दावा किया कि सारा पैसा वैध था। संदेह करने वालों ने आरोप लगाया कि पैसा 'ओवर-इनवाइसिंग' और 'राउंड-ट्रिपिंग' के जरिए आया, और वह अवैध था। 'सेबी' ने मामले की जांच की और रपट दी कि उसे प्रथम दृष्टया कुछ भी गलत नहीं मिला, मगर संदेह करने वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सप्रे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति से जांच कराने और रपट देने को कहा।

समिति ने क्या पाया

न्यायमूर्ति सप्रे समिति ने जो पाया- और वह जो नहीं खोज सकी- वह महत्त्वपूर्ण है। समिति ने पाया कि बारह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) सहित तेरह विदेशी निवेशक शामिल थे। हर एफपीआइ के 'लाभ उठाने वाले मालिक' के बारे में खुलासा किया गया था, लेकिन अंतिम लाभ कमाने वाले मालिक- शृंखला में अंतिम वास्तविक व्यक्ति- का खुलासा नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि अंतिम वास्तविक व्यक्ति के बारे में खुलासा करने की आवश्यकता 2018 में समाप्त कर दी गई थी! फिर भी, 'सेबी' ने दावा किया कि उसने अक्तूबर 2020 से तेरह विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व की जांच की थी, मगर उसे कोई नतीजा नहीं मिला। समिति की टिप्पणी तीखी थी: 'ऐसी जानकारी न मिल पाने की वजह से 'सेबी' खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसे लेकर उठे संदेह को निर्मूल किया जा सकता है। प्रतिभूति बाजार नियामक को गड़बड़ी की आशंका है, लेकिन साथ ही उसे संबंधित विनियमों में विभिन्न शर्तों का अनुपालन भी मिलता है। इसलिए, रेकार्ड से मुर्गी और अंडे वाली स्थिति का पता चलता है।

इससे जुड़े सवाल पर कि क्या निवेशक या उनके लाभ पाने वाले मालिक निवेशक कंपनियों के 'संबंधित पक्ष' थे, समिति ने पाया कि 'संबंधित पक्ष' और 'संबंधित पक्ष लेनदेन' जैसे शब्दों में नवंबर 2021 में काफी हद तक संशोधन किया गया था, लेकिन संभावित प्रभाव के साथ, कुछ 1 अप्रैल, 2022 से और कुछ 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुए! इस पहलू पर समिति की टिप्पणी भी उतनी ही तीखी थी: 'संभावित रूप से स्पष्ट शर्तें बनाने का रास्ता अपनाने के बाद, संबंधित पक्ष लेनदेन को नियंत्रित करने वाले लेनदेनों में अंतर्निहित सिद्धांतों का परीक्षण करने की व्यावहारिकता खत्म हो गई है।'

समिति का अंतिम निष्कर्ष था कि '... ऐसा लगता है कि एफपीआइ के स्वामित्व ढांचे पर 'सेबी' की विधायी नीति एक दिशा में आगे बढ़ी है, जबकि 'सेबी' द्वारा प्रवर्तन विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है।'

सेबी ने जांच जारी रखी

फिर भी, सेबी ने चौबीस विशिष्ट मामलों में अपनी जांच जारी रखी। जब समिति ने अपनी रपट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी, तो अदालत ने दलीलें सुनी और 3 जनवरी, 2024 के आदेश में 'सेबी' की कार्रवाई को बरकरार रखा। अदालत ने 'सेबी' को तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया। अब सात महीने बीत चुके हैं।

हितों का टकराव

सभी ने सोचा था कि 'शार्टसेलर', हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को जनवरी 2024 में चुपचाप दफना दिया जाएगा, लेकिन 'शार्टसेलर' अगस्त 2024 में फिर से सुर्खियों में आया, जब उसने 'सेबी' की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ आरोप लगाए। सुश्री बुच को अप्रैल 2017 में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था। अपना कार्यकाल पूरा करने और एक अंतराल के बाद, उन्हें 1 मार्च, 2022 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब 2018 और 2021-24 में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए, तो सुश्री बुच 'सेबी' में निर्णय लेने वाले पद पर थीं। सुश्री बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोप लगे हैं। ऐसा लगता है कि उनके और उनके पति के उन संस्थाओं में आर्थिक हित जुड़े थे, जिनकी 'सेबी' द्वारा जांच की गई थी और न्यायमूर्ति सप्रे समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। सुश्री बुच ने अपने निवेश को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्टीकरण भी दिया कि वे तब किए गए थे जब वे और उनके पति निजी नागरिक थे; उन्होंने 'सेबी' में नियुक्ति के बाद उन्होंने निवेश को भुनाया था; और संबंधित कंपनियां उसके तुरंत बाद निष्क्रिय हो गई थीं। मुद्दा यह नहीं है कि सुश्री बुच की ओर से कोई गलत काम किया गया था या वास्तव में हितों का टकराव था।

मुद्दा यह नहीं है कि क्या सरकार व्यवसाय समूह को बचाने के लिए सुश्री बुच को बचा रही है। बल्कि, यह मुद्दा बहुत सरल और सीधा है कि क्या सुश्री बुच ने अपने पिछले संबंधों और कार्यों- और संभावित हितों के टकराव- का खुलासा 'सेबी', सरकार, न्यायमूर्ति सप्रे समिति और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किया? जाहिर है, नहीं। न ही सुश्री बुच ने जांच से खुद को अलग किया।

यह मानते हुए कि सभी तथ्य सुश्री बुच के पक्ष में हैं, कम से कम उन्होंने एक गंभीर और दोषपूर्ण गलती की है। उन्हें मामले का खुलासा करना चाहिए था और खुद को मामले से अलग कर लेना चाहिए था। उनकी भागीदारी ने जांच को कलंकित किया है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और आरोपों की नए सिरे से जांच होनी चाहिए।

फीकी पड़ती चमक

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> **'इंडिया शाइनिंग' अभियान ने मतदाताओं में यकीन पैदा करने की कोशिश की थी कि भारत अब उस जगह पहुंच गया है जहां वह उज्ज्वल दिखने लग गया है। जब आम मतदाताओं ने अपनी बदहाल बस्तियों में यह बात सुनी तो उनको विश्वास हो गया था कि सत्ता के आला गलियारों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होनेवाली है। यही गलती मोदी कर रहे हैं।**

बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन उनको यकीन हो गया था कि अगले लोकसभा चुनावों के बाद वे प्रधानमंत्री बनेंगे। यही अगस्त का महीना था, जब मुझे अहमदाबाद आने का बुलावा मिला था। मैंने अपने इंडियन एक्सप्रेस वाले स्तंभ में लिखा था कि लटयंस दिल्ली के बाशिंदे कांपने लग गए हैं इस डर से कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनकर आते हैं उनके इस देश के सबसे महत्त्वपूर्ण लोगों के रिहाइशी इलाके में, तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। मोदी को लेख पसंद आया, इसलिए मुझे बुलाया गया उनसे बातचीत करने।

सोचकर यह गई थी कि इस मुलाकात में उनके कुछ अफसर भी होंगे, लेकिन अकेले में बातचीत हुई थी उनके दफ्तर में। इस बातचीत के दौरान न उस कमरे के अंदर कोई आया और न किसी का मोदी को फोन आया। थोड़ी हैरान हुई मैं जब उन्होंने मुझसे सुझाव मांगे कि उनकी सरकार बनने के बाद क्या करना चाहिए देश में परिवर्तन लाने के लिए। हैरान हुई जब मैंने सुझाव दिए और उन्होंने ध्यान से मेरी बातें सुनीं। मैंने उनको वही कहा, जो शायद आप भी कहते अगर मेरी जगह होते। सुझाव मेरी तरफ से थे कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में जो गलतियां हुई हैं, उनको पहले सुधारने का काम होना चाहिए। यह भी कहा कि मेरी राय में सबसे बड़ी गलतियां हुई हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। जब तक सरकारी स्कूल ऐसे रहेंगे, जिनमें देश के बच्चों को असली शिक्षा नहीं मिलेगी और सरकारी अस्पताल ऐसे कि सेहतमंद लोग बीमार होकर निकलते हैं, तब तक विकसित, समृद्ध भारत का सपना केवल सपना ही रहेगा।

इस बार जब मैंने लालकिले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण सुना, तो मन में एक सवाल घूमता रहा: वे मोदी कहां खो गए हैं, जो मुझे दस वर्ष पहले मिले थे? माना कि सत्ता अच्छे भले लोगों को बिगाड़ डालती है, लेकिन जितना बदले हैं मोदी उतना बदलाव मैंने कम ही देखा है। जैसे भूल गए हैं हबीब जालिब का वह शेर जो राजनेताओं को खबरदार करने के लिए लिखा था। 'तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्तनशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यक़ीन था'। मोदी इस शेर को याद रखते तो कभी न कहते कि उनको लगता है कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है भारत को बचाने के लिए। इस बात को उन्होंने कहा था चुनाव अभियान के अंतिम दिनों में। मैं मानती हूं कि पूर्ण बहुमत इस बार न मिलने का एक अहम कारण यह बयान भी था।

लालकिले से जो इस बार उनका भाषण था उसने स्पष्ट किया कि मोदी के पांव अभी तक जमीन पर नहीं उतरे हैं। भाषण में उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की कि उनकी सरकार देश में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है कि हर क्षेत्र में सुधार दिखता है। चलिए बात शुरू करते हैं सरकारी स्कूलों से। क्या मोदीजी जानते नहीं हैं कि उनके मुख्यमंत्री इतने व्यस्त रहे हैं सत्ता की शान का मजा लेने में कि उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। आज भी देश के बच्चे इन स्कूलों से अशिक्षित निकलते हैं।

ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री को खबर यह भी नहीं है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी कोई सुधार नहीं आया है। वरना यह नहीं कहते कि वे चाहते हैं कि देश में विश्वविद्यालय इतने अच्छे बन जाएं कि हमारे बच्चों को विदेशी कालेजों में जाना न पड़े। वह दिन अभी इतना दूर है कि क्षितिज पर नहीं दिखता है। शायद यह भी जानते नहीं हैं कि उनके शिक्षामंत्री ने कहा था कि एनईईटी में कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुए हैं और फिर जब पूरी जानकारी मिली तो उनको मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा का हाल वही है प्रधानमंत्री, जो आपके आने से पहले था।

इस बार वाले भाषण ने मेरे लिए उज्ज्वल भारत अभियान की यादें ताजा कर दीं। यह वही अभियान था, जिसकी वजह से अटलजी 2004 में चुनाव हारे थे। 'इंडिया शाइनिंग' अभियान ने मतदाताओं में यकीन पैदा करने की कोशिश की थी कि भारत अब उस जगह पहुंच गया है जहां वह उज्ज्वल दिखने लग गया है। जब आम मतदाताओं ने अपनी बदहाल बस्तियों में यह बात सुनी तो उनको विश्वास हो गया था कि सत्ता के आला गलियारों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होनेवाली है। यही गलती मोदी कर रहे हैं जब लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि उन्होंने आदिवासियों और गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाकर दिखाया है। ऐसा नहीं है मोदीजी।

आपने उनको गैस के सिलेंडर दिए हैं उज्ज्वला योजना के जरिए, लेकिन यह नहीं देखा है कि उनके पास क्षमता नहीं है दूसरा सिलेंडर खरीदने की। मुफ्त अनाज जरूर मिलता है गरीबों को, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बिजली-पानी हर घर में आ गया है तो गलत सोच रहे हैं। न ही निर्माण हुआ है अभी तक उन 'स्मार्ट सिटीज' का, जिनकी बातें आप कर रहे हैं। रही बात स्वच्छता की, तो इस अभियान का भी पैसा जाम-सा हो गया है पिछले कुछ सालों में। अच्छी बात है बार-बार याद दिलाना कि 2047 में भारत विकसित देश होने जा रहा है, लेकिन यह कैसे होगा जब उन बुनियादी चीजों का अभाव रहेगा, जो विकसित देशों में सबके पास होती हैं। विकसित देशों के राजनेता बिजली-पानी, पोषण-मकान की बातें भी नहीं करते हैं इसलिए कि जानते हैं कि ये सब चीजें दशकों से उपलब्ध हैं उनके देशवासियों के जीवन में।

आपने अगर प्रधानमंत्री का भाषण टीवी पर देखा होगा तो यह भी देखा होगा कि न तालियां बजीं लोगों से और न ही खुशी के नारे गूंजे। एक मायूसी-सी दिखी जो सच पूछिए आज मेरे दिल में भी है।

लोकतंत्र की चैतन्यता

मुद्दा

जगमोहन सिंह राजपूत

> **कोई भी समन्वित जनसमूह या समुदाय वैचारिकता में पूरी तरह कभी एकमत नहीं हो सकता, मगर हर सभ्य और सुसंस्कृत समाज यह अच्छी तरह जानता और समझता है कि लोकहित में सर्वसम्मत निर्णय क्यों आवश्यक हैं, कैसे लिए जाते हैं, और पारस्परिक आदर और सम्मान इसमें कितना सहायक हो सकता है।**

दूसरे महायुद्ध के बाद जितने भी देश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुए, उनमें से अधिकतर ने लोकतंत्र की आवश्यकता को स्वीकार किया। उपनिवेशवाद से छुटकारा अनेक प्रकार के त्याग, बलिदान और संघर्ष के बाद मिला था। स्वतंत्र होने के समय इन देशों को गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, साधनहीनता, विशेषज्ञों की कमी जैसी कितनी ही कठिन चुनौतियां विरासत में मिली थीं। इन सबके समाधान के लिए जिस अनुभव की आवश्यकता थी, वह भी उपलब्ध नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुए सेनानियों ने ही अपने-अपने देश में पहली बार सत्ता संभाली। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि ज्यादातर से 'सत्ता संभली नहीं'! आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजकीय कर्मचारी उस मधुमक्खी की तरह होंगे, जो छत्ते में मधु बढ़ाती तो है, मगर कुछ न कुछ उसके पंखों में भी लगा रहता है! सत्ता के शीर्ष पर बैठे नायक भी इससे बच नहीं सके।

ऐसी स्थिति जहां-जहां पनपी, लोकतंत्र विफल हो गया, सत्ता पर सेना या निरंकुश तानाशाहों का आधिपत्य हो गया। प्राचीन भारत की विरासत में निहित 'सर्वे भवंतु सुखिनः' का प्रभाव और गांधी द्वारा आजादी के आंदोलन में प्रचार-प्रसार और व्यावहारिक उपयोग का उदाहरण सत्ता में आए लोगों के मन-मस्तिष्क पर स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में भी बना रहा। उनकी कर्मठता और समर्पण भावना सत्ता में आने पर भी डिगी नहीं, इसीलिए भारत में लोकतंत्र की जड़ें ठीक से जमीं, और विश्व ने उसे स्वीकर किया। समय के साथ पीढ़ियां बदलीं, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण बदले; भारत में भी सत्ता का प्रभाव लोगों और विशेषकर जन-प्रतिनिधियों को संग्रहण और संचय की ओर ले गया- मधुमक्खियों ने अपने पंखों का अधिकाधिक मधु अपने और अपनों के लिए छत्ते से दूर ले जाकर सहेजना शुरू कर दिया।

गांधी चाहते थे कि हर कोई पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की ओर देखे और सोचे कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। अधिकांश लोगों नें इसे भुला दिया, अपने से आगे वाले की ओर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया और वे सभी उपाय करने लगे, जिससे वे साधन संपन्नता में किसी से पीछे न रहें। इस सोच में नैतिकता, मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पूरी तरह अनुपस्थित था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रनीति की वस्तुनिष्ठ संकल्पना, निर्माण और उसका ईमानदार क्रियान्वयन व्यावहारिकता में ढूंढ़ पाना लगभग असंभव हो जाएगा। जब स्वार्थपरकता बढ़ेगी तो निश्चित ही लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं रह पाएंगी। लोकतंत्र के विकास की पहली शर्त यही है कि लोगों का उसकी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास हो।

लोकतंत्र की अवधारणा तभी सजीव हो सकती है, जब हर नागरिक सजग और सतर्क रह कर अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझे और उसका निर्वाह करने में उसे गर्व और गौरव का भान हो। कोई भी समन्वित जनसमूह या समुदाय वैचारिकता में पूरी तरह कभी एकमत नहीं हो सकता, मगर हर सभ्य और सुसंस्कृत समाज यह अच्छी तरह जानता और समझता है कि लोकहित में सर्वसम्मत निर्णय क्यों आवश्यक हैं, कैसे लिए जाते हैं, और पारस्परिक आदर और सम्मान इसमें कितना सहायक हो सकता है। जहां भी ऐसा नहीं होगा, वहां सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण क्रियान्वयन में शंका, शिथिलता और अकर्मण्यता ही हावी रहेंगे। जहां निर्णय लेने या किसी भी कार्य को पूरा करने में कर्मठता और समर्पण के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थ प्राथमिकता पाएंगे, वहां गुणवत्ता की अपेक्षा का कोई अर्थ नहीं बचेगा। जब भी सरकारी तंत्र की समझ नियमों, उपनियमों और व्यक्तिगत स्वार्थ की परतों में जकड़ जाती, संवेदनशीलता मंद हो जाती है, तब वहां लोकतंत्र की आत्मा जैसी सोच और समझ का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। इस सबका खमियाजा लोक यानी लोगों को ही भुगतना पड़ता है।

अपेक्षा तो यही है कि लोकतंत्र की आत्मा को समझ कर ही कोई व्यक्ति लोकसेवा के क्षेत्र में उतरना चाहेगा। यानी वह अन्य की सेवा के भाव से लोकजीवन में अपने को उतारेगा! वे ऐसे लोग ही थे जिनके कारण भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चला और सफल हुआ। राष्ट्रनिर्माण, विकास और प्रगति के लिए अब ऐसा हो पाना असंभव-सा क्यों लगाने लगा है? अगर जनप्रतिनिधि बनने की उत्कंठा राजनीति को एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय मानकर जागृत हुई हो, तो व्यक्ति के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारण में प्राथमिकता स्वयं और अपनों की होगी, अन्य की नहीं, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की नहीं! इसका अर्थ यह नहीं है कि निस्वार्थ सेवा करने वाले पूरी तरह अनुपस्थित हैं, चिंता इसकी है कि उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। भारत के लोकतंत्र की जो भी व्यावहारिक स्थिति बनी है, लोक और उसके चयनित प्रतिनिधियों के आपसी संबंध जैसे भी हैं, राष्ट्रहित की अपेक्षाओं को कभी नैराश्य-भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। कितनी ही बार एक व्यक्ति अपनी लगनशीलता से इतिहास बदल देता है, बना देता है। भारत में ऐसे मनीषियों की कभी कोई कमी नहीं रही है।

लोकहित के लिए लोक की भागीदारी पहली शर्त है। इस भागीदारी के लिए जनप्रतिनिधि और उसके मतदाता के बीच जीवंत संबंध बनाना पहली आवश्यकता है। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए इनकी समझ आवश्यक है। यह समझ तभी अंकुरित होती है, जब व्यक्ति के मन-मानस में भारत की संस्कृति से निकले शाश्वत स्वीकार्य 'सर्व बहुत हिते रतः' जैसे जीवन-सूत्र अंतरतम तक अंकित हो जाएं।

सांप्रदायिक बनाम धर्मनिरपेक्ष संहिता

बाखबर

सुधीश पचौरी

> **कई चैनलों में आई 'हिंडनबर्ग' की नई रपट और फिर विपक्ष की मांग कि 'सेबी' अध्यक्ष इस्तीफा दें, अडाणी को फायदा पहुंचाया, ये है सदी का सबसे बड़ा 'घोटाला', सरकार जवाब दे, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इसका 'स्वत: संज्ञान' ले, जांच करे।**

बांग्लादेश में 'हिंदू संहार' की खबरों पर कुछ कथित उदारवादियों का एक आंसू न गिरा। एक 'फिरंग' ने एक लेख के जरिए इसका 'सामान्यीकरण' किया कि हिंदुओं से 'बदला' लिया जा रहा है। एक ओर 'हमदर्दी' की जगह ऐसी 'बेदर्दी' और दूसरी ओर अपने नेताओं का ऐसा 'छुई-मुई' का भाव कि नाम लेते ही बिफर जाएं कि मेरा नाम कैसे लिया? मेरा अपमान किया। फिर एक 'नाम' लिया गया, फिर एक नाम लेने पर विरोध हुआ, फिर बात 'भाव भंगिमा' पर आई, फिर 'स्त्रीद्वेषी-स्त्रीद्वेषी' हुआ, फिर 'वाकआउट' हुआ, फिर बात निंदा प्रस्ताव तक पहुंचने लगी कि सत्र स्थगित हो गया वरना, फिर एक 'वाकयुद्ध' छिड़ता। एक बहस में एक कहिन कि ये जो चाहे बोलें, कोई जरा-सा बोले तो आफत। दूसरे कहिन कि कोई बताए कि किसको किस नाम से पुकारें कि कोई 'अपमानित' महसूस न करे।

एक बोला कि दोस्तों के बीच होड़ चल रही है कि कौन कितनी बड़ी खबर बना सकता है। फिर कई चैनलों में आई 'हिंडनबर्ग' की नई रपट और फिर विपक्ष की मांग कि 'सेबी' अध्यक्ष इस्तीफा दें, अडाणी को फायदा पहुंचाया, ये है सदी का सबसे बड़ा 'घोटाला', सरकार जवाब दे, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इसका 'स्वतः संज्ञान' ले, जांच करे। इसके जवाब में सत्ता के 'पक्ष प्रवक्ता' बताते रहे कि इस रपट के पीछे फिर उसी 'शार्टसेलर' सोरोस का हाथ है जो पहले किसी कंपनी को गिराता है, फिर गिरे दाम पर उसके शेयर खरीदता है और फिर महंगा कर बेचता है।

पक्ष प्रवक्ता कहे कि ऐसे ही आरोप कुछ महीने पहले लगे थे, जिनको 'जांच' में असत्य पाया गया। निशाने पर लिए जाते अडाणी ने कहा कि 'सेबी' ने हमारे यहां पैसा नहीं लगाया। यही बात 'सेबी' की अध्यक्ष ने कही कि 'सेबी' ने पैसा निवेश नहीं किया, कि एक प्रवक्ता ने कहा कि यह सब भारत के बाजार को अस्थिर करने की साजिश है... कुछ लोग भारत का विकास नहीं चाहते। एक बहस में एक पूर्व 'सेबी' अधिकारी ने दो टूक कहा कि ये रपट रद्दी की टोकरी के लायक है। इस पर एक पत्रकार कहिन कि कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि 'सेबी' को लेकर आए सारे आरोप-प्रत्यारोप चैनलों से ऐसे गायब हो गए, जैसे गधे के सिर से सींग।

फिर एक भयानक खबर आई कोलकाता से, जहां एक अस्पताल में आधी रात को एक महिला डाक्टर का 'सामूहिक बलात्कार' किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद लगभग हर खबर चैनल इस जघन्य अपराध की रपटों से भर गया। एक ओर प्रशासन का 'डैमेज कंट्रोल' चला, दूसरी ओर इसके विरोध में डाक्टरों की दो 'आल इंडिया एसोसिएशनों' के 'धरने' व 'प्रदर्शन' चले। पुलिस द्वारा जांच में की गई कोताही की खबरों ने पीड़ित के घर वालों को अस्पताल द्वारा इसे 'आत्महत्या' बताने, लेकिन पोस्टमार्टम रपट में इसे 'बर्बर सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्या' बताने ने इस सारे दुष्कांड की 'क्रूर सचाई' को सामने ला दिया। फिर भी कुछ प्रवक्ताओं द्वारा देर तक 'विक्टिम शेमिंग' की जाती रही। खबरें बताती रहीं कि इस मेडिकल कालेज के प्राचार्य को तुरंत दूसरे कालेज में स्थानांतरित किया गया।

फिर एक दिन हाई कोर्ट द्वारा इस घटना की जांच के लिए मुकदमा सीबीआइ को सौंपा गया। जाहिर है कि डाक्टरों के लगातार विरोध प्रदर्शनों ने इतना दबाव बनाया कि शासक दल के एक नेता तक को कहना पड़ा और (और तुरंत प्रवक्ता पद खोना पड़ा) कि जांच में कोताही हुई है। एक रात उन्मादी भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर जम कर तोड़-फोड़ की और धरने पर बैठे डाक्टरों को मारा-पीटा। भीड़ इस कदर आक्रामक दिखी कि पुलिसवाले तक जान बचाकर भागे। एक एंकर ने कहा कि यह 'भीड़ तंत्र' है। लेकिन यही तो है अपना 'जनतंत्र प्रेम' और 'संविधान प्रेम' सर जी!

फिर एक दिन एक चैनल पर ट्रंप के साथ 'एक्स' पर एलन मस्क की एक 'बातचीत' तक ऐसे ही 'जनतंत्र' में 'प्रतिबंधित' कर दी गई। एक कहे कि बातचीत 'आपत्तिजनक' है, दूसरे कहे कि कुछ भी 'आपत्तिजनक' नहीं है। एक कहे कि ट्रंप 'जन्मजात झूठ्ठा' है। एक देसी भी कहे कि ट्रंप 'झूठा' है, 'जाली' है, 'ध्रुवीकरण' करता है।

फिर आया 'अठहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस'! एक बार फिर वही प्रधानमंत्री और उनका लालकिले से संबोधन और एक-एक कर भविष्य का एजंडा खोला जाता हुआ। बहुत सी घोषणाओं के साथ यह भी घोषित किया गया कि अब तक हम एक 'सांप्रदायिक नागरिक संहिता' में रहते आए हैं, हमें चाहिए 'धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता', जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इस तरह आगे का एजंडा दे दिया गया। इसके साथ ही एक बड़े विपक्षी दल की शिकायत आई कि विपक्ष के नेता को लालकिले पर पीछे की सीट पर क्यों बिठाया गया... जवाब आया कि ओलंपिक खिलाड़ियों को आगे बिठाने के कारण उनको पीछे बिठाया गया... और फिर इस दिन के इंतजाम की जिम्मेदारी 'रक्षा मंत्रालय' की होती है!

ये संदेश देना चाहते थे कि तुम्हारे घर पर कभी भी कोई एजंसी पहुंच सकती है। हम किसी को भी जेल भेज सकते हैं। इन्हें अहंकार था कि ये भगवान से भी ऊपर हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दे दिया कि तुम लोग भगवान नहीं हो। सबसे ऊपर संविधान है। और, सबसे ताकतवर तो देश की जनता है जिसने इन लोगों को संदेश दे दिया। लोकसभा चुनाव में इन्हें पटखनी दे दी।

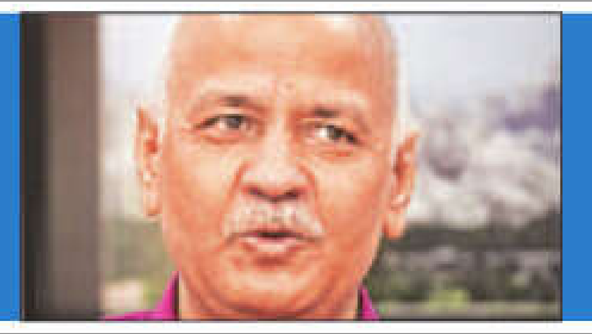

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खत्म होगा तानाशाही का माहौल

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि शराब घोटाला भाजपा की लिखी मनोहर कहानी है जो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से लिखी गई। उनका आरोप है कि भाजपा को पता था कि उसकी दो सौ सीटें भी नहीं आएंगी इसलिए जिसे भी जेल में भेज सकते हो भेज दो। ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता कि एक कानून को राजनीतिक उगाही का जरिया बना कर किसी पार्टी के पूरे नेतृत्व को ही जेल भेज दिया जाए। दिल्ली के स्कूल से लेकर अस्पतालों को भाजपा शासित राज्यों से बेहतर बताते हुए उन्होंने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा। नई दिल्ली में सिसोदिया के साथ कार्यकारी संपादक *मुकेश भारद्वाज* की विस्तृत बातचीत के चुनिंदा अंश।

● कैसा लग रहा है खुली हवा में सांस लेकर?

●● बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। हवा तो वहां भी थी, लेकिन आसमान सीमित था। जेल परिसर की दीवारों के बीच लगता था कि दुनिया इतनी ही है। सत्रह महीने बहुत लंबा समय होता है।

● विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं दिल्ली में। ऊर्जा की यह भी तो एक वजह नहीं?

●● अभी तो बाहर आया ही हूं। उसके लिए तो ऊर्जा चाहिए ही। मेरे कहने का मतलब है कि एक पूरी साजिश रच कर मुझे जेल भेजा गया। साजिश करने वालों की अपनी सोच होगी कि इसे पूरी तरह तोड़ देंगे, इसकी ऊर्जा खत्म कर देंगे। जेल जाने के बाद लगा कि मेरे पास दो विकल्प हैं या तो टूट जाऊं या अपने सिद्धांतों पर और भरोसा बढ़ाऊं। मुझे यकीन था मैं बाहर आऊंगा और उन लोगों को नाउम्मीद करूंगा जो मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे।

● कैसे बनाए रखा अपना भरोसा?

●● जेल जैसी जगह पर जाकर, या जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आदमी या तो टूटता है या फिर मजबूती से खड़ा होता है। मेरे संस्कार, मेरा परिवार, मेरी पार्टी मेरे साथ थे। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि सिर्फ उठना नहीं है, मजबूत भी होना है। जेल के समय का सदुपयोग पढ़ाई में किया। खूब किताबें पढ़ीं। पिछले दस-पंद्रह वर्षों से सक्रिय राजनीति में आने के बाद पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाता था। खूब पढ़ा और ध्यान लगाया। मेरे पास जितनी किताबें थीं और जितनी मित्रों ने लाकर दी, जेल में मैं दस से ग्यारह घंटे किताबें पढ़ता था। इसके साथ ही ध्यान लगाया। मुझे लगता है कि दुनिया को भारत की ओर से ध्यान सबसे बेहतरीन तोहफा है। इसका खूब इस्तेमाल करना चाहिए।

● जब आप बाहर आए तो आपके समर्थक सत्य की जीत बता रहे थे। लेकिन, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आरोप अभी खत्म नहीं हुए हैं। किस दिशा में जाएगा आप पर लगा यह आरोप?

●● सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह बहुत अहम है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। एक तरह से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक उगाही के लिए कानून बना लिया। दुनिया भर में 'पीएमएलए' जैसे कानून हैं। दुनिया की अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल आतंकवादियों के मददगार, ड्रग माफिया के खिलाफ किया जाता है। लेकिन, हमारे यहां क्या हो रहा है? एक राजनीतिक दल जिसे जनता जिता भी रही है, जो केंद्रीय सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ 'पीएमएलए' का इस्तेमाल कर आप जेल में डाल देंगे। इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है। जो भी आपके खिलाफ है आप उसे जेल में डाल रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को डाला तो महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय का डर दिखा कर राजनीतिक दलों को तोड़ दिया। चुनावी चंदे वाले मामले में कितना बड़ा खुलासा हुआ कि व्यापारियों को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस जाते थे। फिर चुनावी चंदा आ जाता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह तानाशाही भरा माहौल खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिना मुकदमा चलाए हवा-हवाई अंतहीन जेल में नहीं रख सकते हैं।

● जेल जाने के बाद आप पर काफी हमला हुआ। आपके मुख्यमंत्री अभी जेल में ही हैं। आप शिक्षा के जिस विश्वस्तरीय ढांचे को लाने का दावा कर रहे थे उस पर भी हमला हुआ। आपके विरोधी क्या संदेश देना चाहते थे?

●● इनका पूरे देश में चंदे का जो धंधा चल रहा है सब उसी का खेल है। ये सभी को संदेश देना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए तो तुम्हारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जेल जा सकते हैं। ये संदेश देना चाहते थे कि तुम्हारे घर कभी भी कोई एजंसी पहुंच सकती है। हम किसी को भी जेल भेज सकते हैं। इन्हें अहंकार था कि ये भगवान से भी ऊपर हो गए हैं। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दे दिया कि तुम लोग भगवान नहीं हो। सबसे ऊपर संविधान है। और, सबसे ताकतवर तो देश की जनता है जिसने इन लोगों को संदेश दे दिया। लोकसभा चुनाव में इन्हें पटखनी दे दी। हम यही सुनते थे कि विपक्ष को जेल में डाला और मरवा दिया। ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये देश भर के दलों से नेताओं को अपने में शामिल कर रहे हैं। क्या ये ईमानदारी से हो रहा है? नेताओं के पास नोटिस पहुंचते हैं और वे भजन करते हुए आकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं।

● दावा है कि आपको भी भाजपा में आने का आमंत्रण मिला था?

●● जी बिल्कुल। यह तो ऐतिहासिक उदाहरण है कि किसी पार्टी के पूरे नेतृत्व को ही उठा कर जेल में डाल दिया। इस मुसीबत की घड़ी में पार्टी एकजुट रही। हम लोग बंद मुट्ठी की तरह रहे। पार्टी की एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है।

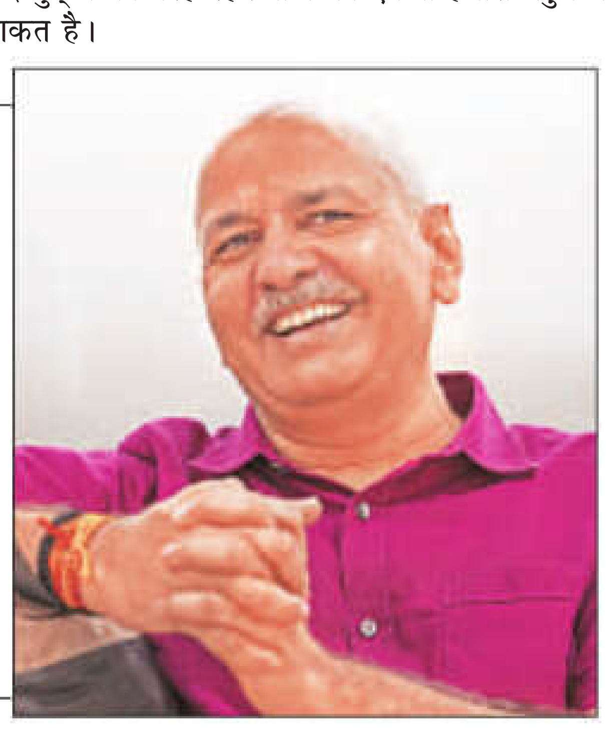

सुनीता केजरीवाल बहुत पढ़ी-लिखी जहीन महिला हैं। वे हमेशा अरविंद जी के पीछे खड़ी रहीं। अरविंद जी के जेल जाने के बाद पहली जरूरत यह थी कि उनका संदेश जनता तक पहुंचे। हमें गर्व है कि उन्होंने इस आपात स्थिति को इतने अच्छे से संभाला।

सिसोदिया क्यों

पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनौती बनी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगते ही इसके लिए राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इस आरोप ने मुख्यमंत्री सहित पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को जेल के अंदर भेज दिया। संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। अपनी जमानत को सिसोदिया तानाशाही का माहौल खत्म होने का आगाज मान रहे हैं। हरियाणा व महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। इन राज्यों के चुनाव के साथ दिल्ली में अपना किला बचाए रखना आम आदमी पार्टी के लिए लिए चुनौती है। अभी जबकि मुख्यमंत्री जेल में हैं शराब घोटाले से लेकर आम आदमी पार्टी के भविष्य पर बात करने के लिए सिसोदिया से बेहतर कौन होता?

● एक पक्ष यह भी है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के नेता दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार आई तो छह महीने के अंदर राबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। अब उन्हीं की हरियाणा सरकार ने कह दिया कि वाड्रा के खिलाफ कुछ नहीं है। लेकिन, इस दौरान व्यक्तिगत तौर पर जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई किससे मांगी जाए?

●● नुकसान तो व्यक्तिगत से ज्यादा देश का हो रहा है, जनता का हो रहा है। जो लोग काम करने की कूवत रखते हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके खिलाफ पूरे विपक्ष को इकट्ठा हो जाना चाहिए। लोकतंत्र की जरूरत किसे नहीं है? जो लोग उनके साथ चले गए हैं कायदे से लोकतंत्र की जरूरत तो उन्हें भी है। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो लोगों को इसके खिलाफ इकट्ठा होना होगा। चुनाव के लिए नहीं लोकतंत्र के लिए इकट्ठे हो जाएं। कल तक जो चंद्रबाबू नायडू जेल में थे उन्हें इसी तानाशाही में डाला था। इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट होना होगा।

● जेल में कौन सी बात सबसे परेशान कर रही थी? कोई मलाल कि मेरा यह काम अधूरा रह गया?

●● मैं अखबार पढ़ता था और टीवी से सूचनाएं मिलती थीं। या फिर पत्नी से बात और मुलाकात होती थी तो यह पता चलना सुकूनदेह था कि मैंने जो काम शुरू किया उसके संतोषजनक नतीजे आ रहे हैं। जिन स्कूलों की बुनियाद रखी थी उनके उद्घाटन हो गए। बीस नए स्कूल शुरू हो गए, 18 स्कूल आफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया। रक्षा का स्कूल हमने बनाया था तैयारी के लिए, उसमें सरकारी स्कूल से आठ-आठ बच्चे सेकेंड लेफ्टिनेंट बन गए पहली ही बैच से। यह कमाल था। देश के किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी स्कूल के 64 बच्चों में से 32 बच्चे एनडीए के लिए चुने गए। सरकारी स्कूलों से पढ़े बच्चे एनडीए की परीक्षा पास कर रहे हैं। यह सब देखना सुकूनदेह था।

● पर भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत काफी खराब हो गई है।

●● भाजपा यह बताए कि उसकी सरकार वाले राज्यों में कहां स्कूलों की हालत ठीक है? गुजरात सहित भाजपा शासित कोई भी राज्य उठा लीजिए। मैं सत्रह महीने जेल में रह कर आया हूं, उसके बाद भी चुनौती देता हूं भाजपा को कि आपका इतना लंबा शासन रहा है गुजरात में। आप अपने सौ बढ़िया स्कूलों के बारे में बताइए। मैं अपने आठ साल के शासन के स्कूलों को दिखा कर बता रहा हूं कि भाजपा शासित राज्यों के स्कूलों से बहुत बेहतर नतीजे दे रहे हैं। हमने देश की सेना में सामान्य परिवारों के आठ बच्चों को एक स्कूल से भेज दिया अफसर बना कर। हमारे स्कूलों के बच्चे आइआइटी और नीट की परीक्षा निकाल रहे हैं। भाजपा जनता को कुछ देना नहीं जानती। चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना ही इसका काम है। यह जनता का काम क्या करेगी जब जनता की चुनी हुई सरकार पर हमला करना इसका लक्ष्य बन गया है।

● हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। हरियाणा में आप पहले भी दखल दे चुके हैं। तो क्या रणनीति रहेगी आपकी खास कर हरियाणा में?

●● हमारी पार्टी की एक ही रणनीति है, जनता के लिए काम करना। राज्य सरकार चुनी जाती है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरियों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। हमने दिल्ली में यह सब जनता को दिया। दिल्ली के नतीजे देख जनता ने पंजाब में मौका दिया। पंजाब तो गहरे गड्ढे में डूबा हुआ था। वहां की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था के लिए मान साहब ने बहुत काम किया है। सरकारी नौकरियों से लेकर निजी नौकरियां देने में हम आगे रहे हैं। हरियाणा की जनता के पास हम यही कह कर जा रहे हैं कि वहां भी ये सब देंगे। हमारी यही मजबूती है कि हमें इतना तोड़ा गया फिर भी दिल्ली से लेकर सभी जगह हमारा काम नहीं रुका।

● हरियाणा में अकेले लड़ेंगे या 'इंडिया' गठबंधन के साथ किसी तरह का समझौता होगा?

●● इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था। आगे इस पर क्या होगा मैं अभी कुछ पुख्ता नहीं कह सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि एक महीने के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। अब हमारी पार्टी का राजनीतिक संकट खत्म होने वाला है।

लोकतंत्र की जरूरत किसे नहीं है? जो लोग उनके साथ चले गए हैं कायदे से लोकतंत्र की जरूरत तो उन्हें भी है। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो लोगों को इसके खिलाफ इकट्ठा होना होगा। चुनाव के लिए नहीं लोकतंत्र के लिए इकट्ठे हो जाएं।

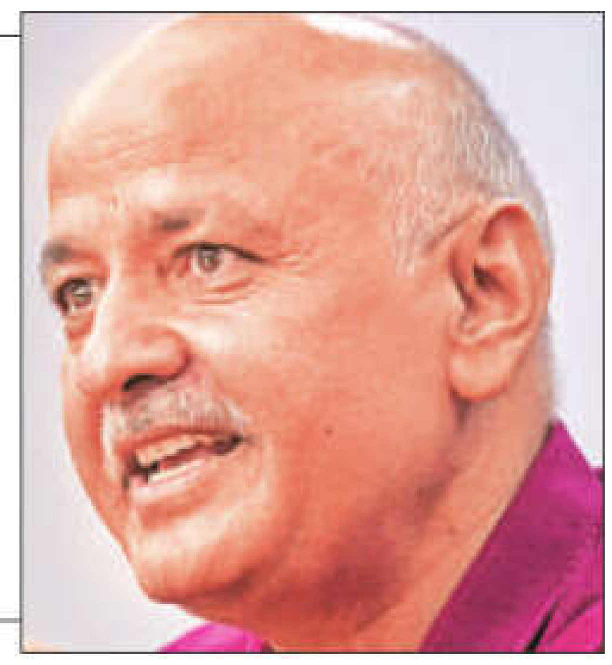

● तो क्या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पंजाब में प्रदर्शन इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि इसका शीर्ष नेतृत्व जेल में था?

●● इनकी कोशिशें यही थी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर डालो और चुनाव जीतो। इन्हें भी पता था कि इनकी 200 सीटें भी नहीं आएंगी। इसलिए इन्होंने मुहिम चलाई पूरे देश में कि जिसे भी अंदर कर सकते हो कर दो।

● पंजाब में आपके पुराने साथी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी खालिस्तान समर्थक लोगों से मदद ले रही है?

●● बकवास करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। पंजाब के लोग हम पर भरोसा कर हमें सरकार में लाए। इन हवा-हवाई आरोपों को क्यों तवज्जो दी जाए?

● महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी?

●● मैं अभी तो बाहर आया हूं। मैं कहीं न कहीं दिल्ली को लेकर केंद्रित हूं। महाराष्ट्र में हमारी टीम है। लेकिन अभी मेरा वहां की टीम से कोई संवाद नहीं हुआ है। निश्चित रूप से पार्टी का विस्तार होगा। आम आदमी पार्टी से पूरे देश को उम्मीद है।

● आरोप है कि आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति में आई थी उससे पीछे हट गई है। उदाहरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल के आवास का विवाद ही लीजिए।

●● केजरीवाल जी ने अपना निजी घर तो बना नहीं लिया। उपराज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक हैं उनमें क्या-क्या हुआ किसने देखा? यह मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। मुद्दा यह है कि जनता को स्कूल और अस्पताल मिल रहे हैं या नहीं? एक साल के अंदर दो करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लीनिक में इलाज करवाया है। जनता से जाकर पूछिए कि केजरीवाल ने चार कमरों के घर की जगह एक कमरा और बनवा लिया तो वह यही कहेगी कि यह सब बकवास छोड़िए। केजरीवाल सरकार हमारा इलाज करवा रही है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर रही है, हमारे घर में बिजली का बिल शून्य आ रहा है। स्कूल, अस्पताल नहीं बनवाए हों तो शिकायत करें।

● फिर जनकल्याणकारी योजनाओं के उलट 'आप' का अस्तित्व शराब घोटाले से कैसे जुड़ गया?

● यह भाजपा की साजिश है कि अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि को बर्बाद किया जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं किसी ढाबे पर बैठ जाइए तो लोग कहेंगे केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं। भाजपा ने एक मनोहर कहानी बनाई और हमारे ऊपर चिपकाने की कोशिश की। अफसोस मुझ पर भी यह कहानी चिपक नहीं पाई। मेरे बारे में सोचा कि आठ साल से वित्त मंत्री है, सत्तर हजार करोड़ का बजट देख रहे थे। पता नहीं इसके पास से क्या-क्या मिलेगा? इन्हें मेरे लाकर से वो झुनझुना मिला जो मेरे बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी नानी ने दिया था। छोटी सी दो चांदी की गणेश की मूर्ति मिली।

● अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को एक भूमिका दी। उसका क्या राजनीतिक संदेश था?

●● सुनीता केजरीवाल बहुत पढ़ी-लिखी जहीन महिला हैं। वे हमेशा अरविंद जी के पीछे खड़ी रहीं। अरविंद जी के जेल जाने के बाद पहली जरूरत यह थी कि उनका संदेश जनता तक पहुंचे। हमें गर्व है कि उन्होंने इस आपात स्थिति को इतने अच्छे से संभाला। अरविंद जी के बाहर आने के बाद स्थिति बदल जाएगी।

● आप दावा कर रहे हैं कि भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी? इस भरोसे का क्या आधार है?

●● मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा का बुरा दौर आने वाला है। दिल्ली छोड़ दीजिए पूरे देश में उसका बुरा दौर चल रहा है।

● अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर आने में लंबा समय लग गया तो क्या आप दिल्ली की कमान संभाल सकते हैं?

●● अरविंद जी पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। वे एक महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे।

● जेल से सरकार चलाना ऐसा चुनिंदा उदाहरण है जो नैतिक सवाल उठाता है। हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दे दिया था।

●● यह भी तो चुनिंदा उदाहरण है कि केंद्र किसी मौजूदा मुख्यमंत्री पर झूठे आरोप लगा कर जेल में भेज दे। किसी को घर से उठा लाए और कहे कि तुम्हारा बाप केजरीवाल के खिलाफ बयान देगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। फिर कोर्ट में कह दो हम तो ऐसे 'लालीपाप' देते रहते हैं। 'लालीपाप स्टेटमेंट' दिलवाओ और किसी को भी जेल के अंदर भेज दो। 'लालीपाप स्टेटमेंट', जेल व बेल के खेल से किसी सरकार को अस्थिर करने का इतना अनैतिक काम भी तो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था। इस्तीफा तो इन अनैतिक काम करने वालों को देना चाहिए जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई स्थिर सरकार के खिलाफ साजिश करते हैं।

प्रस्तुति : मृणाल वल्लरी
विशेष सहयोग: पंकज रोहिला

स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए समिति का गठन करेगी सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने को कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

मंत्रालय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक डाक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में देशभर में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि वे व्यापक जनहित में तथा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने काम पर लौट आएं। 'फेडरेशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन' (फोरडा), भारती चिकित्सा संघ (आइएमए) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों के 'रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन' के प्रतिनिधियों ने कोलकाता की घटना के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न संघों ने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अपनी मांगें रखी हैं।

मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने काम पर लौट आएं डाक्टर। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

बयान के मुताबिक, मंत्रालय ने मांगों को सुना और चिकित्सक संघ को स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। बयान में कहा गया कि संघ के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से अच्छी तरह परिचित है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि 26 राज्य पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। बयान में कहा गया कि विभिन्न संघों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर, मंत्रालय ने उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आइएमए ने कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान का अध्ययन कर रहा है, जिसमें डाक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है और इसके लिए उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति बनाने की पेशकश की गई है। आइएमए ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अपनी राज्य शाखाओं के साथ परामर्श करने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देगा। आइएमए ने एक बयान में कहा कि आइएमए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 मार्च, 2017 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन को याद करता है, जिस पर मंत्रालय के अधिकारियों और आइएमए ने हस्ताक्षर किए थे। इस कार्यालय ज्ञापन में अन्य राज्यों में लागू कानूनों के अनुरूप उक्त मुद्दे पर एक केंद्रीय अधिनियम लाने की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना तलाशने का आश्वासन दिया गया था।

आरजी कर के पूर्व प्राचार्य से सीबीआइ ने पूछा

पीड़िता की किस आधार पर 36-48 घंटे ड्यूटी लगाई गई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

सीबीआइ के अधिकारियों ने संदीप घोष से साप्ताहिक 'रोस्टर' के बारे में भी पूछा, जिसके अनुसार ड्यूटी लगाई गई थी।

कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डा संदीप घोष एक महिला चिकित्सक से कथित बलात्कार एवं उसकी हत्या के मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को लगातार दूसरे दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के समक्ष पेश हुए।

सीबीआइ के अधिकारियों ने घोष से साप्ताहिक 'रोस्टर' के बारे में भी पूछा गया, जिसके अनुसार पीड़िता की 36 घंटे या कभी-कभी 48 घंटे तक की ड्यूटी लगाई गई थी। एक अधिकारी ने कहा, घोष ने कुछ सवालों के जवाब घुमा-फिराकर दिए थे। सीबीआइ अधिकारियों का एक दल शनिवार दोपहर आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल गया और वहां कुछ जांच की। एक अधिकारी ने बताया कि वहां उन्होंने कुछ नमूने एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजंसी के अधिकारियों की एक अन्य टीम कोलकाता पुलिस की चौथी बटालियन के उस बैरक में गई जहां मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय राय रहता था। उन्होंने कहा, 'उन्होंने वहां रह रहे पुलिसकर्मियों से बात की और आरोपी की शुक्रवार सुबह की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने यह जानकारी ली कि रॉय बैरक में कब लौटा और वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया।' अधिकारी ने बताया कि सीबीआइ अधिकारियों ने चिकित्सकों एवं पुलिस अधिकारियों समेत करीब 40 लोगों की सूची तैयार की है, जिनसे वह पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा, 'हमने अभी तक 13 लोगों से पूछताछ की है।'

शुक्रवार को जांच एजंसी अस्पताल के पूर्व प्राचार्य को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी और उनसे देर रात एक बजकर 40 मिनट तक पूछताछ की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि घोष को यहां 'सीजीओ काम्प्लेक्स' स्थित सीबीआइ कार्यालय के एक कमरे में रात साढ़े नौ बजे तक बैठाया गया, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। घोष दूसरी बार पूछताछ के लिए शनिवार सुबह साढ़े दस बजे से कुछ पहले सीबीआइ कार्यालय पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के पहले दौर में पूर्व प्राचार्य घोष से महिला चिकित्सक की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया।

भारत में मंकीपाक्स के संक्रमण का कम जोखिम : सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत में फिलहाल मंकीपाक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है, हालांकि इस बीमारी को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। समीक्षा बैठक में आगामी हफ्तों में बाहर से आने वाले कुछ मामलों का पता चलने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन यह आकलन किया गया कि निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम वर्तमान में भारत के लिए कम है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा 2022 में पहली बार स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के बाद से भारत में कुल 30 मामले पाए गए, जिनमें से अंतिम इस साल मार्च में आया। मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल भारत में मंकीपाक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। बयान में कहा गया कि मंत्रालय द्वारा स्थिति पर निगाह रखी जा रही है। डब्लूएचओ द्वारा 14 अगस्त को मंकीपाक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआइसी) घोषित किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यहां मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मंकीपाक्स की स्थिति और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

हड़ताल से दिल्ली ,पंजाब और बंगाल समेत पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने देश भर में अपने सदस्यों से 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया। असम, मेघालय, मणिपुर समेत पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ओड़ीशा, बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर समेत पूरे देश में चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (आइएमए) ने देश भर में अपने सदस्यों से 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। हड़ताल की अपील रविवार सुबह छह बजे तक के लिए की गई थी।

कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया जिसके कारण इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। आइएमए की पंजाब इकाई के सलाहकार नवजोत दहिया ने कहा कि महिला चिकित्सक के लिए न्याय और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग को लेकर पटियाला, अमृतसर तथा लुधियाना में कई जगहों पर स्वास्थ्यकर्मियों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने कहा कि बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवाएं बंद रहीं और वैकल्पिक सर्जरी भी नहीं की गईं, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चालू हैं।

दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और आईपीडी सेवाएं बंद कर दीं। राजधानी में रेजिडेंट डाक्टर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को हड़ताल के छठे दिन सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पताल भी इसमें शामिल हो गए हैं। सर गंगा राम, फोर्टिस एवं अपोलो जैसे अस्पतालों ने अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी एवं आइपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। पूर्वोत्तर में भी चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। असम, मेघालय, मणिपुर समेत पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में 'टोमो रीबा इंस्टिट्यूट आफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज' के चिकित्सकों ने आपातकालीन और ट्रामा विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तख्तियां हाथ में लेकर प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने नारेबाजी की और मृतका तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए न्याय की मांग की। ईटानगर स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल (आरकेएम) के चिकित्सक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ओड़ीशा में विरोध-प्रदर्शन में 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (आइएमए) के लगभग 6,000 सदस्य शामिल हुए, जिसके कारण सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और प्रयोगशाला सेवाएं बंद रहीं।

ममता सरकार न्याय के लिए लड़ रहे लोगों पर कार्रवाई कर रही : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार एक प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में न्याय मांग रहे चिकित्सकों व मीडिया के एक वर्ग पर कार्रवाई कर रही है।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत सरकार का एकमात्र एजंडा 'सच को चुप करना, बलात्कारियों को बचाना और किसी भी कीमत पर सबूत नष्ट करना' है। उन्होंने कहा कि यह दोषियों को बचाने की 'सबसे भयावह एवं संस्थागत लीपापोती' है।

पूनावाला ने पत्रकारों से कहा कि न्याय के लिए आवाज उठाने पर 43 चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया, जिनमें से कुछ का तबादला दूरदराज के इलाकों में किया गया है जबकि पुलिस ने नागरिकों और पत्रकारों को न्याय के उनके धर्मयुद्ध के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मामले में न्याय की मांग करते हुए एक प्रदर्शन की अगुआई करने पर बनर्जी पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने पूछा कि जब वह गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों की प्रभारी हैं तो वह किस बात का विरोध कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की प्राथमिकता आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल पर हमला करने वाले हजारों उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि न्याय के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। उन्होंने दावा किया कि कुछ पत्रकारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करना पड़ा।

येचुरी ने कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ 'सच्चाई को छिपाने' का प्रयास

नई दिल्ली, 17 अगस्त (एजंसी)।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने शनिवार को कहा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में हुई तोड़फोड़ 'सच्चाई को छिपाने' की एक कोशिश थी। उन्होंने उस महिला प्रशिक्षु डाक्टर के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आपील की, जिसकी पिछले सप्ताह बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। सीताराम येचुरी ने कहा, 'आरजी कर मेडिकल कालेज में एक साथी डाक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डाक्टरों पर यह बर्बरता न्याय को चुप कराने और सच्चाई को छिपाने का एक घृणित प्रयास है।

हरियाणा मंत्रिमंडल : अतिथि शिक्षकों को मिलेगी नौकरी की सुरक्षा

चंडीगढ़, 17 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए मंत्रिमंडल की बैठक करके कई बड़े अहम मुद्दों को स्वीकार कर लिया। फैसले के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी ।

सरकार ने यह बैठक आचार संहिता की घोषणा से पहले बुलाई थी। शुक्रवार को चुनाव का एलान होने के बावजूद शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी देने की बजाए उन्हें स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अब शनिवार को लिए गए फैसलों के संबंध में गेंद पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के पाले में चली गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और मंत्रिमंडल ने उन्हें स्वीकार भी किया है। अब उन पर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। नायब सैनी ने कहा कि जिस तरह से एक लाख 20 हजार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया गया है, उसी प्रकार अब उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग और बहुतकतीकी संस्थान की अतिथि शिक्षकों को भी सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की रपट पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। चुनाव आयोग मंजूरी देगा तो इसे तुरंत लागू कर देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है, सरकार इस फैसले के बारे में चुनाव आयोग से पूछेगी।

पेज 1 का बाकी

सिद्धरमैया पर मुकदमे को मंजूरी

में उल्लेखित आरोपों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिवक्ता टीजे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री सात दिनों के भीतर अपने खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी जाए। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने और अब्राहम की याचिका को खारिज करने की राज्यपाल को सलाह दी थी। साथ ही राज्यपाल पर संवैधानिक कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया था। राज्यपाल ने अपने फैसले में आइएएस वेंकटचलपति की अध्यक्षता में गठित समिति और आयोग जांच अधिनियम 1952 के तहत एक उच्च-स्तरीय एकल सदस्यीय जांच समिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि समिति की जांच शर्तों से स्पष्ट होता है कि वैकल्पिक भूमि के अवैध आबंटन में अनियमितताओं से जुड़े गंभीर आरोप हैं।

उन्होंने कहा कि यह एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, उसे कार्रवाई का निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल, आरोप हैं कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरु में एक प्रतिपूरक भूखंड आबंटित किया गया था। इसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था, जिसे एमयूडीए ने अधिग्रहीत किया था। एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आबंटित किए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट में 'कैविएट' दायर : मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण के भूखंड आबंटन से जुड़े कथित घोटाले को लेकर शिकायतकर्ताओं में से एक प्रदीप कुमार ने शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक 'कैविएट' दायर की है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अब कैविएट दायर होने के बाद किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत मूल शिकायतकर्ता का पक्ष भी सुनेगी। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत सिद्धरमैया राहत के लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं। कैविएट दाखिल न होने की स्थिति में उन्हें दूसरे पक्ष की दलीलें सुने बिना राहत मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल की है। इस मामले में एक अन्य शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम ने कहा कि वह सोमवार को न्यायालय में कैविएट दाखिल करेंगे।

अमेरिकी अदालत से राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी

इस अपीलीय अदालत में याचिका दायर की थी। कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अस्वीकार कर दिया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मुंबई में आतंकवादी हमलों में राणा की संलिप्तता के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अपीलीय अदालत के न्यायाधीशों के पैनल ने जिला अदालत के फैसले की पुष्टि की।राणा फिलहाल लास एंजिलिस की एक जेल में बंद है और वह 26/11 के मुंबई हमले में अपनी भूमिका को लेकर आरोपों का सामना कर रहा है। बताया जाता है कि उसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा में पाकिस्तान मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से है। हेडली 2008 में मुंबई में 26 नवंबर को हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में एक था। राणा के पास मौजूदा फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। उसके पास अब भी भारत को प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए कानूनी विकल्प बंद नहीं हुए हैं।

प्रत्यर्पण आदेश संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा के सीमित दायरे के तहत, पैनल ने माना कि राणा पर लगाए गए आरोप अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आते हैं। इस संधि में प्रत्यर्पण के लिए किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किए जाने का सिद्धांत का अपवाद शामिल है। पैनल ने संधि की विषय वस्तु, विदेश मंत्रालय के तकनीकी विश्लेषण और अन्य सर्किट अदालतों में इस प्रकार के मामलों पर गौर करते हुए माना कि 'अपराध' शब्द अंतर्निहित कृत्यों के बजाय आरोपों को संदर्भित करता है तथा इसके लिए प्रत्येक अपराध के तत्त्वों का विश्लेषण आवश्यक है।तीन न्यायाधीशों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि सह-साजिशकर्ता की दलीलों के आधार पर किया गया समझौता किसी अलग नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता। पैनल ने माना कि अपवाद इस मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि भारतीय आरोपों में उन आरोपों से भिन्न तत्व शामिल हैं।

खाद्य, ऊर्जा संकट से एकजुट होकर निपटें

विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि मैं भारत की ओर से एक व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखना चाहूंगा। इस समझौते की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। मोदी ने कहा कि यह विकास के लिए मानव-केंद्रित और बहुआयामी होगा तथा बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। यह विकास वित्त के नाम पर जरूरतमंद देशों पर कर्ज का बोझ नहीं डालेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'काम्पैक्ट' से साझेदार देशों के संतुलित और सतत विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत हम विकास के लिए व्यापार, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, परियोजना-विशिष्ट रियायती वित्त और अनुदान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत 'सोशल इम्पैक्ट फंड' में 2.5 करोड़ डालर का प्रारंभिक योगदान देगा, जिसका उद्देश्य 'ग्लोबल साउथ' में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (डीपीआइ) विकसित करना है।प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। प्रौद्योगिकी विभाजन और प्रौद्योगिकी से जुड़ी नई आर्थिक व सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में स्थापित वैश्विक शासन और वित्तीय संस्थान वर्तमान शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं।

साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतरे

गए। त्रिपाठी के मुताबिक, ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी और इस हादसे में किसी के मारे जाने या घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि चालक ने बताया कि ट्रेन के इंजन से कोई बड़ा पत्थर टकराया, जिससे इसके अगले हिस्से में जानवरों से बचाव के लिए लगा 'कैटल गार्ड' बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गया। अधिकारी ने बताया कि खुफिया विभाग (आइबी) और उत्तर प्रदेश पुलिस घटना में शरारती या असामाजिक तत्त्वों की संलिप्तता की जांच कर रही हैं, क्योंकि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इंजन पटरी पर रखी किसी वस्तु से टकरा गया। अधिकारी ने कहा कि ट्रेन के 16वें डिब्बे के पास हमें एक संदिग्ध वस्तु मिली है। इंजन के 'कैटल गार्ड' को पहुंचे नुकसान को देखकर ऐसा लगता है कि इंजन इसी संदिग्ध वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया।

उन्होंने कहा कि हमने साक्ष्य सुरक्षित रखे हैं। आइबी और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस पर काम कर रही हैं। अधिकारी के अनुसार, जिस ट्रैक पर दुर्घटना हुई, उसी पर पटना-इंदौर एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात एक बजकर 20 मिनट पर बिना किसी व्यवधान के गुजरी। अधिकारी के मुताबिक, टक्कर की तेज आवाज के बाद जब ट्रेन रुकी, तब उसमें सवार ज्यादातर यात्री सो रहे थे। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने कहा कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बस सहित अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गईं। सभी यात्रियों को घटनास्थल से निकाल लिया गया है।

'विजेता' विनेश का दिल्ली से हरियाणा के रास्ते भव्य स्वागत

घासौला मंडौला सहित विभिन्न स्थानों पर रुका। विनेश ने कहा कि तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे स्वर्ण पदक नहीं दिया लेकिन यहां के लोगों ने मुझे दिया है। मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है, वह 1000 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने से भी ज्यादा है। हुड्डा ने एक्स पर की गई पोस्ट में 29 वर्षीय विनेश के जुझारूपन की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, 'हमारी नजर में आप पहले भी विजेता रही हैं और भविष्य में भी विजेता रहेंगी। आपके साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प ने ना केवल करोड़ों देशवासियों का दिल जीता है, बल्कि आप देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।' अपने गांव रवाना होने से पहले विनेश ने दिल्ली के द्वारका में एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से पहले किए गए वजन में उनका वजन सौ ग्राम अधिक निकला था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

केंद्र सरकार करेगी विलंबित प्रवेश प्रक्रिया से 45 पदों पर भर्ती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों में विलंबित प्रवेश प्रक्रिया (लेटरल एंट्री) से संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त करेगी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र में 'लेटरल एंट्री' के माध्यम से भर्ती अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण से दूर रखने की सरकार की साजिश है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लगाया आरोप, कहा- केंद्र में 'लेटरल एंट्री' के माध्यम से भर्ती अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण से दूर रखने की साजिश रच रही।

आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) - और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी होते हैं। विज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों की 'लेटरल एंट्री' के जरिए नियुक्ति करना चाहती है। इस तरह, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक/उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए भरा जाएगा (प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है) आवेदन यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक किए जा सकते हैं। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पद हैं। कृषि एवं किसान कल्याण, नागर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में निदेशक/उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि संविधान को तार-तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर दोहरा वार। पहला, आज सरकार ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कम से कम 45 पद 'लेटरल एंट्री' के जरिए भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी,एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण है? उन्होंने आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है, ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। खरगे ने कहा कि दूसरा, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का अब हाई कोर्ट के फैसले से पर्दाफाश हो चुका है।

www.readwhere.com

यू.पी. को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि.

नानौता डिस्टिलरी यूनिट, नानौता (सहारनपुर) ई-मेल nntdistillery@yahoo.co.in

ई -निविदा सूचना

इस आसवानी द्वारा अनुभवी एवं व्यापार कर में **पंजीकृत फर्मो से ब्वायलर की आर०बी०ओ० चैन एवं स्प्रोकेट क्रय करने हेतु तथा ब्वायलर के एअर प्री हीटर की पुरानी ट्यूबों एवं इकनोमाइजर की पुरानी क्वायलस को डिस्मेन्टल करने तथा नयी ट्यूबों/क्वायलस को फैब्रीकेशन एवं इरेक्शन करने हेतु ई-टेण्डर** के माध्यम से **दिनांक 23.08.2024 तक** निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को चैन आपूर्ति के लिए निविदा शुल्क 590/– एवं धरोहर धनराशि रू० 10,000.00 तथा ट्यूबों / क्वायलस करने के लिए निविदा शुल्क 590/– एवं धरोहर धनराशि रू० 10,000.00 आन लाइन जमा कराकर रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। अन्य विस्तृत विवरण दिनांक 16.08.2024 को साय 6.30 बजे से www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। अधोहस्ताक्षरी को किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बगैर कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

मो०नं० 7880888850

यू०पी० को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०, नानौता डिस्टिलरी यूनिट, नानौता सहारनपुर।

बैंक का नाम: पंजाब नेशनल बैंक, पाण्डोखेडी, नानौता

खाता सं० 3726000102068647 आई०एफ०सी० कोड– PUNB0372600 — प्रधान प्रबन्धक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र / Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय : निगमित सेवाएं विभाग
'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005
फोन : 020-25537239/446

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

"बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखाओं/ कार्यालयों (संपूर्ण भारत) में ओईएम (जैसे: कैश सेफ्स, गोल्ड सेफ्स, स्ट्रांग रूम डोर्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर कैबिनेट्स, फायर रेसिस्टेंट फाइलिंग कैबिनेट्स) से भौतिक सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना हेतु दर अनुबंध" के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। संभावित बोलीदाता बैंक की वेबसाइट **www.bankofmaharashtra.in** से आरएफपी का निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते है।

पूर्व बोली बैठक **02.09.2024 को (प्रातः 11.00 बजे)** आयोजित की गई है। आरएफपी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **09.09.2024 को दोपहर 12.00 बजे** तक है। तकनीकी बोलियाँ **09.09.2024 को दोपहर 03.00 बजे** खोली जाएँगी और बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इसके लिए उपस्थित रहें।

उपर्युक्त निविदा के संबंध में कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट / शुद्धिपत्र / तिथियों का विस्तार / स्पष्टीकरण / बोलीदाताओं के प्रश्नों के उत्तर केवल बैंक की वेबसाइट **www.bankofmaharashtra.in** पर पोस्ट किए जाएंगे तथा समाचार पत्र में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

उप महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No : JDA/EE&TA to Dir.Engg.-I/2024-25/D-54 — Dated : 16.08.2024

NOTICE INVITING BID

NIB No. : EE & TA to Dir.Engg.-I/11/2024-25

Bids are invited from interested bidders for following works :-

S. No.	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	Nature of Work	Last Date
1.	JDA2425WSOB00224	248.00	Road	31.08.2024
2.	JDA2425WLOB00234	9111.00	O & M of Toll Plaza	14.09.2024

Other particulars of the respective bid may be visited on Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in.

Raj.Samwad/C/24/3923

Executive Engineer & TA to Dir.Engg-I

त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड

CIN : L29110UP1995PLC041834

पंजी. कार्या.: ए–44 हौजरी कॉम्प्लेक्स, फेज-II एक्सटेंशन, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201305
कार्पोरेट कार्या. 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावर्स 15-16, सेक्टर–16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
ई–मेल: shares.ttl@trivenigroup.com, वेबसाइट: www.triveniturbines.com,
दूरभाष: 91 120 4308000 / फैक्स: 91 120 4311010-11

29वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग की सूचना और बुक क्लोजर

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3:30 बजे आयोजित होने वाली है। (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम आयोजित करने वाले नोटिस ("नोटिस") में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24, अगस्त 17, 2024 को वार्षिक रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की सूचना अगस्त, 2024 को उन सदस्यों को भेज दी है, जिनके ई–मेल पते कंपनी / नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल) के साथ पंजीकृत हैं ") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")।

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट **www.triveniturbines.com**, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट **www.bseindia.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर भी उपलब्ध हैं। लिमिटेड ("एनएसई") क्रमशः **www.nseindia.com** पर, और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर, यानी ई–वोटिंग की सुविधा के लिए नियुक्त एजेंसी (सहित) एजीएम के लिए रिमोट ई–वोटिंग)।

सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई–वोटिंग का तरीका एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है। एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की 29वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी शनिवार, 7 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 44 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने केफिनटेक के माध्यम से अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। मतदान के संबंध में विवरण इस प्रकार है :

रिमोट ई–वोटिंग	शुरू होने की तारीख और समय मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 सुबह 09:00 बजे।
रिमोट ई–वोटिंग	समापन की तिथि और समय गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 शाम 05:00 बजे।
ई–वोटिंग के लिए पात्रता	पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तारीख शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024

सदस्य ध्यान दें कि केवल वे व्यक्ति जिनके नाम उपरोक्त कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, वे संकल्पों पर मतदान करने के हकदार होंगे। नोटिस में बताया गया है, एक बार जब किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो उसे बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शाम 5.00 बजे के बाद **Kfintech** द्वारा रिमोट ई–वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी 12 सितंबर 2024 को.

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान केफिनटेक द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट कर सकेंगे।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट भेजे जाने के बाद शेयर हासिल कर लिए हैं और जिनके पास कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 तक शेयर बने हुए हैं, वे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त / उत्पन्न कर सकते हैं। एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार। ई–वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत व्यक्ति वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया और लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करने की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में विस्तार से बताई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न और / या शिकायत के मामले में, सदस्य **https://evoting.kfintech** के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं। **www.com** (**KFintech** वेबसाइट) या किसी भी अधिक स्पष्टीकरण के लिए **evoting/kfintech.com** की उपाध्यक्ष सुश्री सी शोभा आनंद से संपर्क करें या **KFintech** के टोल फ्री नंबर 1–800–309–4001 पर कॉल करें।

निदेशक मंडल ने श्री कपिल देव तनेजा को पार्टनर नियुक्त किया है, उनके स्थान पर श्री नीरज अरोड़ा को मैसर्स का पार्टनर नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया को कानून के अनुसार और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए कंपनी सचिव संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

लाभांश संबंधी जानकारी:

कंपनी ने रुपये के प्रस्तावित अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्यों को निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 1 रुपये अंकित मूल्य पर रुपये 1.30 / प्रति शेयर।

सेबी ने अपने मास्टर सर्कुलर **uacj SEBI/HO/MIRSD/POD/1/P/CIR/2024137** दिनांक 7 मई 2024 को **SEBI** सर्कुलर नंबर **SEBI/HO/MIRSD/POD/1/P/CIR/2024/81** के साथ पढ़ा। दिनांक 10 जून, 2024 ने आदेश दिया है कि, 1 अप्रैल, 2024 से, भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले सुरक्षा धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान शेयरधारकों द्वारा अपना पैन, संपर्क विवरण (पिन और मोबाइल नंबर के साथ डाक पता), बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर ("केवाईसी विवरण") प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा। उपरोक्त सेबी परिपत्रों के अनुसार, भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि यदि उनके केवाईसी विवरण आरटीए के साथ अपडेट नहीं किए गए हैं तो उनकी शेयरधारिता के खिलाफ देय कोई भी भविष्य का लाभांश रोक दिया जाएगा। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं तो वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने केवाईसी विवरण अपडेट करें, और यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास अपडेट करें।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय अब शेयरधारकों के लिए कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। कंपनी को उचित टीडीएस / विदहोल्डिंग टैक्स रेट प्रयोज्यता निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेज कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को 6 सितंबर, 2024 से पहले भेजें।

कृते त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड
हस्ता. /–
पुलकित भसीन
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A 27686

तिथि : 17–08–2024
स्थान : नोएडा, यू.पी.

SBFC — एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

कब्जा नोटिस

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन 2002 के (नियम 8(2) के अनुसार)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण,पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह उधारकर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ता /सह उधारकर्ताओं राशि को चुकाने में विफल रहें, उधारकर्ता / सह उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे उल्लिखित तारीखों को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता / सह उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर उल्लिखित राशि एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का नाम एवं और पता और मांग नोटिस की तारीख	संपत्ति (यों) का विवरण और कब्जे की तिथि	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.)
1. श्री वार्ष्णेय कैटरर्स, 2. उमेश वार्ष्णेय, 3. नंदनी उमेश वार्ष्णेय, सभी का पता, वशुंधरा कॉलोनी, पाम रॉयल के सामने 2 रोड, मथुरा रोड, अलीगढ़, आगरा, उत्तर प्रदेश– 202001, मांग सूचना दिनांकः 4 मई 2024 **ऋण संख्या** ''402106000 000 86964–सी (पीआर00951833)	मौजा दौलताबाद, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़ में स्थित प्लॉट संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 158.33 वर्ग गज= 132.38 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 80/2, 81/1 का अभिन्न अंग है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी है, और संपत्ति की सीमा इस प्रकार है–पूर्व– रास्ता 25 फीट चौड़ा, इस ओर की माप 25 फीट, पश्चिम– अन्य व्यक्ति का प्लॉट, इस ओर की माप 25 फीट, उत्तर– चंद्रावती का प्लॉट, इस ओर की माप 57 फीट, दक्षिण– अन्य व्यक्ति का प्लॉट, इस ओर की माप 57 फीट। **कब्जे की तिथिः 16 अगस्त 2024**	3 मई 2024 तक रु. 13,41,681/– (रुपये तेरह लाख इकतालिस हजार छह सौ इक्यासी मात्र)

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

स्थानः अलीगढ़ — **हस्ता /–प्राधिकृत अधिकारी ,**
दिनांकः 18.08.2024 — **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड**

निविदा सूचना

जिला पंचायत अल्मोड़ा के वर्ष 2024–25 में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि इस कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत दैवीय आपदा/अनटाइड फण्ड मद में प्राप्त स्वीकृत योजनाओं की निविदायें आमंत्रित की जा रही है, जिसमें निविदा प्रपत्रों का विक्रय दिनांक 17–08–2024 से दिनांक 02–09–2024 के अपराहन 3:00 बजे तक किया जायेगा, तथा दिनांक 03–09–2024 को प्रातः 11:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक निविदा प्राप्त की जायेगी, तथा उसी दिन निविदा अपराहन 4:00 बजे खोली जायेगी। कराये जाने वाले कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी व विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत अल्मोड़ा में निहित होगा। **उक्त निविदा में जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधिगण / मा० सदस्य, जिला पंचायत सहित उनके निकट संबंधी प्रतिभाग नहीं कर सकते है।**

क्र म	योजना का नाम	विकास खंड	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	जमानत की धनराशि 2%FDR New	निविदा प्रपत्रों का मूल्य / 18% जी. एस.टी.	निविदा कार्य समाप्ति की तिथि	अभ्युक्ति मद
01–	रा० जू०हाईस्कूल चामी विद्यालय में मरम्मत कार्य	धौलादेवी	6.33	13000	1000+18% जी.एस.टी.	6 माह	दैवीय आपदा
02–	रा० प्रा० विद्यालय आगराकना में क्षतिग्रस्त चारदिवारी का मरम्मत कार्य	धौलादेवी	2.90	6000	500+18% जी.एस.टी.	6 माह	दैवीय आपदा
03–	शहरफाटक दोपाड़िया से लहनधार तक सम्पर्क मार्ग में मरम्मत व दिवाल निर्माण कार्य	धौलादेवी	9.22	19000	1000+18% जी.एस.टी.	6 माह	दैवीय आपदा

ह/–
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, अल्मोड़ा।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan the QR Code to view the DRHP)

JSW Cement

JSW CEMENT LIMITED

Our Company was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 29, 2006 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("**RoC**"). Our Company received a certificate of commencement of business on May 12, 2006 by the RoC. For further details of change in the Registered Office, see *"History and Certain Corporate Matters- Change in the registered office of our Company"* on page 299 of the draft red herring prospectus dated August 16, 2024 (the "**DRHP**" or the "**Draft Red Herring Prospectus**").

Registered and Corporate Office: JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India; **Telephone:** +91 22 4286 3115; **Contact Person:** Sneha Bindra, Company Secretary and Compliance Officer;
E-mail: secretarial.jswcl@jsw.in; **Website:** www.jswcement.in; **Corporate Identity Number:** U26957MH2006PLC160839

OUR PROMOTERS: SAJJAN JINDAL, PARTH JINDAL, SANGITA JINDAL, ADARSH ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED AND SAJJAN JINDAL FAMILY TRUST

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF JSW CEMENT LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 40,000 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 20,000 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ 20,000 MILLION COMPRISING UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH BY AP ASIA OPPORTUNISTIC HOLDINGS PTE. LTD. AGGREGATING UP TO ₹ 9,375.00 MILLION, UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH BY SYNERGY METALS INVESTMENTS HOLDING LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ 9,375.00 MILLION AND UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH BY STATE BANK OF INDIA AGGREGATING UP TO ₹ 1,250.00 MILLION (COLLECTIVELY, "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFER FOR SALE OF EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMs, MAY CONSIDER A FURTHER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES THROUGH A PREFERENTIAL OFFER OR ANY OTHER METHOD AS MAY BE PERMITTED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW TO ANY PERSON(S), OF UP TO [●] EQUITY SHARES FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 4,000.00 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE FRESH ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT, SUBJECT TO THE OFFER COMPLYING WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED ("SCRR"). PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT IN LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH. THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [●] EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED MARATHI DAILY NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid /Offer Period for a minimum of one Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "**SCRR**"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis by our Company, in consultation with the BRLMs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("**Anchor Investor Allocation Price**"). In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors ("**Non-Institutional Portion**") of which one-third of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1.00 million and undersubscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Portion in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("**Retail Portion**"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID (defined hereinafter) in case of UPI Bidders (defined hereinafter) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or pursuant to the UPI Mechanism, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* on page 599 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with SEBI and with the Stock Exchanges.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com where the equity shares are proposed to be listed, the websites of the BRLMs, i.e., JM Financial Limited at www.jmfl.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, Citigroup Global Markets India Private Limited at www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.html, DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited at www.goldmansachs.com, Jefferies India Private Limited at www.jefferies.com, Kotak Mahindra Capital Company Limited at https://investmentbank.kotak.com, SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com and the website of our Company at www.jswcement.in. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 39 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("**Red Herring Prospectus**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 299 of the DRHP.

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see *"Capital Structure"* on page 109 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

JM FINANCIAL	AXIS CAPITAL	citi	DAM CAPITAL	Goldman Sachs
JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6630 3030 **E-mail:** jswcement.ipo@jmfl.com **Investor grievance Email:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Contact person:** Prachee Dhuri **SEBI registration number:** INM000010361	**Axis Capital Limited^** 1st Floor, Axis House, P.B. Marg, Worli, Mumbai-400 025, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4325 2183 **E-mail:** jswcement.ipo@axiscap.in **Investor grievance Email:** complaints@axiscap.in **Website:** www.axiscapital.co.in **Contact person:** Harish Patel **SEBI registration number:** INM000012029	**Citigroup Global Markets India Private Limited** 1202, 12th Floor, First International Financial Centre G-Block, C54 & fifty-five, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 098 Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6175 9999 **E-mail:** jswcementipo@citi.com **Investor grievance E-mail:** investors.cgmib@citi.com **Website:** www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.html **Contact person:** Harsh Agarwal **SEBI registration number:** INM000010718	**DAM Capital Advisors Limited** One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4202 2500 **E-mail:** jswcement.ipo@damcapital.in **Investor grievance E-mail:** complaint@damcapital.in **Website:** www.damcapital.in **Contact person:** Chandresh Sharma/ Akshay Bhandari **SEBI registration number:** MB/INM000011336	**Goldman Sachs (India) Securities Private Limited** 951 - A, Rational House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6616 9000 **E-mail:** jswcementipo@gs.com **Investor grievance Email:** indiaclientsupport@gs.com **Website:** www.goldmansachs.com **Contact person:** Rohan Johar/Anant Gupta **SEBI registration number:** INM000011054

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
Jefferies	kotak Investment Banking	SBICAPS	KFINTECH
Jefferies India Private Limited Level 16, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021 Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4356 6000 **E-mail:** JSW.Cement.IPO@jefferies.com **Investor grievance Email:** jipl.grievance@jefferies.com **Website:** www.jefferies.com **Contact person:** Suhani Bhareja **SEBI Registration No.:** INM000011443	**Kotak Mahindra Capital Company Limited** 1st Floor, 27 BKC, Plot No. C-27, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4336 0000 **E-mail:** Jswcement.ipo@kotak.com **Investor grievance Email:** kmccredressal@kotak.com **Website:** https://investmentbank.kotak.com **Contact person:** Ganesh Rane **SEBI registration number:** INM000008704	**SBI Capital Markets Limited^^** 1501, 15th floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4006 9807 **E-mail:** jswcement.ipo@sbicaps.com **Investor grievance E-mail:** investor.relations@sbicaps.com **Website:** www.sbicaps.com **Contact person:** Janardhan Wagle/Krithika Shetty **SEBI registration number:** INM000003531	**KFin Technologies Limited** Selenium, Tower B, Plot No-31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy 500 032, Telangana, India. **Telephone:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** jswcement.ipo@kfintech.com **Investor grievance E-mail:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact person:** M. Murali Krishna **SEBI registration number:** INR000000221

^ Sutapa Banerjee, our Independent Director is also a director on the board of directors of Axis. Accordingly, in terms of the SEBI Merchant Bankers Regulation, Axis is an associate of our Company and would be involved only in the marketing of the Offer in compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Bankers Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations. Axis has signed the due diligence certificate. For further details, see "Risk Factors - SBI Capital Markets Limited, one of the Book Running Lead Managers to the Offer, is an associate of State Bank of India who is proposing to participate as a Selling Shareholder in the Offer. Additionally, our Independent Director, Sutapa Banerjee is also a director on the board of directors of Axis Capital Limited, one of the Book Running Lead Managers to the to the Offer." on page 61 of the DRHP.

^^State Bank of India is proposing to participate as a Selling Shareholder in the Offer. State Bank of India and SBICAPS, are associates in terms of the SEBI Merchant Bankers Regulations. Accordingly, in compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Bankers Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, SBICAPS would be involved only in the marketing of the Offer. SBICAPS has signed the due diligence certificate. For further details, see "Risk Factors SBI Capital Markets Limited, one of the Book Running Lead Managers to the Offer, is an associate of State Bank of India who is proposing to participate as a Selling Shareholder in the Offer. Additionally, our Independent Director, Sutapa Banerjee is also a director on the board of directors of Axis Capital Limited, one of the Book Running Lead Managers to the to the Offer." on page 61 of the DRHP.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **JSW CEMENT LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sneha Bindra
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : August 17, 2024

JSW CEMENT LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated August 16, 2024 with SEBI and the Stock Exchanges. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the websites of the BRLMs, i.e. JM Financial Limited at www.jmfl.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, Citigroup Global Markets India Private Limited at www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.html, DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited at www.goldmansachs.com, Jefferies India Private Limited at www.jefferies.com, Kotak Mahindra Capital Company Limited at https://investmentbank.kotak.com, SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com and the website of our Company at www.jswcement.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled *"Risk Factors"* on page 39 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold within the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A ("**Rule 144A**") under the U.S. Securities Act, in transactions exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act, and outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S ("**Regulation S**") under the U.S. Securities Act, and in accordance with the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are being made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

CONCEPT

खबर कोना

वायुसेना, थलसेना का 15 हजार फुट की ऊंचाई पर 'पैरा-ड्राप' अभियान

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

भारतीय वायुसेना और थलसेना ने संयुक्त रूप से लगभग 15 हजार फुट की ऊंचाई पर 'आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब' पहल के तहत 'अपनी तरह के पहले सटीक पैरा-ड्राप' अभियान को अंजाम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन 'क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब' को परियोजना भीष्म (सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस अभियान को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अंजाम दिया गया।

'पाकिस्तान में अनियमित इंटरनेट से विदेशी कंपनियों के बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका'

कराची, 17 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान में सरकार द्वारा लागू किए जा रहे विवादास्पद फायरवाल सिस्टम की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की धीमी और अनियमित सेवाओं के कारण देश से बड़े पैमाने पर विदेशी कारोबारी पलायन कर सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल (पीबीसी) और पाकिस्तान साफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन (पीएसएचए) ने यह चेतावनी दी है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब कुछ महीने पहले उबर, फाइजर, शेल, एली (अमेरिका), सनोफी (फ्रांस), टेलीनार (नार्वे), लोट्टो केमिकल (दक्षिण कोरिया) जैसी कुछ शीर्ष कंपनियों ने अपनी पूरी या आंशिक हिस्सेदारी स्थानीय कंपनियों को बेच दी थी।

भारत ने पोलैंड को अंजीर के रस की पहली खेप निर्यात की

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

भारत ने पोलैंड से अनूठे कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की अपनी पहल के तहत अंजीर के रस की पहली खेप पोलैंड को निर्यात की है। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने जीआइ-टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के पहले पीने के लिए तैयार अंजीर के रस के पोलैंड को निर्यात की सुविधा प्रदान की। जीआइ (भौगोलिक संकेत) टैग उस वस्तु को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग को रोकता है और उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की क्षमता को दर्शाता है।

आंध्र के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में हवाई अड्डों के विकास पर जोर दिया

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात के दौरान राज्य में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख नायडू की राष्ट्रीय राजधानी की दो दिवसीय यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। इस दौरान विमानन क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने और केंद्रीय योजनाओं से अधिकतम फायदा लेने पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, 'हमने चर्चा की कि विमानन क्षेत्र का विस्तार राज्य के विकास में कैसे सहायता कर सकता है, जिसने पिछले पांच वर्षों में चुनौतियों का सामना किया है।'

सरकार ने भारत एआइ मिशन के तहत अवसंरचना प्रदाताओं के लिए बोलियां आमंत्रित कीं

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने 10,372 करोड़ रुपए के भारत एआइ मिशन के तहत क्लाउड पर कृत्रिम मेधा (एआइ) सेवाएं देने वाली संस्थाओं को शामिल करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस योजना को इस साल मार्च में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। डेटा सेंटर और क्लाउड सेवा प्रदाताओं जैसी सूचीबद्ध एजंसियों को शिक्षाविदों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, सरकारी निकायों आदि को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू), एक्सेलेरेटर, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (टीपीयू), स्टोरेज जैसे उच्च गति वाले कंप्यूटिंग एआइ अवसंरचना उपलब्ध करानी होगी।

गीता गोपीनाथ से मिलकर निर्मला सीतारमण ने कहा

आइएमएफ के साथ सहयोग बढ़ाने के तरीके तलाशने को भारत तैयार

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आइएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ के साथ बैठक की। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके तलाशने को तैयार है। बैठक में गोपीनाथ ने राजकोषीय समेकन के लिए भारत सरकार के उपायों के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आइएमएफ के साथ अपने संबंधों और निरंतर जुड़ाव को बहुत महत्व देता है। भविष्य में भारत सरकार आइएमएफ के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके तलाशने को तैयार है।' भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता का जिक्र करते हुए गोपीनाथ ने आइएमएफ के साथ भारत के मजबूत संबंधों की सराहना की।

नई दिल्ली में शनिवार को एक बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ के साथ।

'भारत को 2030 तक 14.8 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों की जरूरत'

नई दिल्ली, 17 अगस्त (ब्यूरो)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने शनिवार को कहा कि भारत रोजगार सृजन के मामले में जी-20 देशों में पिछड़ा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए देश को वर्ष 2030 तक 14.8 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। गोपीनाथ ने दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स के हीरक जयंती कार्यक्रम में कहा कि 2010 से शुरू हुए दशक में भारत की औसत वृद्धि दर 6.6 फीसद रही, लेकिन रोजगार दर दो फीसद से कम रही। इसलिए भारत की रोजगार दर, अन्य जी-20 देशों की तुलना में काफी कम है।

लालू, तेजस्वी के खिलाफ आरोपपत्र का 24 को संज्ञान ले सकती है अदालत

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत 24 अगस्त को इस बारे में आदेश सुना सकती है कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के कथित मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव तथा आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया जाए या नहीं।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को जांच एजंसी की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी का आरोपपत्र) पर आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पूरक आरोपपत्र छह अगस्त को अदालत के समक्ष दाखिल किया गया था। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर अपने मामले दायर किए। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और शरीयत कानून में 'टकराव' दूर करने की मांग

अदालत ने सरकार और आल इंडिया मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड से मांगा जवाब

इंदौर, 17 अगस्त (भाषा)।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सरकार और आल इंडिया मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड से शनिवार को जवाबतलब किया जिसमें सूबे में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी की न्यूनतम उम्र के प्रावधानों को सभी समुदायों पर समान तरीके से लागू कराए जाने की गुहार की गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को लेकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और मुसलिम पर्सनल ला (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम 1937 के बीच 'टकराव' की स्थिति है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकटरमणा ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता डा. अमन शर्मा की जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य की सरकारों के साथ ही आल इंडिया मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड को नोटिस जारी किए और चार हफ्ते में जवाबतलब किया।

धनोडकर ने कहा कि जनहित याचिका में उच्च न्यायालय से यह व्यवस्था देने की गुहार लगाई गई है कि राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को सभी समुदायों के निजी कानूनों से ऊपर रखा जाए।

याचिकाकर्ता के वकील अभिनव धनोडकर ने संवाददाताओं से कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के मुताबिक देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी अपराध की श्रेणी में आती है, जबकि मुसलिम पर्सनल ला शरीयत (अनुप्रयोग) अधिनियम के प्रावधान तरुणाई की उम्र में लड़के-लड़कियों के विवाह की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि तरुणाई की उम्र को मोटे तौर पर 15 साल माना जा सकता है।

धनोडकर ने कहा कि जनहित याचिका में उच्च न्यायालय से यह व्यवस्था देने की गुहार लगाई गई है कि राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को सभी समुदायों के निजी कानूनों से ऊपर रखा जाए। उन्होंने बताया कि याचिका में अदालत से यह अनुरोध भी किया गया है कि वह राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम उम्र के प्रावधानों को सभी समुदायों पर समान तरीके से लागू कराने के वास्ते जरूरी कानूनी बदलावों के लिए उचित निर्देश जारी करे। धनोडकर ने कहा कि खासकर नाबालिग लड़कियों के विवाह से न केवल उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है, बल्कि इससे सामाजिक तथा आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव को भी अनुचित बल मिलता है।

होटल-अस्पताल में हो रहे नकद लेनदेन पर आयकर विभाग की निगाह

सीबीडीटी ने बड़े पैमाने पर दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के शीर्ष निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से होटल, लक्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और आइवीएफ क्लीनिक जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन की जांच करने को कहा है। बोर्ड ने कहा कि यह जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए।

सीबीडीटी ने कर विभाग से बकाया मांगों की वसूली के लिए ठोस प्रयास करने को भी कहा है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष से तेज वृद्धि देखने को मिली है। इस संबंध में बोर्ड ने हाल में केंद्रीय कार्य योजना (सीएपी) 2024-25 जारी की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय संस्थानों के दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन को वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) के जरिए बताना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। बोर्ड ने आयकर विभाग से कहा है कि ऐसी रिपोर्टों की जांच करने पर पाया गया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसमें आगे कहा गया कि उच्च मूल्य वाले उपभोग व्यय को करदाता के बारे में जानकारी के साथ सत्यापित करने की जरूरत है। विभाग ने इस संबंध में होटल, बैंक्वेट हाल, लक्जरी ब्रांड के खुदरा विक्रेताओं, आइवीएफ क्लीनिक, अस्पताल, डिजाइनर कपड़ों की दुकानों और एनआरआइ कोटा मेडिकल कालेज सीटों की पहचान की है, जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और बड़ा नकदी लेनदेन हो रहा है।

विभाग ने इस संबंध में होटल, बैंक्वेट हाल, लक्जरी ब्रांड के खुदरा विक्रेताओं, आइवीएफ क्लीनिक, अस्पताल, डिजाइनर कपड़ों की दुकानों और एनआरआइ कोटा मेडिकल कालेज सीटों की पहचान की है।

कच्चे तेल पर सरकार ने उठाया कदम

अप्रत्याशित कर 4600 रुपए प्रति टन से घटाकर 2,100

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर (विंडफाल टैक्स) को 4,600 रुपए प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर शनिवार से प्रभावी हो गया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। हर पखवाड़े पिछले दो सप्ताह में औसत तेल कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा की जाती है।

इससे पहले कच्चे तेल पर यह कर 7000 रुपए प्रति टन था, जिसे पिछले पखवाड़े में घटाकर 4600 रुपए प्रति टन किया गया। यह लगातार दूसरा ऐसा मौका है जब अप्रत्याशित कर के दर को घटाया गया है। डीजल और एटीएफ यानी जेट ईंधन पर कर को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। दरअसल, तेल विपणन कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्त कर लगाया जाता है, जिसे अप्रत्याशित कर कहते हैं। यह ऐसी कंपनियों पर लगता है जिन्हें लगातार बदलते हालात की वजह से अचानक उच्च मुनाफा हुआ है। भारत समेत कई देशों में तेल और ऊर्जा कंपनियों पर अप्रत्याशित कर लगाया जाता है। कच्चे तेल को लेकर फिलहाल दोहरा संकट है। रूस और यूक्रेन के बीच पहले से जारी जंग समेत पूर्वी एशिया के मौजूदा हालात को लेकर कच्चे तेल की आपूर्ति और उत्पादन को लेकर चिंता बनी हुई है। चीन, कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है और कमजोर मांग का भी असर दिखता है।

डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें शनिवार से प्रभावी हो गई हैं।

भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं।

उत्साह

अमृतसर में शनिवार को राखी की खरीददारी करतीं महिलाएं।

राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए जा रहे : पवार

नागपुर, 17 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को इस बात को लेकर हैरानी जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'एक देश एक चुनाव' पर जोर दिए जाने के बावजूद राज्यों के आगामी चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए जा रहे हैं।

पवार ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में 'एक देश एक चुनाव' की वकालत की थी। निर्वाचन आयोग ने सितंबर-अक्तूबर में जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों और हरियाणा में एक चरण में मतदान कराने की शुक्रवार को घोषणा की थी। आयोग ने जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की आवश्यकता और महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ का हवाला देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा बाद में की जाएगी। पवार ने कहा, 'दो राज्यों (जम्मू-कश्मीर और हरियाणा) में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए, उनकी (प्रधानमंत्री मोदी की) बातों में कोई सच्चाई नहीं है।'

दावा | कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय तनाव से जूझ रहा है

श्रमिकों का मासिक वेतन 20 हजार से कम

मुंबई, 17 अगस्त (भाषा)।

भारत में कारखानों में या अन्य श्रम प्रधान नौकरियों (ब्लू-कालर) में ज्यादातर का वेतन 20,000 रुपए प्रति माह या उससे कम है।

एक रिपोर्ट में कहा गया कि इससे पता चलता है कि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय तनाव से जूझ रहा है, तथा आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रौद्योगिकी से जुड़े श्रम प्रधान भर्ती मंच वर्क इंडिया ने रिपोर्ट में कहा कि 57.63 फीसद से अधिक श्रम प्रधान नौकरियां 20,000 रुपए प्रति माह या उससे कम वेतन सीमा में आती हैं। यह दर्शाता है कि कई श्रमिक न्यूनतम मजदूरी के करीब कमाते हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 29.34 फीसद श्रम प्रधान नौकरियां मध्यम आय वर्ग में हैं, जिनमें वेतन 20,000-40,000 रुपए प्रति माह है।

इसमें कहा गया है कि इस श्रेणी में आने वाले श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा में मामूली सुधार का अनुभव होता है, लेकिन वे आरामदायक जीवन स्तर प्राप्त करने से बहुत दूर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस सीमा में आय से आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन बचत या निवेश के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है, जो इस श्रेणी के कार्यबल के एक बड़े हिस्से की आर्थिक कमजोरी को उजागर करता है।

वर्कइंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक नीलेश डूंगरवाल ने कहा, 'आंकड़ों से पता चलता है कि श्रम क्षेत्र में कम वेतन वाली नौकरियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उच्च आय के लिए सीमित अवसर हैं। यह असमानता न केवल कार्यबल के एक बड़े हिस्से के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के लिए भी व्यापक निहितार्थ रखती है।'

श्रम प्रधान भर्ती मंच वर्क इंडिया की रपट का दावा।

इस तबके के लोग आरामदायक जीवन स्तर से बहुत दूर हैं।

एक दशक में देश में मेट्रो निर्माण की रफ्तार हुई 10 गुना तेजः मनोहर लाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव आए हैं। 2014 से पहले भारत में मेट्रो रेल प्रणाली सिर्फ 248 किलोमीटर के दायरे में पांच शहरों में सीमित थीं।

पिछले 10 वर्षों में 700 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें चालू होने के बाद देश में मेट्रो नेटवर्क की कुल परिचालन लंबाई बढ़कर 945 किलोमीटर हो गई है। देश भर के 21 शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार हुआ है। पहले औसतन हर महीने महज 600 मीटर मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा था जिसमें 10 गुना की बढ़ोतरी के बाद आंकड़ा छह किलोमीटर प्रति माह हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीन प्रमुख मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की भी घोषणा की, जो शहरों में बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमें बंगलुरु मेट्रो परियोजना के दो गलियारों सहित 44 किलोमीटर का विस्तार, ठाणे मेट्रो परियोजना के तहत 29 किलोमीटर का नेटवर्क सहित पुणे मेट्रो परियोजना के तहत 5.5 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वदेशीकरण के तहत हुए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिकांश नागरिक संरचनाओं का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। भारत ने मेट्रो कोच के लिए चार अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं विकसित की हैं। जहां पिछले पांच वर्षों में 1,000 से अधिक मेट्रो कोच का विनिर्माण किया गया। नई परियोजनाओं की मंजूरी के साथ भारत में अब 1,018 किलोमीटर मेट्रो लाइनें निर्माणाधीन हैं।

www.readwhere.com

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

इंडियन बैंक, जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है, ने उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान की आपूर्ति, इंस्टालेशन, कार्यान्वयन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित आरएफपी जारी किया है (जीईएम बीड संदर्भ संख्या जीईएम/2024/बी/5291718 दिनांक 16.08.2024)

विस्तृत विवरण के लिए इच्छुक पार्टियां बैंक के वेबसाइट : **https://www.indianbank.in/tenders** एवं **GeM पोर्टल** को देखें।

S.S. COLLEGE, JEHANABAD

(NAAC Accredited Grade 'B')

सूचना

महाविद्यालय के पत्रांक Gen. / 190/24 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा वाह्यश्रोत कर्मियों के आपूर्ति हेतु Short Term Tender का प्रकाशन किया गया था। कतिपय कारणों से इसे अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

इस संबंध में अगली सूचना महाविद्यालय के Website: www.sscollegejehanabad.org पर दी जायेगी।

PRINCIPAL
S.S. COLLEGE, JEHANABAD

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय भवन संख्या 80 प्रथम तल बीएसएनएल कार्यालय के पास तेजगढ़ी चौराहा मेरठ, फोन 0121-2761701

शुद्धि-पत्र

दिनांक 10.08.2024 को जनसत्ता व फाईनेंनशियल एक्सप्रेस मे प्रकाशित मेगा ई-नीलामी नोटिस के सन्दर्भ मे

क0स0: 9 शाखा: **बरेली**
ऋणकर्ता:- **रिजवान खान**
क0स0: 10 शाखा: **बरेली मेन**
ऋणकर्ता:- **फय्याज़ुद्दीन**
क0स0: 11 शाखा: **बरेली मेन**
ऋणकर्ता:- **अज़हरी एंटरप्राइजेज**
क0स0: 12 शाखा: **बरेली मेन**
ऋणकर्ता:- **शहज़ाद ज़री और रेडीमेड गार्मेंट्स**

की ई-नीलामी रद्द कर दी गई है। शेष यथावत रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी

Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
M/s Braham Hosiery Pvt . Ltd
Vs.
M/s Mahalaxmu Footwear
CNR NO: PBLD03-042564-2021
COMA/13997/2021

Notice To: 1) M/s Mahalaxmi Footwear Address D-12/62, Sector 7 Rohini 110085 Distt New Delhi Through Its Prop./auth. Sign. Babita (8860329054) 2) Babita Proprietor/ Partner/ Authorised Signatory Of M/s Mahalaxmi Footwear, D-12/62, Sector-7, Rohini- 110085 District New Delhi

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 18-09-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

IN THE COURT OF MS ARYA SHARMA ADD. PRINCIPAL JUDGE, FAMILY CAMP COURT, MEHAM ROHTAK
Case No. DMC-38-2019
CNR No. HRRHF2-000091-2019
Next Date: 06.09.2024

Hunny kumar son of Tilak Raj R/o VPO Bainsi, House No. 603, near PNB Bank, Bainsi Tehsil Meham Distt Rohtak

Versus

Harjeet Kaur daughter fof Bhupendra Singh R/o House No. C-95, Gali No.10, Chinot basti, Paharganj Swami Ram Tirth Nagar, Central Delhi-110055

PETITIONU/S 13(i)(a) OF H.M. ACT AS AMENDED UPTO DATE SEEKING DISSOLUTION OF THE MARRIAGE BY DECREE OF DIVORCE ON THE GROUNDS GIVEN BELOW

NOTICE TO:

Harjeet Kaur daughter fof Bhupendra Singh R/o House No. C-95, Gali No. 10, Chinot basti, Paharganj Swami Ram Tirth Nagar, Central Delhi-110055

In above titled petition the respondent(s) could not be served. It is ordered that the Respondent(s) should appear in person or through counsel on 06.09.2024 at 10.00 A.M.

Forwarded to the Manager of JAN SATTA DELHI for publication at least 15 days before the next date of hearing.

Copy of publication be sent to the Court of undersigned before the next date of hearing. For more details logon: https://districts.ecourts.gov.in/rohtak

ARYA SHARMA
APJ, FCC, MEHAM (ROHTAK)

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

जबकि **मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'एमबीएचएफ' के रूप में संदर्भित)** एमबीएचएफ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 की एक अधिसूचना के माध्यम से विधिवत अधिकृत किया गया है, जिसे 'वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002'' के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाएगा, इसका पंजीकृत कार्यालय है: - दूसरी मंजिल, एन -2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली - 110049 के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने को कहते हुए एक मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहा है, अतः कर्जदार और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन शुल्क और उस पर ब्याज के अन्य शुल्कों के लिए 'एमबीएचएफ' के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

1. दीपा पत्नी तेजिंदर पाल सिंह, 2. तेजिंदर पाल सिंह पुत्र राम सरन अमोले, दोनों निवासी - प्लॉट संख्या 13-1ए शिव विहार, पोल संख्या ए 530, रिशाल गार्डन, शिव मंदिर के पास, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110041। साथ ही - परसन IV कॉन्टैक्ट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 8वीं मंजिल, टावर बी और सी संख्या-6 विशेष आर्थिक क्षेत्र, डीएलएफ साइबर सिटी फेज-III गुरुग्राम, हरियाणा-122002, 3. संजीव कुमार (गारंटर) पुत्र महिपाल सिंह, देवला, सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306

मांग सूचना दिनांक : 14-09-2023, कब्जे की तिथि : 14.08.2024
मांग सूचना की राशि : रु. 01.09.2023 तक रु. 16,27,904.40/-(रुपये सोलह लाख सत्ताईस हजार नौ सौ चार और चालीस पैसे मात्र)

संपत्ति का विवरण: एक मंजिला आवासीय मकान संख्या 57ए, खसरा संख्या 1900, 57 वर्ग गज यानी 47.65 वर्ग मीटर का समस्त भाग, श्री राम वाटिका, गांव डेरी मछा मानिकपुर, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 203207 में स्थित।

स्थान - उ.प्र., दिनांक - 14.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमिटेड

पट्टे (लीज) पर प्रमुख कार्यालय स्थान

जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत) के पास निम्न उल्लिखित अचल संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व है।

पता	क्षेत्रफल (निर्मित)
वाणिज्यिक भवन द्वितीय तल; प्लॉट नंबर सी 68, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, (पूर्व) मुंबई-400051	83,524 वर्ग फुट,

कंपनी उपरोक्त संपत्ति को नीचे दी गई शर्तों के अनुसार लाइसेंस/ पट्टे पर देने का प्रस्ताव करती है:

- मात्र कॉर्पोरेट्स (वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ता) जिनका टर्नओवर 800 करोड़ रुपये और मूर्त निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये है और वित्तीय संस्थान (एफआई)/फंड/एआईएफ जिनके पास 800 करोड़ रुपये की एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) है, उन्हें रुचि की अभिव्यक्ति ("ईओआई") प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- इच्छुक पक्षों को आवश्यक रूप से संपूर्ण स्थान एक साथ लेना होगा (कोई छोटा विभाजन नहीं किया जा सकता है)।
- इच्छुक पक्षों को परिसर के निरीक्षण से पहले 25 लाख रुपये की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी और एक गैर-प्रकटीकरण समझौता करना होगा।
- ईओआई को कंपनी प्रोफाइल और तीन नवीनतम वर्षों के लेखापरीक्षित किए गए वित्तीय विवरणों के साथ 26 अगस्त, 2024 को या उससे पहले नीचे दी गई ईमेल आईडी पर जमा किया जाना चाहिए।
- केवल शॉर्टलिस्ट किए गए इच्छुक पक्षों के लिए परिसर का निरीक्षण 3 सितंबर, 2024 के भीतर जमा राशि का भुगतान करने के बाद दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच दो दिनों (4-5 सितंबर, 2024) को आयोजित किया जाएगा। जेट एयरवेज (2024) के लिए एक बाध्यकारी प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद, 13 सितंबर, 2024 से पहले निर्धारित प्रारूप में एक बाध्यकारी प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा।

जेट एयरवेज और उसके हितधारक स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया को रद्द करने, कोइ भी कारण बताए बिना किसी भी समय किसी भी ईओएल या बाद के प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ईओएल जमा करने वाले व्यक्ति उपरोक्त संपत्ति के संबंध में अपनी स्वतंत्र सावधानी बरतेंगे।

पूछताछ के लिए संपर्क व्यक्ति (दलाल कृपया क्षमा करें/दलालों से पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा):
श्री चंदन चटर्जी, कॉल करें : (एम) +91-8104435576, ईमेल: Chandan.chatterjee@in.gt.com

टाटा कैपिटल लिमिटेड

TATA

पंजीकृत पता : 11वां तल, टावर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट 4 के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, टावर ए, 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में और अन्य स्थानों के मध्य एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है ("शाखा") का विलय 01-01-2024 की प्रभावी तिथि से टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") में हो गया है।

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 26-03-2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जन साधारण को सामान्य रूप से एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करें और सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार टाटा कैपिटल लिमिटेड की बकाया राशि, ब्याज, लागत और प्रभारों के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता सं.	आवेदक(कों)/कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
TCFLA0359000011089189	1. सतीश तंवर, एमसीएफ-147, संजय कालोनी, गली नंबर 75, सेक्टर-22, फरीदाबाद-121005, हरियाणा, मोबाइल : 9971445955 2. सचिन तंवर, पुत्र सतीश तंवर, एमसीएफ-147, संजय कालोनी, गली नंबर 75, सेक्टर 22, फरीदाबाद-121005, हरियाणा 3. मुनेश तंवर, पत्नी सतीश तंवर, एमसीएफ-147, संजय कालोनी, गली नंबर 75, सेक्टर-22, फरीदाबाद-121005, हरियाणा, मोबाइल : 8287407471	26-03-2024 एवं रु. 37,66,653/-	14-08-2024

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का वर्णन : अनुसूची-क — एमसीएफ-147, संजय कालोनी, गली नंबर 75, सेक्टर-22, फरीदाबाद-121005, हरियाणा

तिथि : 18-08-2024 हस्ता./-
स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा) प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल लिमिटेड

AXIS BANK

खुदरा परिसंपत्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, जी-4/5, सेक्टर-4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226010
निगमित कार्यालय : ''एक्सिस भवन'', सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025
पंजीकृत कार्यालयः ''त्रिशूल'', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सम्मुख, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 05-सितंबर-2024 को ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, [illegible] की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भुगतेय बकाया रु. [illegible] की एक राशि और इस राशि पर नियत भावी ब्याज एवं लागतों की वसूली करने के लिये किया जायेगा। अनिवार्य विवरणों के लिये कृपया संलग्नित नीलामी अनुसूची का संदर्भ ग्रहण करें :-

क्रम सं.	ज्ञात ऋणभार (यदि कोई)	आरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	बोली वृद्धिशील राशि	धराज सहित मोहरबंद प्रस्ताव / निविदा के साथ बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा स्थान	बोलियाँ खोलने की तिथि, समय तथा स्थान
1.	शून्य	रु. 2498000.00 / रु. 249800.00	रु. 10,000/-	4 सितम्बर 2024 को सायं 05:00 बजे तक एक्सिस बैंक लिमिटेड (आरएसी), प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश। श्री आमोद सिंह को संबोधित।	5 सितम्बर 2024 को मध्या. 11.00 से दोपहर 12.00 बजे के मध्य निम्न वेब पोर्टल पर 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ : https://www.bankeauctions.com. ई-नीलामी निविदा प्रलेख जिसमें ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा इत्यादि सम्मिलित हैं, ऊपर वर्णितानुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

संपत्ति / मकान का विवरण लगभग इस प्रकार है — [illegible] कॉरिडोर, पश्चिम– फ्लैट नंबर 402 ए, उत्तर– खुला व्योम, दक्षिण– फ्लैट नंबर 502 बी। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **https://www.axisbank.com/auction-retail** और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर दिये गये लिंक का संदर्भ लें। किसी भी अन्य सहायता के लिये इच्छुक बोलीदातागण बैंक के श्री निखिल शर्मा, मोबाइल नंबर (993510962) से कार्यालय समयावधि में प्रातः 9:30 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ताओं हेतु 15 दिवसीय सूचना माना जाय।

दिनांक : 18-08-2024, स्थान : उत्तर प्रदेश **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Capital & Housing Finance

सीआईएनः L65910MH1984PLCO32639
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर-601, 6वीं मंजिल, पीरामल अमीति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, सामने फायर स्टेशन, एलबीएस मार्ग, कुरिया (पश्चिम), मुंबई - 400070 टीः +91 22 3802 4000

शाखा कार्यालयः प्लॉट नंबर-6, ब्लॉक ए, सेक्टर-2, नोएडा, यूपी-201 301
संपर्क व्यक्ति : 1. निक्की कुमारः- 9650606340,2. पंकज कश्यप - 9136178689 3. रोहन सावंतः- 9833143013

ई-नीलामी बिक्री सूचना - आगामी बिक्री

उधारकर्ताध्ओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की खरीद के लिए **''जहां है जैसा ह'', ''जो है जैसा है वैसा'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

ऋणकोड/शाखा/उधारकर्ता (ओ)/सह-उधारकर्ता(ओ)/गारंटर(ओ)	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का पता ऋअंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10प्रतिशत)	बकाया राशि (12-08-2024)
ऋण कोड संख्याः 19000002012, गाजियाबाद (शाखा), मनोज (उधारकर्ता), सुषमा (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांकः 26-07-2019, रु. 1537575/-, (रु. पंद्रह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचहत्तर मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार हैः - प्लॉट संख्या 141, दूसरी मंजिल पीछे की ओर एनए विक्रम एन्क्लेव, गांव पासोंडा लोनी विक्रम एन्क्लेव, गांव पासोंडा लोनी फ्लैट संख्या-एस4 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 201005 सीमाएँः- उत्तरः प्लॉट संख्या 142 दक्षिणः प्लॉट संख्या 140 पूर्वः प्रवेश/सड़क 40 फीट चौड़ी पश्चिमः सर्विस लेन	रु. 1275408/-, (रु. बारह लाख पचहत्तर हजार चार सौ आठ मात्र)	रु. 127540.8/-, (रु. एक लाख सत्ताईस हजार पांच सौ चालीस मात्र और अस्सी पैसे)	रु. 3191505/-, (रु. इकतीस लाख इक्यावने हजार पांच सौ पांच मात्र)

ई-नीलामी की तिथिः 05-09-2024, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ),
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 04-09-2024, शाम 4.00 बजे से पहले
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **www.piramalfinance.com/e-Auction.html** पर दिए गए लिंक को देखें या हमें **piramal.auction@piramal.com** पर ईमेल करें।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, होगाा, यदि कोई हो तो उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 18.08...2024 स्थान : दिल्ली **हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

फॉर्म जी

रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण दिल्ली में निर्माण व्यवसाय में परिचालित

एसएलआर टेकइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड

दिवाला एवं शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए (1) के अंतर्गत

1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी न. के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	एसएलआर टेकइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड CIN : U70102DL2001PTC111691 PAN : AAGCS9758J
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	308, टॉवर-वी4, प्लॉट न. 14 कम्युनिटी सेन्टर, कडकडडुमा, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110092
3.	वेबसाइट का यूआरएल	एन/ए
4.	स्थान का विवरण जहां स्थायी परिसंपत्तियों की अधिक बहुलसंख्या है	परमेश बिजनेस सेंटर-II, प्लॉट न. 23, कडकडडुमा, कम्युनिटी सेन्टर, दिल्ली-110092
5.	मुख्य उत्पादों सेवाओं की स्थापित क्षमता	एन/ए
6.	अंतिम वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा एवं मूल्य	कॉर्पोरेट देनदार निष्क्रिय है
7.	कर्मचारीगण/कामगारों की संख्या	नहीं
8.	दो वर्षों का वित्तीय विवरण पर अनुरोध (अनुसूची सहित), लेनदारों की सूची सहित विस्तृत विवरण, प्रक्रिया के अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए समस्त विवरण उपलब्ध है।	इसे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से प्राप्त किया जा सकता है एक ईमेल sirtechinfra.amitagcs@gmail.com के माध्यम से अनुरोध भेजा जाना है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत पर अनुरोध प्रस्ताव के लिए योग्यता उपलब्ध है।	इसे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से प्राप्त किया जा सकता है एक ईमेल sirtechinfra.amitagcs@gmail.com के माध्यम से अनुरोध भेजा जाना है
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	02.09.2024
11.	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों की वैकल्पिक सूची जारी करने की तिथि	12.09.2024
12.	वैकल्पिक सूची के लिए आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	17.09.2024
13.	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	27.09.2024
14.	सूचना जारी करने की तिथि ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध संभावित समाधान आवेदक	17.09.2024
15.	संकल्प प्रस्तुत करने की योजना की अंतिम तिथि	17.10.2024
16.	ईओआई जमा करने के लिए प्रोसेस ई-मेल आई डी	sirtechinfra.amitagcs@gmail.com

हस्ता/-
श्री शिवानंद चौधरी
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P-02661/2021-2022/14049
पी-306, लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, नोएडा, सेक्टर-137, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 17.08.2024
स्थान : नोएडा
कृते एसएलआर टेकइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड

वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड

सीआईएनः L67120DL1993PLCO52256
पंजीकृत कार्यालयः 1007, अग्रवाल साइबर प्लाजा-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
ई-मेलः cs@virtualeducation.co.in,
वेबसाइटः www.virtualeducation.co.in, फोनः 011.41522143

31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना। बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग गठन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड (कंपनी) की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 को प्रातः 10:00 बजे महाराजा बैंक्वेट्स, ए-1/20ए, पश्चिम विहार, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110063 में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार किया जाएगा।

एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई-वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तारीख 17 अगस्त, 2024 है। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकरण नहीं कराया है, तो कृपया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और मतदान के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

भौतिक होल्डिंगः कंपनी, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को **Info@skylinerta.com** पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

डीमैट होल्डिंगः कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.virualeducation.co.in** पर भी सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल **www.evotingindia.com** के माध्यम से सभी व्यवसाय के संचालन के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 07 सितंबर, 2024 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होकर सोमवार, 09 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद कोई ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जो मंगलवार, 03 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट ऑफ डेट यानी मंगलवार, 03 सितंबर, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह **evoting@nsdl.co.in** पर या **RTA Skyline Financial Services (P) Ltd** को **Info@skylinerta.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही **NSDL** या रिमोट ई-वोटिंग के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद वोटिंग के लिए एनडीएलएस द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

एजीएम में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। श्री अपूरी श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या, एफसीएस 12734 और सीपी संख्या, 21063) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए पत्र में निहित है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्नधशिकायत श्री अंकित शर्मा, निदेशक, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, 1007, अग्रवाल साइबर प्लाजा-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, को ईमेलः **cfo@virtualeducation.co.in** पर संबोधित की जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बही मंगलवार, 03 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से बंद रहेगी।

वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड की ओर से
हस्ता/-
शिखा
प्रबंध निदेशक
डीनः 07013436

दिनांकः 09-08-2024
स्थानः दिल्ली

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

KEI Wires & Cables

(सीआईएनः L74899DL1992PLC051527)
पंजी. कार्यालयः डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020
फोनः +91-11-26818840/26818642
वेबसाइटः www.kei-ind.com; ई-मेल आईडीः cs@kei-ind-com

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल साधन) के माध्यम से आयोजित 32वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी के सदस्यों की 32वीं 'वार्षिक साधारण बैठक' ('एजीएम') **बुधवार 11 सितंबर, 2024 को अपराहन 03.30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम से ('वीसी'/'ओएवीएम') आयोजित किया जाना है, सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 और 10/2022 दिनांक अप्रैल 08, 2020, अप्रैल 13, 2020, मई 05, 2020, जनवरी 13, 2021, दिसंबर 08, 2021, दिसंबर 14, 2021, मई 05, 2022 और दिसंबर 28, 2022, उसके बाद कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक सितम्बर 25, 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और 'सेबी' परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी 2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक अक्टूबर 07, 2023 और समय-समय पर संशोधित अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्र में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए, एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए, कंपनी पंजीकृत कार्यालय यानी डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को एजीएम के उद्देश्य से स्थल माना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में, वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और दूरस्थ ई-मतदान विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेजे गए हैं जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीएआई डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत/उपलब्ध हैं। शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से सूचना के पूरा होने की दिनांक अगस्त 17, 2024 है।

यदि आपने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें और ई-मतदान के विवरण के लिए लॉगिन करें।

भौतिक धारण	शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 32वीं वार्षिक साधारण बैठक के प्रयोजन के लिए अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और/या अन्य विवरण **Form ISR-1** और सेबी द्वारा निर्धारित अन्य संबंधित फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- II, नई दिल्ली- 110020, ईमेल आईडी **investor@masserv.com** वेबसाइटः **www.masserv.com** को प्रस्तुत करें। इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक प्रपत्र डाउनलोड टैब के तहत आरटीए की वेबसाइट **www.masserv.com** पर उपलब्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट **https://www.kei-ind.com/investor-relations/investors/download/** पर शेयरधारकों द्वारा सूचना और उपयोग के लिए भी उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें और अपना विवरण समय पर अपडेट करें। कृपया इसे **सितम्बर 04, 2024** को या उससे पहले अपडेट करें।
डीमेट धारण	शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। कृपया इसे **सितम्बर 04, 2024** को या उससे पहले अपडेट करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 के साथ पठित नियम 20 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के संशोधित में विनियमन 44 के रूप में, कंपनी ने नेशनल सर्विसेस डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के पोर्टल **www.evoting.nsdl.com** के माध्यम से सभी व्यवसाय के लेनदेन के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। दूरस्थ ई-मतदान की अवधि रविवार, सितम्बर 08, 2024 (09:00 बजे) से शुरू होनी है और मंगलवार, सितम्बर 10, 2024 (05:00 बजे) को समाप्त होनी है, उक्त दिनांक और समय से अधिक ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली को अक्षम किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ डेट यानी बुधवार, सितम्बर 04, 2024 को शेयर धारण करता है, वह व्यक्ति **www.evoting.nsdl.com** या आरटीए, MAS सर्विसेज लिमिटेड में अनुरोध **investor@masserv.com** में भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई-मतदान के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जब सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-मतदान करके वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एस. के. बत्रा एंड एसोसिएट्स (सदस्यता संख्या एफसीएस 7714 एवं सीपी संख्या 8072) कार्यरत कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ संलग्न टिप्पणियों में निहित है। ई-मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत का समाधान केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोनः 011-26818840, फैक्सः 011 26811959, ईमेल **cs@kei-ind.com** पर वीपी (कॉर्पोरेट वित्त) और कंपनी सचिव, श्री किशोर कुणाल, को किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों , 2014 का नियम 10 और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 का विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी की सदस्यों और शेयर ट्रांसफर पुस्तकों का रजिस्टर गुरूवार, सितम्बर 05 2024 से, बुधवार, सितम्बर 11, 2024 (दोनों दिन समावेशी) वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से बंद रहेगा''।

एजीएम और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की सूचना, कंपनी की वेबसाइट **www.kei-ind.com** पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमषः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
(किशोर कुणाल)
वीपी (कॉर्पोरेट वित्त) और कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः अगस्त 17, 2024

AXIS BANK

खुदरा परिसंपत्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, जी-4/5, सेक्टर-4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226010
निगमित कार्यालय : ''एक्सिस भवन'', सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025
पंजीकृत कार्यालयः ''त्रिशूल'', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सम्मुख, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 05-सितंबर-2024 को ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, बच्चू सिंह पुत्र श्री ज्योति राम, श्रीमती ममता पत्नी श्री बच्चू सिंह (**PHR008602523549** / बच्चू सिंह) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भुगतेय बकाया रु. 16,49,487/- की एक राशि और इस राशि पर नियत भावी ब्याज एवं लागतों की वसूली करने के लिये किया जायेगा। अनिवार्य विवरणों के लिये कृपया संलग्नित नीलामी अनुसूची का संदर्भ ग्रहण करें :-

क्रम सं.	ज्ञात ऋणभार (यदि कोई)	आरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	बोली वृद्धिशील राशि	धराज सहित मोहरबंद प्रस्ताव / निविदा के साथ बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा स्थान	बोलियाँ खोलने की तिथि, समय तथा स्थान
1.	शून्य	रु. 834516/- / रु. 83452/-	रु. 10,000/-	4 सितम्बर 2024 को सायं 05:00 बजे तक एक्सिस बैंक लिमिटेड (आरएसी), प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश। श्री आमोद सिंह को संबोधित।	5 सितम्बर 2024 को मध्या. 11.00 से दोपहर 12.00 बजे के मध्य निम्न वेब पोर्टल पर 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ : https://www.bankeauctions.com. ई-नीलामी निविदा प्रलेख जिसमें ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा इत्यादि सम्मिलित हैं, ऊपर वर्णितानुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

संपत्ति / मकान का विवरण लगभग इस प्रकार है — प्लॉट संख्या-13 अनुपम सिटी, अनुपम सिटी, फेज ।।, आगरा में स्थित 41.78 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली डायवर्टेड भूमि / संपत्ति के सभी ऐसे भाग तथा अंश जो श्रीमती ममता के नाम पर तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व - अन्य की भूमि, पश्चिम- रास्ता 6 एमटी, उत्तर- प्लॉट संख्या 12, दक्षिण- प्लॉट संख्या 14, विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक की अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिये गये लिंक का संदर्भ लें। किसी भी अन्य सहायता के लिये इच्छुक बोलीदातागण बैंक के श्री निखिल शर्मा, मोबाइल नंबर (993510962) से कार्यालय समयावधि में प्रातः 9:30 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ताओं हेतु 15 दिवसीय सूचना माना जाय।

दिनांक : 18-08-2024, स्थान : उत्तर प्रदेश **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

AXIS BANK

खुदरा परिसंपत्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, जी-4/5, सेक्टर-4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226010
निगमित कार्यालय : ''एक्सिस भवन'', सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025
पंजीकृत कार्यालयः ''त्रिशूल'', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सम्मुख, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 05-सितंबर-2024 को ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, तारकेश्वर विश्वकर्मा पुत्र श्री छोटे लाल, सुनीता देवी पत्नी री तारकेश्वर विश्वकर्मा (PHR085603890669 / तारकेश्वर विश्वकर्मा) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भुगतेय बकाया रु. 26,82,826/- की एक राशि और इस राशि पर नियत भावी ब्याज एवं लागतों की वसूली करने के लिये किया जायेगा। अनिवार्य विवरणों के लिये कृपया संलग्नित नीलामी अनुसूची का संदर्भ ग्रहण करें :-

क्रम सं.	ज्ञात ऋणभार (यदि कोई)	आरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	बोली वृद्धिशील राशि	धराज सहित मोहरबंद प्रस्ताव / निविदा के साथ बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा स्थान	बोलियाँ खोलने की तिथि, समय तथा स्थान
1.	शून्य	रु. 1795200.00/- / रु. 1,79,520.00/-	रु. 10,000/-	4 सितम्बर 2024 को सायं 05:00 बजे तक एक्सिस बैंक लिमिटेड (आरएसी), प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश। श्री आमोद सिंह को संबोधित।	5 सितम्बर 2024 को मध्या. 11.00 से दोपहर 12.00 बजे के निम्न मध्य वेब पोर्टल पर 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ : https://www.bankeauctions.com. ई-नीलामी निविदा प्रलेख जिसमें ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा इत्यादि सम्मिलित हैं, ऊपर वर्णितानुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

संपत्ति / मकान का विवरण लगभग इस प्रकार है — 189.59 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली डायवर्टेड भूमि / संपत्ति के समस्त ऐसे भाग तथा अंश जो अरजी संख्या 83/3 मौजा परशुरामपुर, परगना- मवई परगना- मवई मुगलसराय, चंदौली 232101 में स्थित, श्रीमती सुनीता के नाम पर तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- सीमा : पूर्व- फरजाना की संपत्ति, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- ओम प्रकाश की संपत्ति, दक्षिण- रास्ता। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक की अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिये गये लिंक का संदर्भ लें। किसी भी अन्य सहायता के लिये इच्छुक बोलीदातागण बैंक के श्री अचिन श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर (933568780) से कार्यालय समयावधि में प्रातः 9:30 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ताओं हेतु 15 दिवसीय सूचना माना जाय।

दिनांक : 18-08-2024, स्थान : उत्तर प्रदेश **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड

सीआईएन : L70100DL2010PLC200749
पंजीकृत कार्यालय : 21, रिंग रोड, तृतीय तल, लाजपत नगर-प्ट, नई दिल्ली-110024
दूरभाष : 011.2647 7771ए वेबसाइट : www.bdrbuildcon.com, ईमेल : info@bdrbuildcon.com

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सारॉंश

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2024 लेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.2024 लेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2023 लेखापरीक्षित	समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय (निवल)	Nil	Nil	Nil	Nil
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि), (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के उपरांत)	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
6	समता अंश पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	6,64,50,000	6,64,50,000	6,64,50,000	6,64,50,000
7	आरक्षितियाँ (पूर्ववर्ती लेखाँकन वर्ष के तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर)	2,55,20,932	2,59,37,389	2,65,84,086	2,59,37,389
8	आय प्रति अंश (परिचालनरत् एवं अपरिचालनकारी अवधि हेतु) (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
	मूलभूत :	(0.06)	(0.05)	(0.04)	(0.13)
	तरलीकृत :	(0.06)	(0.05)	(0.04)	(0. 13)

टिप्पणियाँ :-

1. उपर्युक्त सारॉंश, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा अन्य प्रकटन अपेक्षायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारॉंश हैं। उक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइटों https://www.nseindia.com/emerge_itp/ पर एवं सूचीबद्ध निकाय www.bdrbuildcon.com पर उपलब्ध है।
2. दिनॉंक 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का लेखापरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया तथा निदेशक मंडल द्वारा 14 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अभिलेखन एवं अनुमोदन किया गया था।

कृते बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड
हस्ता./-
राजेश गुप्ता
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14-08-2024

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

RACL Geartech — RAUNAQ GEARS

पंजीकृत कार्यालयः 15वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 (इंडिया)
दूरभाष नं.: 0120-4588500 | **फैक्स नंबर:** 0120-4588513
ईमेलः investor@raclgeartech.com | **वेबसाइटः** www.raclgeartech.com
सीआईएनः L34300DL1983PLC016136

41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड की 41वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को दोपहर 12 बजे (आईएसटी) वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और सेबी द्वारा 6 अक्टूबर, 2023 को जारी SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 और इस संबंध में अन्य प्रासंगिक परिपत्रों ('इसके बाद सामूहिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित') के साथ सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थल आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष ('वित्त वर्ष') 2023-24 ('वार्षिक रिपोर्ट') के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 41वें एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष ('वित्त वर्ष') 2023-24 ('वार्षिक रिपोर्ट') के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 41वें एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दिए गए है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। एमसीए और सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दिया गया है।

जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करने या अपडेट करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

ए. इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपडेट कर सकते हैं।

बी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे इसे कंपनी के आरटीए, यानी मास सर्विसेज लिमिटेड के साथ, **info@masserv.com** पर ईमेल भेजकर पंजीकृत कर सकते हैं, ईमेल में नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्र संख्या, पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता जैसे विवरण प्रदान करें और शेयर प्रमाणपत्र (सामने और पीछे) की स्कैन कॉपी भी दें।

कंपनी ने सभी सदस्यों को 41वें एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 4 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सभी पात्र सदस्य, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और ई-वोटिंग के माध्यम से 41वें एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. 41वें एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और ई-वोटिंग के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा;
2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 8 सितंबर, 2024 (सुबह 09:00 बजे IST) से शुरू होगी और मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे IST) को समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान वोटिंग का भी हकदार होगा।
3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में वोट देने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बुधवार, 4 सितंबर, 2024 है।
4. डीमैटरियलाइज्ड मोड या फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से ई-वोटिंग का तरीका 41वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है।
5. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजने और कट-ऑफ तारीख तक शेयर रखने के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
6. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए एजीएम में वोट करने की अनुमति दी जाएगी। जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे एजीएम में दोबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे, हालांकि, ऐसे सदस्य एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे।
7. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से गुरुवार, 5 सितंबर, 2024 से बुधवार, 11 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।
8. वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.raclgeratech.com और www.nsdl.co.in से डाउनलोड की जा सकती है।
9. ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य 41वें एजीएम की सूचना देख सकते हैं। जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है या ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्न है, वे एनएसडीएल अधिकारियों से ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या 022 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के परिणाम और जांचकर्ता की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर डाली जाएगी। कंपनी इसके साथ ही बीएसई लिमिटेड को भी परिणाम भेजेगी, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड
हस्ता./-
नेहा बहल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ACS: 40272

दिनांक: 17 अगस्त, 2024
स्थान: नोएडा

www.readwhere.com

अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति की गोली मार कर हत्या

वाशिंगटन, 17 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना प्रांत में एक किशोर ने एक स्टोर में लूटपाट करने के बाद भारतीय मूल के 36 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 'सैलिसबरी पोस्ट' की रपट के अनुसार 2580 एअरपोर्ट रोड स्थित 'टोबैको हाउस स्टोर' के मालिक मेनांक पटेल की मंगलवार सुबह गोलीबारी में मौत हो गई।

रोवन काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार इस अपराध के लिए एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, चूंकि वह वयस्क नहीं है इसलिए पुलिस अधिकारी उसका नाम उजागर नहीं कर सकते। आरोपी को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन कोई अतिरिक्त विवरण जारी नहीं किया गया। रोवन काउंटी के शेरिफ कार्यालय के जन सूचना अधिकारी कैप्टन मार्क मैकडेनियल ने बताया कि जब वे घटनास्थल पर जा रहे थे तभी उन्हें सूचना मिली कि गोलीबारी हुई है।

मैकडेनियल ने बताया कि जब पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पटेल घायल हैं और उन्हें गोलियां लगी हैं। पटेल को नोवेंट हेल्थ रोवन मेडिकल सेंटर ले जाया गया और फिर चार्लोट के प्रेस्बिटेरियन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मैकडेनियल ने कहा कि गोलीबारी के कारणों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि यह डकैती का मामला है। पटेल के परिवार में उनकी पत्नी और पांच साल की बेटी है। उनकी पत्नी गर्भवती हैं।

मध्यस्थों को युद्धविराम की उम्मीदों के बीच

गाजा में हिंसा का दौर जारी, 18 लोग मारे गए

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 17 अगस्त (एपी)।

शनिवार को गाजा पट्टी पर किए गए एक हवाई हमले में एक ही परिवार के कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। *पिछले* 10 महीने से जारी इजराइल-हमास युद्ध में गाजा में मरने वालों की संख्या 40,000 से अधिक होने की स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा और अमेरिका, मिस्र तथा कतर के अधिकारियों द्वारा दो दिन की संघर्षविराम वार्ता समाप्त करने के बाद यह हमला हुआ।

इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता कराने के मध्यस्थों के प्रयासों के बीच इजराइल द्वारा शनिवार को गाजा पट्टी पर किए गए एक हवाई हमले में एक ही परिवार के कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई।

वार्ता में समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद जताई गई है। दीर अल-बलाह स्थित एक अस्पताल के मुताबिक, गाजा के जावैदा शहर में एक घर और निकटवर्ती एक गोदाम पर शनिवार सुबह हवाई हमला हुआ। इस गोदाम में विस्थापित लोग रह रहे थे। इसी अस्पताल में हताहतों को ले जाया गया और एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता ने वहां लाए गए मृतकों की गिनती की। मारे गए लोगों में एक थोक व्यापारी भी शामिल हैं, जिसकी पहचान समी जावेद अल-अजलाह के रूप में हुई है। समी गाजा में मांस और मछली लाने के लिए इजराइली सेना के साथ समन्वय करता था।

अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई गई मृतकों की सूची के अनुसार, मृतकों में उसकी दो पत्नियां, दो से 22 वर्ष की आयु के उसके 11 बच्चे, बच्चों की दादी और तीन अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। हमले में मामूली रूप से घायल हुए पड़ोसी अबू अहमद ने कहा, 'वह (समी) एक शांतिपसंद व्यक्ति था।' उसने बताया कि हमले के समय घर और गोदाम में 40 से अधिक नागरिक शरण लिए हुए थे।

लोकसभा सचिवालय की घोषणा

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल पीएसी के अध्यक्ष बने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

प्राक्कलन समिति की अध्यक्षता संजय जायसवाल करेंगे

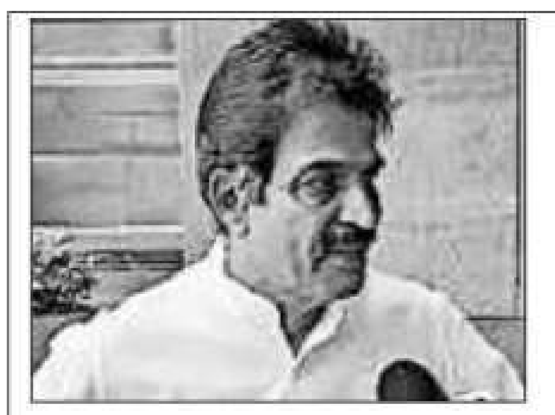

केसी वेणुगोपाल

संजय जायसवाल

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में पांच संसदीय समितियों के गठन की जानकारी दी गई है। इनमें लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के अलावा ओबीसी के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति, एससी एवं एसटी के कल्याण से जुड़ी समिति भी शामिल हैं।

कांग्रेस के संगठन महासचिव और लोकसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल को संसद की महत्त्वपूर्ण समिति माने जाने वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में पांच संसदीय समितियों के गठन की जानकारी दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति तथा अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण से जुड़ी समिति गठित की गई हैं।

ओबीसी कल्याण के संबंधित समिति के अध्यक्ष भाजपा के गणेश सिंह होंगे, जबकि उनके पार्टी सहयोगी फग्गन सिंह कुलस्ते एससी-एसटी कल्याण से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे।

भाजपा सांसद बैजयंत पांडा सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति (सीओपीयू) और प्राक्कलन समिति संसद की प्रमुख वित्तीय समितियां हैं, जिनका काम सरकार के खातों और सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज पर नजर रखना है।

तीनों समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और इनमें लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिनका चयन दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। इनके अलावा विभाग-संबंधी अन्य स्थाई समितियां भी हैं जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर नजर रखती हैं। संसदीय परिपाटी के अनुसार, पीएसी की अध्यक्षता मुख्य विपक्षी दल के किसी नेता को सौंपी जाती है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पीएसी के अध्यक्ष थे।

पीएसी में लोकसभा के जिन 15 सदस्यों को जगह दी गई है, उनमें द्रमुक के टीआर बालू, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे व जगदंबिका पाल, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तथा कई अन्य सांसद शामिल हैं।

इस समिति में लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7 सांसद यानि कुल मिलाकर अध्यक्ष सहित 22 सांसद शामिल हैं। केसी वेणुगोपाल के अलावा लोकसभा से टीआर बालू,निशिकान्त दुबे, जगदंबिका पाल, जय प्रकाश, रवि शंकर प्रसाद, सीएम रमेश, मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी, प्रो. सौगत राय, अपराजिता सारंगी, डा. अमर सिंह, तेजस्वी सूर्या, अनुराग सिंह ठाकुर, बालाशौरी वल्लभनेनी और धर्मेन्द्र यादव समिति के सदस्य हैं। वहीं राज्य सभा से अशोक चव्हाण, शक्तिसिंह गोहिल, डा. के. लक्ष्मण, प्रफुल्ल पटेल, सुखेंदु शेखर राय, तिरुचि के शिवा सांसद शामिल हैं।

कोलकाता में बलात्कार व हत्या का मामला

ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन

ढाका, 17 अगस्त (भाषा)।

बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने पड़ोसी देश भारत में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में एक महिला प्रशिक्षु डाक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में जारी प्रदर्शनों में शामिल होकर एकजुटता दिखाई। समाचार पत्र 'ढाका ट्रिब्यून' की खबर के अनुसार शुक्रवार को 'आवाज तोलो नारी' (आवाज उठाओ महिलाओं) के बैनर तले आयोजित यह प्रदर्शन ढाका विश्वविद्यालय में 'राजू स्कल्प्चर' (ढाका विश्वविद्यालय में एक छात्र की स्मृति में बनाया गया स्मारक) के निकट किया गया।

प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां भी ले रखी थीं जिन पर लिखा था 'बलात्कारियों को फांसी दो', 'क्या मैं अगली हूं?', 'हिंसा बंद करो'। 'ढाका ट्रिब्यून' ने भौतिकी विभाग की छात्रा रहनुमा अहमद निरेट के हवाले से अपनी खबर में कहा, 'हम बंगाल में बलात्कार के मामले में मेडिकल कालेज प्रशासन के असहयोगपूर्ण रवैये से अवगत हैं। महिला होने के नाते, हम मांग करते हैं कि प्रशासन अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्रदान करे, कानून को सख्ती से लागू करे और फैसला जल्द सुनाए।' मानव विज्ञान विभाग की छात्रा आन्या फहमीन ने कहा, 'दुनियाभर में महिलाओं को बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का सामना करना पड़ता है।'

भाजपा की विचारधारा को हर कोने तक पहुंचाने का आह्वान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। पार्टी का लक्ष्य है कि इस अभियान के जरिए वह दस करोड़ से अधिक सदस्य बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पार्टी नेताओं से भाजपा की विचारधारा को देश के सभी कोनों तक ले जाने का आह्वान किया और भविष्य में पार्टी की मजबूत चुनावी संभावनाओं का विश्वास व्यक्त किया।

भाजपा की एक बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोगों ने बार-बार राज्यों और केंद्र में भाजपा सरकारों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, जबकि कांग्रेस को खारिज किया है। पार्टी भविष्य में भी चुनाव जीतती रहेगी। शाह ने पार्टी नेताओं से आह्वान किया कि भाजपा की विचारधारा को देश के हर हिस्से तक ले जाया जाए।

पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सदस्यता अभियान की सह संयोजक रेखा वर्मा और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में हुई बैठक को लेकर जानकारी दी। पात्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शनिवार को सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि अगले एक सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना है। कोरोना महामारी के कारण इस अभियान को रोका गया था। सदस्यता अभियान चार आयामों पर आगे बढ़ेगा।

जयशंकर ने तीसरे 'वायस आफ ग्लोबल साउथ' सम्मेलन में कहा

बहुपक्षीय संस्थाएं समाधान तलाशने में विफल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

भारत ने शनिवार को एक बार फिर प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब वैश्विक व्यवस्था को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो संबंधित संस्थाएं समाधान नहीं दे पाईं।

जयशंकर ने तीसरे 'वायस आफ ग्लोबल साउथ' सम्मेलन में अपने संबोधन में विकासशील देशों को कम लागत वाले वित्तपोषण और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां प्रदान करने का भी आ''ान किया। भारत ने डिजिटल रूप से इस सम्मेलन की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वैश्विक व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियां होने के बावजूद बहुपक्षीय संस्थाओं से समाधान नहीं निकल पाया। शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों के सत्र में उन्होंने कहा कि इसका कारण बहुपक्षीय संगठनों का ध्रुवीकरण है।

उन्होंने कहा कि यहां भी भारत ने सुधारवादी बहुपक्षवाद की वकालत की है और जी-20 के माध्यम से बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार की मांग की है। एक समूह के रूप में, हमें अपने मुद्दे को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए लगातार दबाव बनाता रहा है और तर्क देता रहा है कि इनमें वर्तमान विश्व की वास्तविकताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने और डिजिटल बदलावों को लोकतांत्रिक बनाने के चार विशिष्ट क्षेत्रों में अपने विचार रखे।

आर्थिक लचीलेपन के बारे में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, संघर्षों और जलवायु संबंधी घटनाओं ने विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

उत्साह जकार्ता में एंकोल तट पर इंडोनेशिया के स्वतंत्रता समारोह में ग्रीस लगे खंभे पर चढ़ा प्रतिभागी।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 2000 सदस्य जुटे | गौरव | बिल गेट्स ने आयोजन में शामिल होने को सम्मान बताया

सिएटल में पहले भारत दिवस समारोह की शुरुआत हुई

सिएटल/न्यूयार्क, 17 अगस्त (भाषा)।

बिल गेट्स बने मुख्य अतिथि

'गेट्स फाउंडेशन' के अध्यक्ष गेट्स ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के मुख्य अतिथि के रूप में ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में प्रथम भारत दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशकर को 'टैग' करते हुए पोस्ट में लिखा।

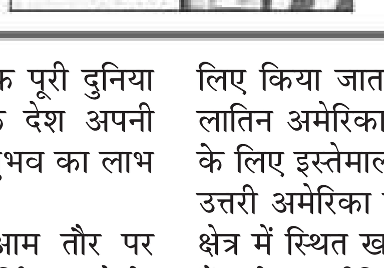

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की

गेट्स ने इंस्टाग्राम पर इस समारोह की तस्वीरें भी साझा कीं। भारतीय राष्ट्रध्वज के रंगों का स्कार्फ पहने गेट्स के साथ सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता और अन्य अधिकारी समारोह में शामिल हुए। वाणिज्य दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर प्रथम भारत दिवस समारोह को हरी झंडी दिखाई।

प्रौद्योगिकी कंपनी 'माइक्रोसाफ्ट' के सह-संस्थापक और अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने सिएटल क्षेत्र में पहले भारत दिवस समारोह को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि सुरक्षित टीकों के निर्माण से लेकर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक हर क्षेत्र में भारत की कुशलता न केवल भारतीयों, बल्कि पूरे विश्व की मदद कर रही है।

सिएटल वाणिज्य दूतावास द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस बयान में कहा गया कि गेट्स ने समारोह में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 2,000 से अधिक सदस्यों को संबोधित करते हुए भारत को 'प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवोन्मेष करने वाला एक वैश्विक नेता' बताया। गेट्स ने इस बात पर जोर दिया कि 'कम लागत का सुरक्षित टीका बनाने और प्रवासी भारतीयों द्वारा दिखाए गए उल्लेखनीय नेतृत्व से लेकर भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (डीपीआइ) ढांचे तक-भारत की कुशलता न केवल भारतीयों, बल्कि पूरी दुनिया की मदद कर रही है। 'ग्लोबल साउथ' के देश अपनी डीपीआइ प्रणाली बनाने के लिए भारत के अनुभव का लाभ उठा रहे हैं।'

'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर आर्थिक रूप से अल्प विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। 'ग्लोबल साउथ' शब्द आम तौर पर लातिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशेनिया के क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर दक्षिणी गोलार्द्ध और भूमध्यरेखीय क्षेत्र में स्थित खासकर ऐसे देशों से है, जो कम आय वाले हैं। सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में गेट्स ने कहा कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और भारतीय प्रवासियों के साथ मिलकर सिएटल वाणिज्य दूतावास में पहले भारत दिवस समारोह में भाग लेना 'सम्मान' की बात है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशकर को 'टैग' करते हुए पोस्ट में लिखा, 'भारत प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ऐसे अभूतपूर्व नवोन्मेष करने वाला वैश्विक नेता हैं, जो जीवन की रक्षा कर रहे हैं और उसे सुधार रहे हैं। भारत सरकार, परोपकारी लोगों, निजी क्षेत्र, गैर-लाभकारी संस्थाओं और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के साथ सहयोग करना सम्मान की बात है। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।'

वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में बताया कि ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से 'विविधता में एकता' दर्शाई गई।

खबर कोना

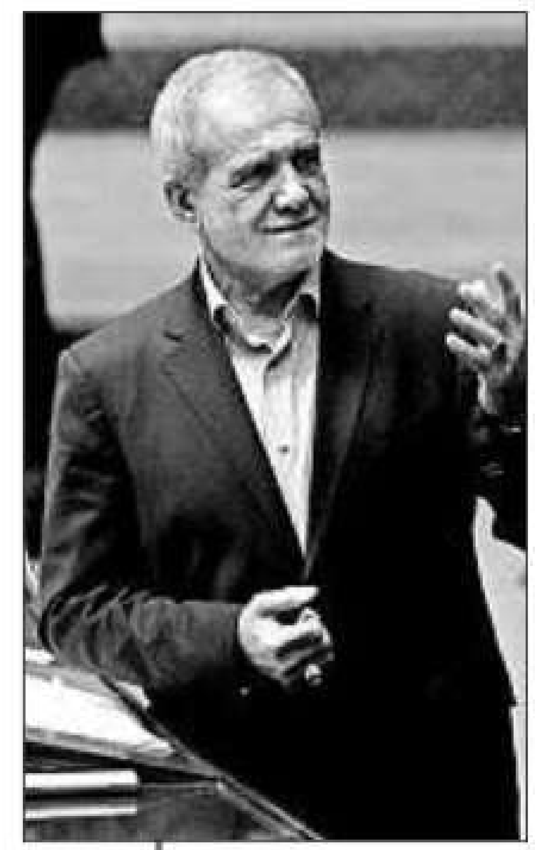

तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान संसद के खुले सत्र में बोलते हुए।

कांगो में विद्रोहियों के हमले में 16 ग्रामीणों की मौत, 20 का अपहरण

किन्शासा, 17 अगस्त (एपी)।

उत्तर-पूर्वी कांगो में इस्लामिक स्टेट समूह से संबद्ध आतंकवादियों के हमलों में कम से कम 16 ग्रामीणों की मौत हो गई और 20 अन्य का अपहरण कर लिया गया। एक स्थानीय नागरिक समाज समूह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 'न्यू सिविल सोसायटी आफ कांगो' के समन्वयक जान वुल्वेरियो ने बताया कि 'एलीड डेमोक्रेटिक फोर्सेज' के हमलावरों ने इटुरी प्रांत के मम्बासा क्षेत्र में बुधवार और शुक्रवार के बीच स्थानीय लोगों पर उस समय हमले किए, जब वे अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया, 'मृतकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो 20 अन्य लोग अपहृत किए गए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है।' स्थानीय मीडिया ने बताया कि अपहृत किए गए लोगों में एक स्थानीय सरकारी अधिकारी गिल्बर्ट शिवमवेंदा की मां और बहन भी शामिल हैं। कांगो के कई गांवों को सत्ता और मूल्यवान खनिज संसाधनों के लिए लड़ने वाले स्थानीय विद्रोहियों या चरमपंथी विचारधारा वाले आतंकवादी समूहों ने घेर लिया है।

हालीवुड के जाने माने संगीतकार ग्रेग किहन का निधन

सैन फ्रांसिस्को, 17 अगस्त (एपी)।

अस्सी के दशक के लोकप्रिय गीतों 'जेओपार्डी' और 'द ब्रेकअप सान्ग' के लिए मशहूर 'राक एंड रोल' संगीतकार ग्रेग किहन का निधन हो गया है। वह 75 वर्ष के थे। किहन की वेबसाइट पर जारी एक बयान में उनकी प्रबंधन टीम ने बताया कि संगीतकार का अल्जाइमर बीमारी से मंगलवार को निधन हो गया। बाल्टीमोर में 10 जुलाई 1949 को जन्मे किहन 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को चले गए थे जिसके बाद उन्होंने 'बेसर्क्ली रिकार्ड्स' के साथ अनुबंध किया। ग्रेग किहन बैंड को पहली सफलता 1981 में 'द ब्रेकअप सान्ग' से मिली। उन्होंने कई उपन्यास एवं लघु कथाएं भी लिखीं।

दक्षिणी लेबनान में हमले में महिला और दो बच्चों सहित 10 लोगों की मौत

बेरूत, 17 अगस्त (एपी)।

दक्षिणी लेबनान में शनिवार तड़के इजराइल द्वारा किए गए एक हमले में कम से कम 10 सीरियाई नागरिकों की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। हमास के दक्षिणी इजराइल पर हमले के एक दिन बाद आठ अक्तूबर को हिजबुल्ला उग्रवादी समूह और इजराइली सेना के बीच एक-दूसरे पर हमले किए जाने के बाद से नाबातीह प्रांत के वादी अल-कफूर पर यह हमला लेबनान पर किए गए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। हिजबुल्ला का कहना है कि जब तक गाजा पट्टी में युद्ध विराम नहीं हो जाता तब तक वह अपने हमले बंद नहीं करेगा।

अभिनेता पंकज त्रिपाठी 'इंडिया डे परेड' में गणमान्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित

न्यूयार्क, 17 अगस्त (भाषा)।

अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका के न्यूयार्क शहर में आयोजित होने वाली 'इंडिया डे परेड' के लिए गणमान्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। त्रिपाठी फिलहाल न्यूयार्क में हैं, जहां मैनहेटन में मेडिसन एवेन्यू में भारतीय समुदाय का प्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एसोसिएशन एनवाई-एनजे-सीटी-एनई (एफआइए) रविवार को 42वीं 'इंडिया डे परेड' आयोजित करेगा। त्रिपाठी ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है कि परेड में 'वसुधैव कुटुंबकम' के संदेश के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। अभिनेता ने कहा, 'हम अमेरिका में लोगों को वसुधैव कुटुंबकम का अपना संदेश देंगे।'

www.readwhere.com

मप्र : सरकारी वित्तपोषित मदरसों में फर्जी नामांकन की जांच के आदेश

भोपाल, 17 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों में विद्यार्थियों के फर्जी नामांकन की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षा न दी जाए।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिश पर यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कुछ मदरसों ने विद्यार्थियों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए हैं।

एनसीपीसीआर के संज्ञान में भी यह बात आई है। आयुक्त (लोक शिक्षण या सार्वजनिक निर्देश) शिल्पा गुप्ता ने यह आदेश जारी कर अधिकारियों को प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है।

ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए बच्चों (मुस्लिम या गैर-मुस्लिम) के नाम धोखाधड़ी से तो पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, यदि किसी मदरसे में बच्चों के नाम धोखाधड़ी से पंजीकृत पाए गए तो उनका अनुदान रोक दिया जाएगा या फिर उनकी मान्यता रद्द कर उचित दंड प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि कानूनी प्रावधान के तहत यदि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों को उनके धर्म की शिक्षाओं के विपरीत धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या उन्हें उनकी सहमति के बिना किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है (यदि वे नाबालिग हैं) तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

आपत्तिजनक व्यवहार पर महिला ने व्यक्ति को घायल किया

ठाणे, 17 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यक्ति ने महिला के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार किया जिसके बाद महिला ने खुद को बचाने के लिए करछी से उसके निजी अंग पर वार करके उसे घायल कर दिया।

एक अधिकारी ने शनिवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 30 वर्षीय घायल व्यक्ति को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी अनिल सत्यनारायण राचा ने शराब के नशे में भिवंडी इलाके में 26 वर्षीय एक महिला के घर पर उसके साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार किया।

पुलिस ने बताया कि राचा और महिला एक-दूसरे को जानते हैं। शुक्रवार को शाम करीब साढ़े चार बजे राचा उसके घर गया और कथित तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ का प्रयास किया। खुद को बचाने के लिए महिला ने शोर मचाया और रसोई की तरफ भागी और हाथ में करछी उठाया। अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि उसने करछी से उसके निजी अंग पर वार कर उसे घायल कर दिया।

मोरबी, राजकोट त्रासदी पर भाजपा सरकार को घेरा

सुरेंद्रनगर, 17 अगस्त (भाषा)।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात में मोरबी पुल ढहने और राजकोट में 'गेमिंग जोन' में आग लगने जैसी त्रासदियों को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वह नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही है।

सिंह यहां 'न्याय यात्रा' में शामिल होने आए थे। कांग्रेस ने मोरबी से पद यात्रा शुरू की है जिसका उद्देश्य पिछले पांच वर्ष में भाजपा शासित राज्य में हुई चार बड़ी त्रासदियों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि यात्रा के माध्यम से कांग्रेस राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दों को उठा रही है और जनता के समक्ष यह भी रख रही है कि क्या लोगों, विशेषकर गरीबों को उनके अधिकार मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में आग लगने की घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें गईं, मोरबी की घटना में भी कई लोगों की मौत हुई थी। सिंह ने कहा, 'भाजपा ने राज्य में 35 साल से अधिक समय तक शासन किया है। क्या राज्य में कानून-व्यवस्था का पालन हो रहा है? क्या लोगों, खासकर गरीबों को उनके अधिकार मिल रहे हैं? ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं।' मोरबी से नौ अगस्त को शुरू की गई 14 दिवसीय 'न्याय यात्रा' लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

AU SMALL FINANCE BANK — A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तों व सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई- नीलामी विक्रय सूचना

आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा **एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)** के नाम से ज्ञात जो कि आगे **AUSFB** सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को **''जैसे है जहां है'' एवं जो भी है जैसा भी है** के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है ई-नीलामी वेबसाईट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार/बंधककर्त्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
ऋण खाता सं.: L9001060714040609 & L9001061124760672 **आर सम्पत पुत्र राजा मदेश्वरन (ऋणी)**, राजा मदेश्वरण पुत्र अरूमुगम (सह-ऋणी), लक्ष्मी मदेश्वरन पुत्र पालनी स्वामी	10 अक्टूबर 2022 ₹ 4030274/- रुपये चालीस लाख तीस हजार दो सौ चौहत्तर मात्र व ₹ 713705/- रुपये सात लाख तेरह हजार सात सौ पाँच मात्र 8 **अक्टूबर 2022**	16 सितम्बर 2023	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 84/23, सम्पत्ति बियरिंग नं. आरजेड-एफ1/382, गांव-पालम, दिल्ली, स्टेट कॉलोनी को महावीर एनक्लेव के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली, **क्षेत्रफल 90 वर्ग गज**	₹ 3200000/- रुपये बत्तीस लाख मात्र	₹ 320000/- रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र	25 सितम्बर 2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	23 सितम्बर 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा पता:- ए-54, गुलाब बाग, द्वारिका मोड़, पिल्लर नं. 750 के सामने, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	अमित लोहिया व दिपक जैन, 7340011760 व 9773358234, ई-मेल आई.डी. auctions@aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 20 सितम्बर 2024
ऋण खाता सं.: L9001060723888621 **के.एम. फैशन्स (ऋणी)**, ऋषि प्रकाश शर्मा पुत्र देवीदत्त शर्मा (सह-ऋणी), श्रीमती रेणू शर्मा पत्नी शिव कुमार शर्मा (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 ₹ 7082054/- रुपये सत्तर लाख बयासी हजार चौवन **9 दिसम्बर 2022**	27 अप्रैल 2023	पहली मंजिल पर पश्चिमी और उत्तरी हिस्से का हिस्सा बना छत अधिकार के, सम्पत्ति बियरिंग एम. सी. नं. 662 (पुराना), नया नं. 1863, वार्ड नं. बी-चिराखाना, मालीवाड़ा, दिल्ली-110006, **क्षेत्रफल 101.77 वर्ग गज**	₹ 5000000/- रुपये पचास लाख मात्र	₹ 500000/- रुपये पाँच लाख मात्र	25 सितम्बर 2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	23 सितम्बर 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा पता:- ए-54, गुलाब बाग, द्वारिका मोड़, पिल्लर नं. 750 के सामने, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	अमित लोहिया व दिपक जैन, 7340011760 व 9773358234, ई-मेल आई.डी. auctions@aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 20 सितम्बर 2024

ई-निलामी बिक्री के नियम और शर्तें:-
(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री AUSFB सुरक्षित लेनदार द्वारा ''जैसा है, जहां है, ''जैसा है वैसा, ''जो कुछ भी है और'' नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। (2.) ऑनलाइन ई-निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईएमडी के साथ, जो **आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED** पांचवी एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नं. 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020, **IFSC कोड : AUBL0002011** में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी **auctions@aubank.in** पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ **आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नं.** भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए **वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction** अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए **ई-मेल auctions@aubank.in** पर सम्पर्क करें।
नोट:- यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।

स्थान: दिल्ली दिनांक: 17 जुलाई 2024 **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan the QR Code to view the DRHP)

TRUALT BIOENERGY

TRUALT BIOENERGY LIMITED

Our Company was originally incorporated as "TruAlt Energy Limited" as a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated on March 31, 2021, by the Registrar of Companies, Karnataka at Bangalore ("**RoC**"). The name of our Company was subsequently changed to "TruAlt Bioenergy Limited", pursuant to a special resolution passed in the extra-ordinary general meeting of the Shareholders held on June 1, 2022, pursuant to which a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the RoC on July 1, 2022. For further details of change in name of the Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 296 of the draft red herring prospectus dated August 16, 2024 (the "**DRHP**" or the "**Draft Red Herring Prospectus**").

Corporate Identity Number: U15400KA2021PLC145978
Registered Office: Survey No. 166, Kulali Cross, Jamkhandi Mudhol Road, Bagalkot – 587313, Karnataka, India; **Tel:** 083502 00005
Corporate Office: No S 904/A 9th Floor WTC Brigade Gateway Campus No 26/1, Malleswaram West, Bangalore – 560055, Karnataka, India; **Tel:** 080-23255000
Contact Person: Sudheer Sannapaneni, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** cs@trualtbioenergy.com; **Website:** https://www.trualtbioenergy.com/

OUR PROMOTERS: VIJAYKUMAR MURUGESH NIRANI, VISHAL NIRANI AND SUSHMITHA VIJAYKUMAR NIRANI

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF TRUALT BIOENERGY LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 75,000 LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 36,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS, COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 18,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS BY DHRAKSAYANI SANGAMESH NIRANI, AND UP TO 18,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS BY SANGAMESH RUDRAPPA NIRANI (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND EACH INDIVIDUALLY, AS A "SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH OFFER FOR SALE OF EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A PRIVATE PLACEMENT, RIGHTS ISSUE, PREFERENTIAL OFFER OR ANY OTHER METHOD OF SPECIFIED SECURITIES AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS, TO ANY PERSON(S), FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 15,000 LAKHS ("PRE-IPO PLACEMENT"), PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE OFFER COMPLYING WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS OF THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE PROSPECTUS.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED KANNADA DAILY NEWSPAPER, KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SUCH ADVERTISEMENT SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH THE BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid /Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", and such portion, the "**QIB Portion**"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the "**Anchor Investor Portion**"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of undersubscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) ("**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. If at least 75% of the Offer cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. Further, (a) not more than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors (out of which one third portion shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹2.00 lakhs and up to ₹10.00 lakhs and two-third portion shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹10.00 lakhs) and (b) not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Account and UPI ID in case of UPI Bidders, as applicable, pursuant to which the corresponding Bid Amount, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or the Sponsor Bank, as the case may be, to the extent of their respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* beginning on page 566 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the websites of the BRLMs, i.e., DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com and the website of our Company at https://www.trualtbioenergy.com/. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* beginning on page 34 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("**Red Herring Prospectus**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges being BSE and NSE.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 296 of the DRHP.

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see *"Capital Structure"* on page 109 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
DAM CAPITAL	SBICAPS Complete Investment Banking Solutions	Bigshare Services Pvt. Ltd.
DAM Capital Advisors Limited One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 Maharashtra, India **Tel.:** +91 22 4202 2500; **E-mail:** trualt.ipo@damcapital.in **Investor Grievance E-mail:** complaint@damcapital.in **Website:** www.damcapital.in **Contact person:** Chandresh Sharma **SEBI Registration No.:** MB/INM000011336	**SBI Capital Markets Limited** 1501, 15th Floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai 400 051 Maharashtra, India **Tel.:** +91 22 4006 9807; **E-mail:** trualt.ipo@sbicaps.com **Investor Grievance E-mail:** investor.relations@sbicaps.com **Website:** www.sbicaps.com **Contact person:** Karan Savardekar / Sambit Rath **SEBI Registration No.:** INM000003531	**Bigshare Services Private Limited** S6-2 Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road Next to Ahura Centre, Andheri (East) Mumbai 400 093 Maharashtra, India **Tel.:** +91 22 62638200; **E-mail:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance E-mail:** investor@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact person:** Jibu John **SEBI Registration No.:** INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **TRUALT BIOENERGY LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sudheer Sannapaneni
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Bangalore, Karnataka
Date : August 17, 2024

TRUALT BIOENERGY LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the websites of the BRLMs, i.e., DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com and the website of our Company at https://www.trualtbioenergy.com/. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see *"Risk Factors"* on page 34 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 ("**U.S. Securities Act**") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities) in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

CONCEPT

फॉर्म ए
सार्वजनिक सूचना

[भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत]

मेसर्स बीएन पैक कॉरगेटेड प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	बीएन पैक कॉरगेटेड प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28.06.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U27310DL2004PTC127213
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	ए-37, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली, भारत, 110092
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख	14.08.2024 अंतरिम समाधान पेशेवर को 16.08.2024 को ईमेल के माध्यम से आदेश प्राप्त हुआ।
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तारीख	(10.02.2025) (सीआईआरपी प्रारंभ तिथि से 180 दिन अर्थात 16.08.2024)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	आईआरपी का नाम: **हरमीत कौर** पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00948/2020-2021/13076
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	पता: सी-10, एलजीएफ, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली- 110024. ई-मेल: harmeet.kaur@rrrinsolvency.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	पता: सी-10, एलजीएफ, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली- 110024. ई-मेल: bnpackincirp@gmail.com, harmeet,kaur@rrrinsolvency,com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**01.09.2024**
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हों, सुनिश्चित की गई हैं	एनए
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	एनए
14.	(ए) प्रासंगिक प्रपत्र और (बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(ए) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (बी) एनए

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच- VI ने 14.8.2024 को मेसर्स बीएन पैक कॉरुगेटेड प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है (यह आदेश अंतरिम समाधान पेशेवर को 16.08.2024 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ)।

मेसर्स बीएन पैक कॉरगेटेड प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अनुरोध है कि वे 01.09.2024 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर के समक्ष अपने दावे प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण सहित दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

हस्ता/-
हरमीत कौर
मैसर्स बीएन पैक कॉरगेटेड प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत) के मामले में अंतरिम समाधान पेशेवर
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00948/2020-2021/13076
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय: ए-37, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली- 110092
आईआरपी का पंजीकृत कार्यालय: सी-10, एलजीएफ, लाजपत नगर-III, दिल्ली - 110024
आईपीई का भागीदार: आरआरआर इन्सॉल्वेंसी सर्विस एक्सपर्ट्स एलएलपी
ईमेल आईडी: bnpackincirp@gmail.com, harmeet.kaur@rrrinsolvency.com

दिनांक: 18.08.2024
स्थान: नई दिल्ली एएफए वैध: 30.06.2025 तक | मोबाइल नंबर 91 7838777119

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ ''दायित्वधारी'' सन्दर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध माँग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें तो किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्द्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नामों के सम्मुख नीचे वर्णित राशियों का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा ऋण अनुबन्ध के साथ पठित तथा अन्य दस्तावेजों/लेखनों, यदि कोई हो, द्वारा क्रियान्वित, भुगतान की तिथि तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित सम्बद्ध सूचना/ओं की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(यों) बन्धक रखी गयी हैं।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्नलिखित तिथियों तक कुल बकाया राशि रु.*	माँग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि
TCHHL0351000100148633 तथा TCHIN03510001001 51488	श्री मनोज (कर्जदार) तथा श्रीमती मधु (सह-कर्जदार)	09/08/2024 तक, ऋण खाता संख्या TCHHL0351000100148633 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 54,24,212/- (रुपये चौवन लाख चौबीस हजार दो सौ बारह मात्र) की राशि देय है और ऋण खाता संख्या TCHIN0351000100151488 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 1,56,607/- (रुपये एक लाख छप्पन हजार छह सौ सात मात्र) की राशि देय है यानी कुल रु. 55,80,819 (रुपये **पचपन** लाख अस्सी हजार आठ सौ उन्नीस मात्र)	09.08.2024 तथा 03.08.2024
प्रतिभूत संपत्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: ऊपरी भूतल (सामने का हिस्सा) का समस्त भाग, बिना छत के अधिकार के, 120 वर्ग गज का क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज में से) खसरा संख्या 602 में से संपत्ति संख्या ए-2 पर निर्मित, नवादा गांव, के क्षेत्र में स्थित, ए ब्लॉक कॉलोनी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, डी.के. रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँ: पूर्व-रोड 30', पश्चिम-पीछे की ओर यूनिट/गली 10', उत्तर-प्लॉट संख्या ए-03, दक्षिण-प्लॉट संख्या ए-01			
TCHHL0720000100251527 तथा TCHIN07200001002 56018	श्री नन्दन सिंह उर्फ नंदन सिंह नेगी (कर्जदार), एवं श्रीमती हिरा देवी एवं श्री मनोज सिंह नेगी (सह-कर्जदार)	09/08/2024 तक, ऋण खाता संख्या TCHHL0720000100251527 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 34,08,360/- (रुपये चौंतीस लाख आठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की राशि देय है तथा ऋण खाता संख्या TCHIN0720000100256018 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 1,34,692/- (रुपये एक लाख चौंतीस हजार छह सौ बानवे मात्र) की राशि देय है, यानी कुल रु. 35,43,052/- (रुपये पैंतीस लाख तैंतालीस हजार बावन मात्र)	09.08.2024 तथा 01.08.2024
प्रतिभूत संपत्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: प्लॉट संख्या 160 और 161 वाली संपत्ति पर, खसरा संख्या 157 में शामिल, 75 वर्ग गज (कुल भूमि में से 200 वर्ग गज) माप की दूसरी मंजिल पीवीटी संख्या सी-1 (सामने का दाहिना भाग) का समस्त भाग, बिना छत के अधिकार के, खसरा संख्या 157 में शामिल, दिल्ली राज्य के नवादा गांव की राजस्व संपदा में स्थित, विपिन गार्डन कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं: पूर्व- सड़क 30', पश्चिम- गली, उत्तर- सड़क 20', दक्षिण- अन्य का प्लॉट।			
TCHHF0703000100167786	श्री नरेन्द्र कुमार (कर्जदार) एवं श्रीमती सुनीता देवी और श्री अभिषेक कुमार एवं संजू डिजिटल स्टूडियो इसके स्वामी के माध्यम से एवं श्री करण कुमार सागर (सह- कर्जदार)	09/08/2024 तक राशि रु. 8,86,100/- (रुपये आठ लाख छियासी हजार एक सौ मात्र)	09.08.2024 तथा 03.08.2024
प्रतिभूत संपत्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: प्लॉट संख्या 05 के पश्चिमी तरफ आधे हिस्से पर निर्मित आवासीय घर का समस्त भाग, माप 51.56 वर्ग गज यानी 43.116 वर्ग मीटर है, कवर्ड एरिया 21 वर्ग गज यानी 17.56 वर्ग मीटर है, मोहल्ला मोरपुरा, हापुड़ में स्थित, नगर पालिका हापुड़, की सीमा के भीतर, परगना और तहसील हापुड़, पहले जिला गाजियाबाद अब जिला हापुड़ - 245101 (उत्तर प्रदेश) बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं: - पूर्व: प्लॉट संख्या 05 का शेष आधा हिस्सा (साइड 32'), पश्चिम: पीतम सिंह की जमीन (साइड 32'), उत्तर: रास्ता 8' चौड़ा (साइड 14'-6"), दक्षिण: हरिकिशन की जमीन (साइड 14'-6")।			

*उपर्युक्त सम्बद्ध माँग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक व्यय। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो टीसीएचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत लागतों तथा परिणामों के लिए पूर्ण रूप से कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को कथित अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) को बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेल तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

तिथि : 18.08.2024 ह./- अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

तीन वाहनों की टक्कर में तीन लोगों की गई जान

नीमच, 17 अगस्त (भाषा)। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में शनिवार सुबह तीन वाहनों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकित जायसवाल के अनुसार, हादसे में एक पुलिस वाहन, एक पिकअप वैन और एक ट्रक शामिल थे।

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025
CIN : U 65900D L2020P LC 366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित कर्जदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत नोटिसों सहित विभिन्न मांगों और नोटिसों के बावजूद उनके द्वारा बैंक से लिए गए गोल्ड लोन को समायोजित नहीं किया गया है। सभी कर्जदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे सोने के आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार 28.08.2024 को 03:00 बजे अप. उस शाखा परिसर में नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है जहाँ से ऋण लिया गया था। नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुसार इस नीलामी में कर्जदारों, खाताधारकों और बड़े पैमाने पर जनता सहित सभी भाग ले सकते हैं।

शाखा	खाता सं.	खाता धारक का नाम	पिता/पति-पत्नी का नाम	पता	खाता खुलने की तिथि	पेऑफ
गाजियाबाद	101542514476	वेद प्रकाश वत्स	पुत्र राम प्रकाश सिंह	बी-121, शूकर बाजार रोड विकास नगर एक्सटेंशन, पश्चिमी दिल्ली, उत्तम नगर दिल्ली 110059	06/04/2024	357102.36
गाजियाबाद	101542514472	वेद प्रकाश वत्स	पुत्र राम प्रकाश सिंह	बी-121, शूकर बाजार रोड विकास नगर एक्सटेंशन, पश्चिमी दिल्ली, उत्तम नगर दिल्ली 110059	06/04/2024	203017.38
गाजियाबाद	101542513436	हिमांशु त्यागी	पुत्र दुष्यन्त कुमार त्यागी	मकान नं. 132 राधाकुंज II, नंद ग्राम, भारतीय गैस एजेंसी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201003	20/01/2024	20426.65
गाजियाबाद	101542514692	हिमांशु त्यागी	पुत्र दुष्यन्त कुमार त्यागी	मकान नं. 132 राधाकुंज II, नंद ग्राम, भारतीय गैस एजेंसी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201003	21/04/2024	51499.86
गाजियाबाद	101542514468	हिमांशु त्यागी	पुत्र दुष्यन्त कुमार त्यागी	मकान नं. 132 राधाकुंज क्क, नंद ग्राम, भारतीय गैस एजेंसी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201003	06/04/2024	36369.58
इन्दिरापुरम	101942517199	अमन भाटी	पुत्र रवीन्द्र भाटी	राजपुर कलां, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203202	08/04/2024	50665.31
गाजियाबाद	101542513910	बिजेन्द्र	पुत्र हरि लाल	मकान नं. ए 67 एस 2, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005	02/03/2024	79492.35
गाजियाबाद	101542513905	बिजेन्द्र	पुत्र हरि लाल	मकान नं. ए 67 एस 2, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005	02/03/2024	187462.40
गाजियाबाद	101542514413	आकाश	पुत्र महावीर सिंह	1180, कापसहेड़ा, वीर बाजार वाली गली, कापसहेड़ा गांव, राधा कृष्णन के पीछे, दिल्ली दिल्ली 110037	04/04/2024	101903.42
गाजियाबाद	101542514478	कुणाल के शर्मा	पुत्र घनश्याम शर्मा	प्लॉट नं. 1708 सेक्टर-52 गुड़गांव हरियाणा 122001	08/04/2024	56551.74
गाजियाबाद	101542513237	सुथ्यास	पुत्र सुसेन्द्रन नायर बी	301 100 फीट रोड लोहिया पी, घिटोरनी दिल्ली साउथ वेस्ट, दिल्ली 110030	02/01/2024	18314.62
गाजियाबाद	101542513393	सुनील के सिन्हा	पुत्र अम्बिका प्रसाद	मदन पुर डबास, हाउस नंबर-74 भाग्य विहार खसरा नं.-42/07 उत्तर पश्चिम दिल्ली 110081	17/01/2024	211007.11
गाजियाबाद	101542513457	बबलू	पुत्र आलम	ए-10 टॉप फ्लोर, कृष्णा नगर, वेस्ट लक्ष्मी मार्केट ईस्ट दिल्ली दिल्ली 1110051	22/01/2024	208132.00
गाजियाबाद	101542513461	बबलू	पुत्र आलम	ए-10 टॉप फ्लोर, कृष्णा नगर, वेस्ट लक्ष्मी मार्केट ईस्ट दिल्ली दिल्ली 1110051	22/01/2024	111873.33
गाजियाबाद	101542513795	पीयूष भडाना	पुत्र धर्मवीर भड़ाना	727 1 पचोला, मोहल्ला अनंगपुर अमरनगर फरीदाबाद हरियाणा 121003	20/02/2024	153196.23
गाजियाबाद	101542513713	राज के यादव	पुत्र सूर्य नारायण यादव	52 शिव मंदिर के पास शिव कॉलोनी पल्ला नंबर 1 अमरनगर फरीदाबाद हरियाणा 121003	12/02/2024	400301.43
गाजियाबाद	101542513703	राज के यादव	पुत्र सूर्य नारायण यादव	52 शिव मंदिर के पास शिव कॉलोनी पल्ला नंबर 1 अमरनगर फरीदाबाद हरियाणा 121003	12/02/2024	216602.99
गाजियाबाद	101542513580	राज के यादव	पुत्र सूर्य नारायण यादव	52 शिव मंदिर के पास शिव कॉलोनी पल्ला नंबर 1 अमरनगर फरीदाबाद हरियाणा 121003	01/02/2024	46286.10
गाजियाबाद	101542513817	तपन के जेना	पुत्र गिरिधारी जेना	प्लॉट 267/108, ब्लॉक-बी, रोड नंबर-3, गली नंबर-7, सरस्वती एन्क्लेव नोएडा सेक्टर-143 उत्तर प्रदेश 201306	22/02/2024	77068.85
गाजियाबाद	101542513717	मनीष सारस्वत	पुत्र संजीव	डी-602 संस्कृति अपार्टमेंट, नोएडा, सेक्टर-1 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश 201301	13/02/2024	100172.77
गाजियाबाद	101542513835	दिलीप के राय	पुत्र रुक्मंगद राय	349 3 प्रेम नगर सेक्टर 1, गुड़गांव हरियाणा 122001	23/02/2024	12441.25
गाजियाबाद	101542513970	ज्ञान सिंह	पुत्र लक्ष्मण सिंह	मकान नंबर। 312/22, गली नं. 6\ई गांधी नगर गुड़गांव हरियाणा 122001	06/03/2024	250417.13
गाजियाबाद	101542513967	कविता सविता	पुत्र विनोद कुमार	एफ-510 डेल्टा-1, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश 201308	06/03/2024	65921.70
गाजियाबाद	101542514117	साहिल राज	पुत्र पारस	मकान नंबर। 10/4 एस/एफ, उत्तम नगर, ओम विहार फेज-1 पश्चिमी दिल्ली दिल्ली 110059	16/03/2024	150870.00
गाजियाबाद	101542514389	साहिल राज	पुत्र पारस	मकान नंबर। 10/4 एस/एफ, उत्तम नगर, ओम विहार फेज-1 पश्चिमी दिल्ली दिल्ली 110059	02/04/2024	32001.34
गाजियाबाद	101542514176	अंकुश वर्मा	पुत्र संजय वर्मा	बी 115 खसरा 1813 2 जी नंबर 8. प्रधान वाली गली डगरपुर मोहल्ला जोहरिपुर, करावल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली दिल्ली 110094	19/03/2024	217104.51
गाजियाबाद	101542514191	सरला देवी	पुत्र सुनकुराम	मकान नंबर बी 53/13, ब्लॉक बी सूरज पार्क कॉलोनी बादली, उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली 110042	20/03/2024	88491.46
गाजियाबाद	101542514201	शीषपाल एस. मेहरा	पुत्र किताब सिंह मेहरा	ए-3/205, कृष्णा अपरा गार्डन यानी साहिबाबाद, वैभव खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010	21/03/2024	44558.56
गाजियाबाद	101542514262	योगेश के सिंह	पुत्र अनिल	मकान नंबर-सी-88.अवाना कॉम्प्लेक्स, गली नंबर-3 बदरपुर, एक्सटेंशन साउथ दिल्ली दिल्ली 110044	27/03/2024	41187.99
गाजियाबाद	101542514200	योगेश के सिंह	पुत्र अनिल	मकान नंबर-सी-88.अवाना कॉम्प्लेक्स, गली नंबर-3 बदरपुर, एक्सटेंशन साउथ दिल्ली दिल्ली 110044	21/03/2024	21380.48
गाजियाबाद	101542514247	मोहम्मद सिद्दीकी	पुत्र ऐनुल सिद्दीकी	ए-14 ग्राउंड फ्लोर मदनपुर खादर, भाग-3अबू बकर सिद्दीकी पब्लिक स्कूल सरिता विहार दक्षिण दिल्ली दिल्ली 110076	24/03/2024	109984.55
गाजियाबाद	101542514302	विकास यादव	पुत्र सुरेश कुमार	24, फाजिलपुर, गुड़गांव हरियाणा 122101	28/03/2024	24752.65
गाजियाबाद	101542514329	शाहरुख खान	पुत्र नुरे खान	ई-2/1262, मुख्य 25 फुटा रोड करावल नगर, नेहरू विहार उत्तर पूर्वी दिल्ली दिल्ली 110094	30/03/2024	184637.95
गाजियाबाद	101542514332	रखशिंदा परवीन	पुत्र अंजार आलम	प्लॉट नंबर-21, 4वीं मंजिल, लोकप्रिय विहार मोहम्मदी मस्जिद खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201309	30/03/2024	161963.11
गाजियाबाद	101542514341	रेनू सिंह	वाया विकास जसमेरा	मकान नं. 65 पुल पहलादपुर, डीडीए फ्लैट्स सेठी डेंटल, दक्षिण दिल्ली दिल्ली 110044	30/03/2024	100417.13
गाजियाबाद	101542514358	योगेश कुमार	पुत्र देवेन्द्र सिंह	9/56.खिचड़ीपुर के पास शिव मंदिर चिल्ला सरोदा खादर पूर्वी दिल्ली दिल्ली 110091	31/03/2024	205044.26
गाजियाबाद	101542514372	नरेन्दर	पुत्र शिव कुमार शुक्ला	आर-5.रघुबीर नगर, जे जे कॉलोनी पश्चिमी दिल्ली दिल्ली 110027	02/04/2024	36639.52
गाजियाबाद	101542514434	मीना कोइरी	पुत्र श्रीकिशुन कोइरी	मकान नंबर 15.दरबारीपुरी रोड राव महरम स्कूल के पास बीए, शाहपुर गुड़गांव हरियाणा 122101	04/04/2024	340648.23
गाजियाबाद	101542514452	नवीन कुमार	पुत्र पन्ना लाल	212, गली लोहारन चावड़ी बाजार दिल्ली जी.पी.ओ..अजमेर गेट उत्तरी दिल्ली दिल्ली 110006	05/04/2024	164869.84
गाजियाबाद	101542514447	नवीन कुमार	पुत्र पन्ना लाल	212, गली लोहारन चावड़ी बाजार दिल्ली जी.पी.ओ..अजमेर गेट उत्तरी दिल्ली दिल्ली 110006	05/04/2024	185761.97
गाजियाबाद	101542514453	दीपक	पुत्र सुरेश चंद	खरखरी, बासलंबी(130), खरखरी गुड़गांव हरियाणा 122503	05/04/2024	64192.00
गाजियाबाद	101542514475	मनोर कुमारी	पुत्र गणेश प्रसाद	बी-121, शुकर बाजार रोड उत्तम नगर ,विकास नगर एक्सटेंशन, पश्चिमी दिल्ली दिल्ली 110059	06/04/2024	198957.03
गाजियाबाद	101542514532	प्रियंका	वाया विक्रम सिंह	24,फाजिलपुर,गुड़गांव हरियाणा 122101	11/04/2024	56667.68
गाजियाबाद	101542514546	साधना सिन्हा	वायाअनुराग सिन्हा	1201 बी3 बी टावर,क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201016	12/04/2024	209097.54
गाजियाबाद	101542514603	अनिल पत्याल	पुत्र कुलदीप सिंह	मकान नं.-सी-46 ए,उत्तम नगर,सेवक पार्क पश्चिमी दिल्ली दिल्ली 110059	16/04/2024	145154.02
इन्दिरापुरम	101942517613	सोनू नागर	पुत्र राज कुमार नागर	हाउस नंबर-924, खेरी कलां(113) ,सेक्टर 15/ए फरीदाबाद हरियाणा 121002	22/05/2024	2076715.18
इन्दिरापुरम	101942517582	लव मिश्रा	पुत्र राजेश मोहन मिश्रा	मकान नं. 50ए, पहली मंजिल, फ्लैट नंबर 102, सुमिता अपार्टमेंट, मैदान गढ़ी एक्सटेंशन, दिल्ली 1110068	20/05/2024	30391.04
इन्दिरापुरम	101942517624	कपिल खेड़ा	पुत्र आनंद स्वरूप खेरा	मकान नंबर 262/ 7, प्रताप नगर गुड़गांव, हरियाणा 122001	23/05/2024	62543.70
इन्दिरापुरम	101942517643	संजू देवी	पुत्र अजय	बी-2/17, मुबारक पुर डबास, शर्मा एन्क्लेव दिल्ली 110081	24/05/2024	174186.91
इन्दिरापुरम	101942517638	अंकित उपाध्याय	पुत्र अनिल उपाध्याय	173 2, शिकोहाबाद, शंभू नगर फि रोजाबाद उत्तर प्रदेश 205135	24/05/2024	97012.50
इन्दिरापुरम	101942517171	राहुल यादव	पुत्र रति राम	सावला, सेक्टर 52, वजीराबाद (75), गुड़गांव हरियाणा 122003	28/03/2024	935520.37
गाजियाबाद	101542513339	अजय पाल	पुत्र दयाराम	नांगल कालिया (225), महेंद्रगढ़ हरियाणा 123023	10/01/2024	30047.74

नीलामी की तिथि 28.08.2024 को 3:00 बजे अप. है

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जालसाजी में मामला दर्ज करने से पूर्व सरकार से कानूनी राय लेने के निर्देश पर रोक

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर जारी किया नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह उन मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी या आपराधिक विश्वासघात के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सरकार की कानूनी राय ले, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक दीवानी विवाद है। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को ये आदेश जारी किए हैं। पीठ ने कहा कि आपराधिक याचिका पर पारित 18 अप्रैल, 2024 के आदेश के पैराग्राफ 15 से 17 का संचालन और कार्यान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, क्योंकि आदेश का पालन न करने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भूमि के मालिकाना हक से संबंधित एक दीवानी विवाद की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था, जिसमें मजिस्ट्रेट ने पुलिस को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि दीवानी विवादों को तेजी से आपराधिक मामलों का रंग दिया जा रहा है।

पीठ ने कहा कि आपराधिक याचिका पर पारित 18 अप्रैल, 2024 के आदेश के पैराग्राफ 15 से 17 का संचालन और कार्यान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, क्योंकि आदेश का पालन न करने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था, जो अपने-अपने थानों के सभी प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे कि जहां कोई दीवानी या वाणिज्यिक विवाद स्पष्ट हो, वहां प्राथमिकी दर्ज करने से पहले संज्ञान-पूर्व चरण में जिला व उप सरकारी वकील की राय ली जानी चाहिए।

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

क्रमांक :- एफ.10/विकास/ दक्षिण/2024-25/7954 — दिनांक :- 16/08/2024

ई निविदा सूचना

नगर निगम दक्षिण जोधपुर की ओर से विकास कार्यो हेतु ऑनलाईन ई – निविदा आमंत्रित की जाती है. कार्यो की विस्तृत जानकारी एवं शर्तो इत्यादि वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.raj.gov.in पर व जोधपुर नगर निगम दक्षिण की वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

UBN No. : DLB2425WSOB05672

राज.संवाद/सी/24/3936 — महापौर — आयुक्त

फॉर्म नं. 5
ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ
600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ-226007
(क्षेत्राधिकार-उत्तर प्रदेश का भाग)
प्रकाशन द्वारा उत्तर दाखिल करने और उपस्थिति के लिए समन

ओ.ए. नं. 1026/2023 — दिनांकः 25.04.2024

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम 1993) के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादी को समन)

केनरा बैंक..... — आवेदक बैंक

बनाम

मेसर्स लक्ष्मी ट्रैवल्स एंड अन्य .... — प्रतिवादी/विपक्षी,

सेवा में ,

1. **मेसर्स लक्ष्मी ट्रैवल्स** अपने मालिक श्री बबलू (लगभग वयस्क) के माध्यम से, श्री सावल राम के पुत्र, निवासीः- ए-238, सेक्टर 31, नोएडा उत्तर प्रदेश-201301
   दूसरा पताः- 123 बी, ब्लॉक, एलआईजी फ्लैट्स, सेक्टर 99, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश।
2. **श्री बबलू** (लगभग वयस्क), श्री सावल राम के पुत्र, मेसर्स लक्ष्मी ट्रैवल्स के मालिक, पताः- ए-238, सेक्टर 31, नोएडा उत्तर प्रदेश-201301
   दूसरा पताः- 123 बी, ब्लॉक, एलआईजी फ्लैट्स, सेक्टर 99, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त उल्लिखित आवेदन में, आपको इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी पेशेवर के माध्यम से दस्तावेजों और हलफनामों (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक फॉर्म में जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है, सम्मन के प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके वकील/विधिवत अधिकृत एजेंट को इसकी प्रति प्रस्तुत करने के बाद और उसके बाद आपको 05.11.2024 को पूर्वाह्न 10.30 बजे ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

अटल सेतु से समुद्र में गिरते-गिरते बची महिला

ठाणे, 17 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक टैक्सी चालक और चार यातायात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी ने 56 वर्षीय महिला की जान बचा ली, जो अटल सेतु से अरब सागर में गिरने वाली थी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले पुल पर नाटकीय ढंग से महिला को बचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है। शुक्रवार को रात करीब सात बजे मुलुंड निवासी रीमा मुकेश पटेल एक टैक्सी से अटल सेतु पहुंची और न्हावा शेवा की ओर गाड़ी रुकवाई। वह पुल के किनारे की रेलिंग पर बैठ गई।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में टैक्सी चालक को महिला के बगल में खड़े हुए देखा जा सकता है। तभी पुलिस का गश्ती वाहन वहां रुकता है। पुलिस देखकर महिला हड़बड़ा जाती है और अचानक समुद्र में गिरने लगती है। टैक्सी चालक चंद सेकंड के भीतर नीचे गिर रही महिला के बाल पकड़ लेता है। तभी चार पुलिसकर्मी दौड़कर आते हैं और रेलिंग पर चढ़ जाते हैं। अधिकारी ने बताया, एक पुलिसकर्मी नीचे झुक जाता है और महिला को किसी तरह पकड़ लेता है।

अभिषेक सिंघवी कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

कांग्रेस ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को अपने विधि, मानवाधिकार और आरटीआइ प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस प्रकोष्ठ के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

अभिषेक सिंघवी को कुछ दिन पहले ही तेलंगाना से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया था। राज्यसभा में संख्या बल के हिसाब से सिंघवी के राज्यसभा पहुंचने की प्रबल संभावना है। कांग्रेस के इस प्रकोष्ठ की अध्यक्षता पहले विवेक तन्खा कर रहे थे, जिन्हें बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता इस प्रकोष्ठ के पैनल में जगह दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और केटीएस तुलसी को भी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किया गया है।

AXIS BANK LTD. | नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ग्राउंड फ्लोर, वार्ड नं0 7, म्यूनिसिपालिटी नं0 21 से 23, मेरठ रोड, अम्बेडकर चौक, हापुड़, उत्तर प्रदेश, 245101, मोबाइल नं0 9675001111

नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माल/सामान जिसमें 2734.7 कुँटल गेहूँ है, ''जहाँ है, जैसा है'' के आधार पर नीलाम किया जायेंगा। यह माल/सामान बैंक में गिरवी रखा हुआ है एवं यू.पी. फार्म फ्रेश सीड्स इंडस्ट्रीज गोडाउन नं0 2 स्थित रामपुर, नियमतपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश, 245101, में स्टोर किया हुआ है।

इच्छुक खरीददार माल/सामान का नमूना प्राप्त करने के लिए बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं। बैंक को सीलबंद लिफाफे में निविदा प्रेषित करने की अन्तिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 5 वें दिन होगी।

(नीलामी प्रक्रिया के नियम एवं शर्तें)

1. यदि नीलाम किये जाने वाले माल/सामान की अधिकतम कीमत, वास्तविक बाजार मूल्य के बराबर नहीं है, तो बैंक को नीमामी प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। 2. नीलामी विज्ञापन के प्रकाशन के बाद किसी भी समय नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का बैंक का अधिकार सुरक्षित है। 3. नीलामी प्रक्रिया में किसी आवेदक की बिड स्वीकार किये जाने पर माल की कीमत का 5% धनराशि तत्काल धरोहर राशि के रूप में बैंक में जमा करनी होगी। माल की सुपर्दगी लेने के लिए शेष धनराशि अर्थात माल की कीमत का 95% कार्यशील दिवस में जमा करना होगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा पूरी बिड की धनराशि तीन कार्यशील दिवस में जमा करने में विफल होने की स्थिति में, धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 4. विडर द्वारा एक बार माल/सामान अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में लेने के बाद बैंक/उसके कर्मचारी/उसके एजेन्ट माल/सामान की गुणवत्ता/मात्रा में किसी भी प्रकार की क्षति/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगें। 5. यह बैंक के पूर्ण विवेकाधीन है, कि वह अधिकतम/औसत बिड की धनराशि के उपरान्त भी किसी अन्य आवेदक एकाधिक आवेदकों को बिड आवंटित कर सकता है। इस सम्बन्ध में बैंक का निर्णय अन्तिम होगा। 6. प्रतिभूति/माल/सामान ''जैसा है, जहाँ है'' के आधार पर नीलाम किया जा रहा है तथा सभी प्रकार का व्यय जैसे लोडिंग, ट्रांसपोटेशन, टैक्स माल लाने ले जाने में विविध व्यय खदीरदार द्वारा ही वहन करने होंगें।

दिनांक– 18.08.2024 — स्थान–हापुड़ — अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

ऐक्सिस बैंक लि0 | कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ0प्र0- 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
श्रीमती सतनाम कौर (ऋणी) पत्नी श्री कुलवंत सिंह पताः 1. जोगीपुरा, जोगीपुरा, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड, 262401, पताः 2. खाता नं0 00047, खसरा नं0 22/1/1, मौजा– गुल्दिया गोबरा, निकट कोसी खाता चौक, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड 263401, श्री मोहन सिंह (सह-ऋणी) पुत्र श्री चरन सिंह पताः मीरापुर, मोदीवाला, पोस्ट हिदायतपुर, मीरापुर, मोदीवाला, पोस्ट-हिदायतपुर, बिजनौर, उ0प्र0, 246761	भूमि/सम्पत्ति (रिहायशी/व्यवसायिक) स्थित खाता नं0 00047, खसरा नं0 22/1/1, मौजा– गुल्दिया गोबरा, निकट कोसी खाता चौक, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड 263401, एरियाः 245.35 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती सतनाम कौर के नाम। **चौहद्दी वैल्यूएशन के अनुसार–पूरब**–15 फीट चौड़ा रोड उसके बाद मंगेश की सम्पत्ति, **पश्चिम**– राजेन्द्र पाल सिंह की सम्पत्ति, **उत्तर**–राजेन्द्र पाल सिंह की सम्पत्ति, **दक्षिण**–15 फीट चौड़ा बी0टी0 रोड।	रू0 2045035.40 रू0 36261.00 दि. 29.05.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 03.06.2024 / 14.08.2024
कु0 गीता कुमारी (ऋणी) पुत्री श्री अशोक कुमार पताः ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर, जोगीपुरा, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड 262401, श्री अशोक कुमार (सह-ऋणी) पुत्र श्री कृष्ण दास पताः 1– ग्राम गोबरा, गजराओला, तहसील बाजपुर, जोगीपुरा, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड 262401, पताः 2–खाता नं0 00081, खसरा नं0 318/1/2/2, ग्राम–गोबरा, निकट गुरूद्वारा एवं शिव मंदिर, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड, 262401	भूमि/सम्पत्ति (रिहायशी/व्यवसायिक) स्थित खाता नं0 00081, खसरा नं0 318/1/2/2, ग्राम–गोबरा, निकट गुरूद्वारा एवं शिव मंदिर, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड, 262401, एरियाः 249.95 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री अशोक कुमार के नाम। **चौहद्दी वैल्यूएशन के अनुसार–पूरब**–सुरजीत एवं नरेश कुमार की सम्पत्ति, **पश्चिम**– 14 फीट (4.268 मी.) चौड़ा रोड एवं अशोक कुमार की सम्पत्ति, **उत्तर**–सुरजीत सिंह का मकान, **दक्षिण**–सुरेन्द्र कम्बोज की सम्पत्ति।	रू0 2680355.00 रू0 33669.00 दि. 18.05.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 18.05.2024 / 14.08.2024
श्रीमती बलजीत कौर (ऋणी) पत्नी श्री तहल सिंह पताः 1. रेनहता, बन्नाखेढ़ा, रेनहता, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड, 262401, पताः 2– खाता नं0 00103, खसरा नं0 34 मिन., ग्राम रेनता, निकट एच0पी0 पेट्रोल पम्प, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड, 263401, श्रीमती पलविन्दर कौर (सह-ऋणी) पत्नी श्री रंजीत सिंह पताः पोस्ट बन्नाखेढ़ा, ग्राम रेनता टंडा अमीचंद, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड 262401	भूमि/सम्पत्ति (रिहायशी/व्यवसायिक) स्थित खाता नं0 00103, खसरा नं0 34 मिन., ग्राम रेनता, निकट एच0पी0 पेट्रोल पम्प, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड, 263401, एरियाः167.29 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती बलजीत कौर के नाम। **चौहद्दी वैल्यूएशन के अनुसार–पूरब**– 18 मी. चौड़ा बन्नाखेढ़ा–विक्रमपुर रोड, **पश्चिम**– बलविन्दर सिंह की सम्पत्ति, **उत्तर**–बलविन्दर सिंह की सम्पत्ति, **दक्षिण**–बाला देवी का मकान।	रू0 2541736.20 रू0 25999.70 दि. 15.05.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 16.05.2024 / 14.08.2024

दिनांकः 18.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

रक्षाबंधन : डाकघरों से देश विदेश में भाइयों के लिए भेजी जा रहीं राखियां

अहमदाबाद से भेजी गईं 3 लाख से अधिक राखियां

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

रेशम के धागों ने सोशल मीडिया पर चल रही आभासी(वर्चुअल) राखियों को बौना साबित कर दिया है। वाट्सएप, फेसबुक, स्काइप, टेलीग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया मंच को छोड़, बहनें इस बार अपने भाईयों की कलाई पर बांधने के लिए डाक के जरिए राखी भेजना ज्यादा पसंद कर रही हैं। किसी भाई की कलाई सूनी न रहे इसलिए रक्षाबंधन के एक दिन पहले रविवार को भी डाक पहुंचाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

उत्तरी गुजरात क्षेत्र अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि अहमदाबाद क्षेत्र के डाकघरों से देश विदेश में रहने वाले भाईयों को अब तक तीन लाख से राखियां भेजी गईं। पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि डाकघरों से कई देशों के लिए भी स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के जरिए राखियां भेजी जा रही हैं।

करीब 1.5 लाख राखियां अहमदाबाद क्षेत्र के डाकघरों से अलग अलग देशों में भेजी गईं। इनमें ज्यादातर राखियां संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, रुस, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, जापान, चीन इत्यादि देशों में भेजी गई हैं। वहीं विदेशों में रह रही बहनें भी अपने भाईयों को राखी भेज रही हैं, जो डाक विभाग के माध्यम से तुरंत पहुंचाई जा रही हैं। इसके लिए छंटाई के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने सहित गंतव्य तक राखियां पहुंचाने में देरी न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है।

ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी 3)
भूतल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चण्डीगढ़-160017

मुकदमा सं. : ओए/1410/2023
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पठित धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समन

एक्सएच. नं. 21600

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
डॉ. साकिब नवीद खान

सेवा में,

(2) **मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड**, कॉर्पोरेट कार्यालय एससीओ 196-197, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़ - 160022, अपने प्रबंध निदेशक / निदेशक / प्रधान अधिकारी के माध्यम से (डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर और प्रतिवादी नंबर 1 से ऋण राशि का प्राप्तकर्ता भी)।

(3) मेसर्स ब्रॉन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 57 एलजी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली -110001 में है, अपने प्रबंध निदेशक / प्रधान अधिकारी के माध्यम से (संपूर्ण परियोजना का मालिक जिस पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा खरीदा गया फ्लैट स्थित है)

समन

जबकि ओ.ए./1410/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 30.07.2024 को सूचीबद्ध था।

जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 22,82,266/- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम (ओए) की धारा 19(4) के तहत कथित आवेदन पर समन/सूचना निर्गत करते हैं (दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है :

(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये;
(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना;
(iii) आपको प्रतिभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सुनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेतु आवेदन को निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है;
(iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत निर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे;
(v) आप प्रतिभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वसूलीकृत बिक्री कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।

आपको 30.11.2024 को 10.30 बजे प्रातः रजिस्ट्रार के पास एक लिखित वक्तव्य जिसकी एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें विफल होने पर आवेदन पर सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला दिया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण की मुहर सहित तिथि 31.07.2024 को

समन जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 3)

दूसरी जाति के युवक से संबंध पर पिता ने बेटी की हत्या की

ग्वालियर, 17 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति ने दूसरी जाति के युवक से संबंध को लेकर अपनी बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) गजेंद्र सिंह वर्धमान के अनुसार, यह वारदात गिरवाई थाना क्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी की बेटी दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम करती थी, लेकिन आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्य इसके खिलाफ थे। वर्धमान के मुताबिक, शुक्रवार को पिता-पुत्री में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया। वर्धमान के अनुसार, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

प्रपत्र सं. 5
ऋण वसूली न्यायाधिकरण
600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ-226007
(क्षेत्राधिकार – यू.पी. का भाग)
प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने और उपस्थिति हेतु सम्मन

ओ.ए सं. 224/2022 तिथि 13.08.2024

(बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

मूल आवेदन सं. 224/2022

बैंक ऑफ इंडिया (वसुंधरा शाखा) ....आवेदक बनाम सचिन कुमार एवं अन्य ....प्रतिवादी

सेवा में,
1. **श्री सचिन कुमार पुत्र श्री हर भगवान**, निवासी प्लॉट नं. 203, सेक्टर 3, गार्डेनिया ग्लैमर, वसुंधरा, जिला गाजियाबाद (यूपी)
2. **श्री अनुज शर्मा पुत्र श्री मुकेश शर्मा**, निवासी मकान नं. 6/20, राजेंद्र नगर, सेक्टर 2, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद (यूपी)
3. **मेसर्स एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्रा. लि.** जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-237, प्रथम तल (बैंक साइड) विवेक विहार, फेज 1, दिल्ली 110095 और साइट ऑफिसः एवीजे हाइट्स, प्लॉट नं. जीएच-12/2, सेक्टर-जीटा 1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से। ....प्रतिवादी

उपरोक्त उल्लिखित आवेदन में आपको दस्तावेजों और शपथ पत्रों (यदि कोई हों) के साथ पेपर बुक फॉर्म में दो सेटों में उत्तर दाखिल करना आवश्यक है। इस न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत प्राधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से, समन के प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके वकील/विधिवत प्राधिकृत एजेंट को इसकी प्रति देने के बाद, और उसके बाद दिनांक **03.09.2024 को प्रातः 10:30 बजे** न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होना है, ऐसा न करने पर आपकी अनुपस्थिति में आवेदक पर सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

FORM NO. 5
[See Regulation - 15(1)(a)]
IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL ALLAHABAD U.P.
9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002
(Area of Jurisdiction, part of Utter Pradesh)
Summons for filing reply & Appearance by Publication
(Summons to Defendant Under Section 19(3) of the Recovery of Debts due and Bankruptcy Act 1993 read with Rule 13 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993)

Ref. No. .... Date: 02-08-2024

T. A. No. 152 of 2018
Punjab National Bank (e. Oriental Bank of Commerce) .... Applicant(s)
Versus
M/s ATS Enterprises & another .... Respondent(s)

To
1. **M/s ATS Enterprises** a proprietorship firm office at Fatima Gali ADA Colony Sahajmal Aligarh-202001 through its proprietor Suhel Khan son of Sri Rashid Khan resident of Fatima Gali ADA Colony Sahajmal Aligarh-202001 (Borrower & Guarantor) **.... Defendant No. 1**
2. **Suhel Khan** son of Sri Rashid Khan resident of Fatima Gali ADA Colony Sahajmal Aligarh - 202001 **.... Defendant No. 2**

In the above noted Application, you are required to file reply in paper book form in four sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in the Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons and thereafter appear before this Tribunal on **25.09.2024 at 10.30 a.m.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar, Debts Recovery Tribunal, Allahabad

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED)
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्किल ऑफिसः 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

शुद्धिपत्र

यह इस समाचार पत्र में 17-08-2024 को प्रकाशित मांग नोटिस विज्ञापन के संदर्भ में है जिसमें कंपनी का नाम गलती से कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में प्रकाशित किया गया था। हालाँकि इसे कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अन्य सभी विवरण पूर्वत रहेंगे।

स्थानः गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, पलवल, बुलंदशहर, गुड़गांव **हस्ता /- (प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांकः 18/08/2024 **कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए**

केनरा बैंक Canara Bank
आस्ति वसूली प्रबंधक (एआरएम) शाखा, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. फोन-011-28751723, 28754731

कब्जा सूचना (धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **केनरा बैंक, आस्ति वसूली शाखा करोल बाग, नई दिल्ली-110005** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (एक्ट 2002 का 54) (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता (1) मेसर्स यादव फुटवियर, (श्रीमती लतेश यादव द्वारा प्रतिनिधित्व और गारंटर श्री सुरजीत सिंह, श्री राकेश यादव और श्री विनीत यादव) को एक मांग सूचना दिनांक 18-03-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि (1) सुरक्षित ओवर ड्राफ्ट रु. 1,55,98,351.10 (रु. एक करोड़ पच्पन लाख अट्ठान्वे हजार तीन सौ इक्यावन और पैसे दस मात्र) और (2) जीईसीएल (ट्रम ऋण) रु. 7,62,148.19 (रु. सात लाख बासठ हजार एक सौ अडतालीस और पैसे उन्नीस मात्र) कुल रु. 1,63,60,499.29 (रु. एक करोड़ तिरेसठ लाख साठ हजार चार सौ निन्यान्वे और पैसे उनतीस मात्र) दिनांक 29.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा गया है। बकाया देनदारियों का विभाजन निम्नानुसार है:**

क्र. सं.	लिमिट का प्रकार	ऋण खाता	लिमिट	देनदारी
1.	Over Draft	90541400000116	रु. 1,50,00,000/-	रु. 1,55,98,351.10
2.	GECL(Term loan)	90549160000290	रु. 29,80,000 /-	रु. 7,62,148.19
		कुल	रु. 1,79,80,000/-	रु. 1,63,60,499.29

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 13 अगस्त 2024 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपति के साथ कोई भी लेन देन केनरा बैंक, के प्रभार वास्ते राशि रु **1,63,60,499.29** दिनांक 29.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण	धारक का नाम
1. प्लॉट नं. 266, खसरा नं. 517, कपासहेड़ा गांव की रेवेन्यू इस्टेट में, विस्तारित लालडोरा के अंतर्गत, आबादी कपासहेड़ा, नई दिल्ली, चौहदी: उत्तर में – अन्य की संपति, दक्षिण में – सामने सड़क गली नं. 3, पूरब में – अन्य की संपत्ति, पश्चिम में – अन्य की संपत्ति	राकेश यादव
2. संपत्ति सं. आरजेड 134/2, खसरा सं. 145 में से, गांव नसीरपुर, गली नं. 5, दुर्गा पार्क, नई दिल्ली में स्थित, चौहदी: उत्तर में – 20' चौड़ी सड़क, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति, पूरब में – अन्य की संपत्ति, पश्चिम में – सामने 20' चौड़ी सड़क	विनीत यादव

दिनांक: 13-08-2024, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank
आस्ति वसूली प्रबंधक (एआरएम) शाखा, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. फोन-011-28751723, 28754731

कब्जा सूचना (धारा 13(4)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **केनरा बैंक**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (एक्ट 2002 का 54) (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **(1) मैसर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिकल्स, (2) श्री परमिंदर सिंह सेहरावत (पार्टनर), (3) श्री युजवेंद्र सिंह (पार्टनर) एवं (4) श्री देवेंद्र सिंह (गारंटर) को एक मांग सूचना दिनांक 04-04-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रु. 72,89,679.43 (रु. बहत्तर लाख नवासी हजार छः सौ उनासी और पैसे तैतालीस मात्र) और ब्याज + प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा गया है।**

कर्जदार और गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 14 अगस्त 2024 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपति के साथ कोई भी लेन देन केनरा बैंक, के प्रभार वास्ते राशि रू **रु. 72,89,679.43 (रु. बहत्तर लाख नवासी हजार छः सौ उनासी और पैसे तैतालीस मात्र)** दिनांक 31.03.2024 तक और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण	धारक का नाम
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि 42ए, इरोस मेट्रो मॉल में ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 8 सेक्टर 14 द्वारका, नई दिल्ली 110078 क्षेत्रफल 112 वर्ग फीट, चौहदीः उत्तर में – कॉरिडोर और प्रवेश द्वार, दक्षिण में – यूनिट नं. जीएफ 15ए, पूरब में – यूनिट नं. जीएफ 41ए, पश्चिम में – यूनिट नं. जीएफ 42बी	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह

दिनांक: 16-08-2024, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आवेदन आमंत्रित हैं

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम संभावित उम्मीदवारों से अपने गुरुग्राम क्षेत्र के लिए वित्तीय साक्षरता क्रेडिट परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह नियुक्ति पूर्णतः एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगी।

इनका कार्यक्षेत्र वित्त प्रबंधन, बचत का महत्व, बैंकों द्वारा प्रदान अन्य सुविधाओं, बैंक ऋण का लाभ, डिजिटल जागरूकता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में वित्त संबंधी अन्य मुद्दों पर वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से आम लोगों को वित्तीय जागरूकता पैदा करना और शिक्षित करना है।

पात्रता:
क) आयु – 35 वर्ष से 64 वर्ष तक – अच्छे स्वास्थ्य के साथ शारीरिक रूप से सक्रिय और अच्छे संचार कौशल की योग्यता हों।
ख) शैक्षणिक योग्यता – स्नातक
ग) सेवानिवृत्त/बीआरएस प्राप्त बैंक कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी
घ) बैंकिंग/वित्तीय सेवाओं का ज्ञान रखने वाले/आईआईबीएफ प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थीयों पर विचार किया जाएगा।
ङ) कंप्यूटर साक्षर होना चाहिए, बुनियादी ज्ञान एवं इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए
च) आवेदक उपर्युक्त निर्दिष्ट जिले का निवासी होना चाहिए तथा उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

पारिश्रमिकः रु. 20000/– प्रतिमाह का निश्चित पारिश्रमिक

नोटः चयनित उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से रु. 30000/– की प्रतिदेय प्रतिभूति जमा राशि प्रदान करनी होगी।

"क्षेत्र प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम" के पक्ष में गुरुग्राम में देय रु. 1000/– का अप्रतिदेय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डीडी स्वीकार किया जाएगा) सहित सादे कागज पर पूर्ण बायो डाटा व अनुभव यदि कोई हों, के विवरण, आधार कार्ड, योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो, की फोटो प्रतियों के साथ इस विज्ञापन की तिथि से 5 दिनों के भीतर इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने या विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पताःक्षेत्र प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, 6वीं मंजिल, प्लॉट नं. 32, ग्लोबल बिजनेस स्क्वायर, सेक्टर 44 गुरुग्राम, हरियाणा-122003

क्षेत्र प्रमुख
क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम

धनवंतरी जीवन रेखा लिमिटेड
CIN:L85110UP1993PLC015458
पंजीकृत कार्यालयः 1, साकेत, मेरठ-250 003 यू.पी. फोनः 0121-2648151-52, 2651801, फैक्सः 2651803
e-mail: dhanvantrijeevanrekha@gmail.com; website: www.dhanvantrihospital.in

सूचना

सदस्यों के ध्यानार्थ अनुरोध है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा **25 सितम्बर, 2024** को **दोपहर 03:30 बजे** (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') द्वारा जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू होने वाले प्रावधानों और उसके अनुसार बने नियमों जिन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार व भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जायेगी।

लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में व्यवसायिक विवरण सहित वार्षिक साधारण सभा की सूचना इलैक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को **02 सितम्बर 2024** को या उसके उपरांत भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपाजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं। उक्त वार्षिक साधारण सभा की सूचना कंपनी की वेबसाइट **(www.dhanvantrihospital.in)** और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **(www.bseindia.com)** जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, पर भी उपलब्ध होगी।

कंपनीज (प्रबन्धन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 सहित पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा में विचारणीय प्रस्तावों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले मतदान की सुविधा) और एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग से निष्पादित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली गई हैं।

अपने शेयर डिमैटीरियलाईज्ड प्रारूप में रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते और मोबाईल नम्बर अपने डिपाजिटरीज को अपने फोलियो नं., शेयर धारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन कापी, आधार कार्ड और पैन कार्ड का उल्लेख करते हुए लिखित में **beetalrta@gmail.com** पर ईमेल से आवेदन भेजकर पंजीकृत/दुरुस्त करा लें।

कागजी प्रारूप में अपने शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते और मोबाईल नम्बर कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (बीटल फाईनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड) को **investor@beetalfinancial.com** पर ई-मेल भेजकर उपलब्ध करा दें।

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते धनवंतरी जीवन रेखा लि०
ह०/-
(मालिनी शर्मा)
डिनः 03530674
प्रबंध निदेशक

स्थानः मेरठ
तिथिः 17.08.2024

पंजाब नैशनल बैंक
मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट – ई, मयूर विहार, फेज-II, दिल्ली-110091 ईमेलः cs8075@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) (नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (इसके बाद इसे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) के प्रवर्तन के अधीन **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल शस्त्र केन्द्र पूर्वी दिल्ली, (पूर्व में संपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएसएसी, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-।।, दिल्ली-110091** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **उधारकर्ता श्री राजदीप सक्सेना (उधारकर्ता) पुत्र श्री ओमप्रकाश सक्सेना और अंजना सक्सेना पत्नी राजदीप सक्सेना (सह-उधारकर्ता) निवासी फ्लैट नं. एफ-।।।, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 1/16, गौरी अपार्टमेंट, सेक्टर-2, राजेंद्र नगर गाजियाबाद यू.पी.-201105, 1). बी-54/एफ-1 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद गाजियाबाद यू.पी.-201105, 2) ए-162 हेमकुंड विला, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2 गाजियाबाद यू.पी.-201005** को दिनांक 29.05.2024 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु **14,00,429.14 (रु. चौदह लाख चार सौ उनतीस और पैसे चौदह मात्र) दिनांक 28.05.2024** तक उक्त सूचना की प्राप्ति/नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित अचल संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल के अंतर्गत **16.08.2024** को लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से ऋणधारक और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों/आस्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल शस्त्र केन्द्र पूर्वी दिल्ली, (पूर्व में संपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएसएसी, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-।।, दिल्ली-110091 के प्रभार वास्ते रु. 14,00,429.14 (रु. चौदह लाख चार सौ उनतीस और पैसे चौदह मात्र) दिनांक 28.05.2024 तक** और भविष्य का ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

रिहायशी फ्लैट नं. एफ-।।।, प्रथम तल (एल.आई.जी टाइप बायीं पिछली ओर) जिसमें एक ड्राइंग रूम-सह डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, एक शौचालयध्स्नानघर, एक रसोई और बालकनी, जिसका कवर्ड एरिया लगभग 400 वर्ग फीट (37*16 वर्ग मी.), उक्त भवन में जिसे गौरी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, निर्मित प्लॉट सं. 1/16, सेक्टर-2, आवासीय कॉलोनी राजेंद्र नगर (टी.एच.ए) गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश (इसके बाद उक्त फ्लैट कहा जाएगा) चौहदीः पूरब में – अन्य का प्लॉट, पश्चिम में – फ्लैट सं. एफ-1, उत्तर में – प्लॉट सं. 1/15, दक्षिण में – फ्लैट सं. एफ-IV (प्रथम तल)

तिथिः 16.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : नई दिल्ली — पंजाब नैशनल बैंक

pnb Housing Finance Limited
पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011 -23357171, 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : प्रथम तल, पिनैकल टॉवर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड मेरठ-250004 (उ.प्र.)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सूचना/ओं की तिथि/कथित सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	HOU/MEE/0818/572078 शा.का. : मेरठ	श्री संदीप पुंडीर तथा श्रीमती बीना पुंडीर	16.05.2024	रु.16,31,517.32/- (रुपये सोलह लाख इकतीस हजार पांच सौ सत्रह एवं बत्तीस पैसे मात्र) तिथि 16/05/2024 तक बकाया	13.08.2024 (सांकेतिक)	ग्राउंड फ्लोर फ्लैट का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 72 पर, खसरा नंबर 3/2, 5/1, 6, 7, 9, 10, 11, 12/2, 13/2,14/2, 14/3, 15,16,17,20,26, विश्राम वाटिका, राजस्व गांव सोफीपुर पिलाना, परगना तहसील और जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250001

स्थान : मेरठ तिथि : 17.08.2024 — अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.

केनरा बैंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate
चन्नी हिम्मत शाखा (2975)-250ए, सेक्टर-2, चन्नी हिम्मत, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180015

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारक/बंधककर्ता को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/बंधककर्ता द्वारा इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहने के कारण एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कथित तिथि को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक को तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों, के लिये केनरा बैंक, चन्नी हिम्मत (2975) शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर तथा बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि
कर्जदार : (1) के एंड के एंटरप्राइजेज, प्रोप. श्रीमती श्रृंगार सिन्हा, व्यावसायिक पता : मकान नं. 146, सेक्टर-5, चन्नी हिम्मत, जम्मू, जे एंड के झ 180015	भूतल, डीडीए-एसएफएस, श्रेणी-II, फ्लैट नं. 47, बिल्ट अप एरिया-807.30 वर्ग फीट (75 वर्ग मीटर) डीडीए द्वारा आवंटित, हार्मोनी अपार्टमेंट्स, श्रेणी-क्क पॉकेट-1, सेक्टर-4, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित। सीमाएं : उत्तर : फ्लैट नं. 43, दक्षिण : प्रवेश/सीढ़ियां/फ्लैट/9' चौड़ी गली, पूर्व : 40' चौड़ी सड़क, पश्चिम : 8' फीट लेन।	05.08.2022	रु. 53,14,341.66 तथा 01.08.2022 से उस पर ब्याज	17.08.2024

(2) श्रीमती श्रृंगार सिन्हा पुत्री तरुण कुमार श्रीवास्तव, निवासी फ्लैट नं. 47, डीडीए-एसएफएस, पॉकेट 1, सेक्टर 4, हार्मोनी अपार्टमेंट्स, द्वारका, नई दिल्ली-110075, गारंटर/बंधककर्ता : श्रीमती कीर्ति गंदोत्रा पत्नी स्व. सतीश गंदोत्रा, निवासी : फ्लैट नं. 47, डीडीए-एसएफएस, पॉकेट 1, सेक्टर 4, हार्मोनी अपार्टमेंट्स, द्वारका, नई दिल्ली-110075

तिथि : 17.08.2024 स्थान : दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank कब्जा सूचना
मंडल कार्यालय-1-2, रघुनाथनगर, द्वितीय तल, महात्मा गाँधी मार्ग, आगरा

चल/अचल सम्पत्तियों का कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या-54 का 2002) के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा-13(12) के साथ नियम-3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तारीख को माँग नोटिस जारी किया और यहाँ नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिसों को नोटिस में वर्णित राशि को उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 साठ दिनों के अन्दर चुकाने का आग्रह किया था। उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस को और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा-13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पठित, नीचे वर्णित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस और आम जनता को विशेष रूप से सम्पत्ति से लेन-देन के लिए चेतावनी दी जाती है। सम्पत्ति से जुड़ा कोई भी व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उस पर दी गई राशि और ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। बंधक सम्पत्तियों का विवरण, जिनका कब्जा लिया गया है, नीचे वर्णित है।

उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्ति को वापिस छुड़ा लें।

ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता के नाम व शाखा का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि
ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता– 1. मैसर्स त्यागी इंटरप्राईजेज (मालिक), 2. श्री कृष्ण कांत त्यागी पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह त्यागी, 3. श्री विजेन्द्र सिंह त्यागी पुत्र श्री करण सिंह त्यागी शाखा–संजय प्लेस, आगरा	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित प्लॉट नम्बर-58, नगर निगम नम्बर-43/डी/एन/पी-50, दीप नगर, मौजा बोदला तहसील और जिला आगरा बाई रजिस्टर्ड टाइटल डीड दिनांक 06.10.2009 बही संख्या 1, जिल्द संख्या-6497 के पृष्ठ 231 से 254 पर, क्रम संख्या-8244 पर सब रजिस्ट्रार-द्वितीय आगरा। क्षेत्रफल-173.90 वर्गमीटर। सम्पत्ति स्वामी श्री विजेन्द्र सिंह त्यागी, चौहद्दी पूर्व-जीवन लाल गौतम का मकान पश्चिम-मकान स्थित प्लॉट नम्बर-58, उत्तर-रोड 9 फुट चौड़ा और निकास दक्षिण- अन्य का मकान।	24.05.2024	14.08.2024	रु. 38,97,983.11/- (अड़तीस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ तिरासी रुपये और ग्यारह पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2024 तक + ब्याज व अन्य भविष्य के देय खर्चे जोकि दिनांक 01.04.2024 से

स्थान-आगरा, दिनांकः- 14.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
भारत सरकार का उपक्रम (प्रवर्तकः पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालयः रामगंगा विहार, फेज-2, मुरादाबाद (उ.प्र.)
क्षेत्रीय कार्यालयः गाजियाबाद, 18, संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) फोन- 0120-2986071 E: rmgzb@prathamaupbank.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसैट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथमा यू. पी. ग्रामीण बैंक (पूर्वनाम सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2019 से प्रथमा बैंक के साथ समामेलन किया गया है) के प्राधिकृत अधिकारी ने संबन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाए गए खाते के पदक नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणीयों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणीयों और जन-सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी जिनका पद नाम नीचे दिया गया है ने खातों के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम को धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों का SYMBOLIC कब्जा ले लिया है। ऋणीयों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों से किसी भी प्रकार का लेन-देन प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्रम सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	बंधक रखी गई सम्पत्तियों का विवरण	मांग/पजेशन चिपकाए गए नोटिस की तारीख	बकाया राशि व दिनांक
1.	विजय नगर गाजियाबाद	ऋणीः श्री राम नरायण पोद्दार पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह। जमानतकर्ताः श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह। श्री किरत राम लखेड़ा पुत्र श्री लोकमनी लखेड़ा। A/c: 9135NC00030309 & 91359300002444	सम्पत्ति का साम्यिक बंधक भाग, सम्पत्ति मकान नं. सी-227, ब्लॉक सी, नंद निकुंज, नंद ग्राम, गाजियाबाद, उ.प्र., जिसका क्षेत्रफल 26.65 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्वः मकान नं. 228, पश्चिमः मकान नं. 226, उत्तरः मकान डिगर, दक्षिणः रोड़।	मांग नोटिस की तिथि 31.05.2024 पजेशन की तिथि 16.08.2024	रू. 6,71,076.90/- + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे।
2.	इंदिरापुरम गाजियाबाद	ऋणीः श्री किरन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह। जमानतकर्ताः श्री नसीब सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह। A/c: 9134NC00002367	सम्पत्ति का साम्यिक बंधक भाग, फ्लैट नं. 30-बी, शक्ति खण्ड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र., चौहद्दीः पूर्वः मकान नं. 32 बी, पश्चिमः मकान नं. 19 बी, उत्तरः मकान नं. 31 बी, दक्षिणः मकान नं. 27 बी।	मांग नोटिस की तिथि 07.11.2023 पजेशन की तिथि 16.08.2024	रू. 16,87,719.00/- + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे।
3.	रेलवे रोड़ मेरठ	ऋणीः श्री हकीमुद्दीन सैफी पुत्र श्री ईमामुद्दीन सैफी। जमानतकर्ताः मो. मोबीन पुत्र मो. जुम्मा। A/c: 9155NC00004245	सम्पत्ति का साम्यिक बंधक भाग, आवासीय मकान प्लॉट नं. बी-46, खसरा नं. 191/1, जामिया रेजिडेंसी, आवास विकास कॉलोनी गांव फतेउल्लापुर, परगना और तहसील हापुड़ बाई पास रोड़ मेरठ, उ.प्र., मालिक श्री हकीमुद्दीन सैफी पुत्र श्री ईमामुद्दीन सैफी (बंधककर्ता), उप निबंधक मेरठ में पंजीकृत जिला मेरठ, चौहद्दीः पूर्वः 16'/रास्ता 20' चौड़ा, पश्चिमः 16'/प्लॉट अन्य, उत्तरः 40' /प्लॉट नं. बी-45, दक्षिणः 40'/ प्लॉट नं. बी-47.	मांग नोटिस की तिथि 03.05.2024 पजेशन की तिथि 14.08.2024	रू. 24,31,810.10/- + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे।

दिनांक 17.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
शकरपुर शाखा, यू-200, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-10092, भारत
फोन : +91 11-22541491, 22540338
ईमेल : shakar@bankofbaroda.com

कर्जदार को सूचना
(सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत)

दिनांक : 04.07.2024

मेसर्स उमंग टेंट मैन्युफैक्चरिंग (प्रोप. श्रीमती सुल्ताना वाया श्री शान मोहम्मद), डी 62, गली नंबर 3, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
मेसर्स उमंग टेंट मैन्युफैक्चरिंग, (प्रोप. श्रीमती सुल्ताना वाया श्री शान मोहम्मद), तीसरी मंजिल 10 370 ए, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
श्रीमती सुल्ताना वाया श्री शान मोहम्मद, तीसरी मंजिल 10 370 ए, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
संदर्भः हमारी शकरपुर शाखा, दिल्ली के साथ ओवरड्राफ्ट (सामान्य)।

1. हम अपने दिनांक 30.03.2023 के पत्र का संदर्भ देते हैं जिसमें ओवरड्राफ्ट (पीएमएमवाई) सुविधा की मंजूरी और मंजूरी की शर्तों के बारे में बताया गया है। उपरोक्त मंजूरी के अनुसार आपने ऋण सुविधा का लाभ उठाया है और इसके लिए प्रतिभूति प्रदान करने के बाद इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आगे बताया गया है। ऋण खातों में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए बनाई गई प्रतिभूति हित निम्नानुसार हैः

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार	सीमा	ब्याज की दर	27.06.2024 तक अनुबंधात्मक बकाये (22.06.2024 तक ब्याज सहित)	रफैसी अधिनियम 2002 के अनुसार प्रतिभूति आस्ति का विवरण जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है
ओवरड्राफ्ट (स्टॉक और बुक डैट का दृष्टिबंधक) 16520400000406	10.00	बीआरएलएलआर+एसपी+2.20 अर्थात 11.60% प्रति वर्ष मासिक चक्रवृद्धि। मूल स्वीकृति के समय। वर्तमान में @11.90% प्रति वर्ष मासिक चक्रवृद्धि।	रु. 10,31,696.46/- (रुपये दस लाख इकतीस हजार छः सौ छियानबे एवं छियालीस पैसे मात्र) तथा 23.06.2024 से भावी ब्याज प्लस डिफॉल्ट की तिथि से 2% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज प्लस एनपीए की तिथि से वसूली तक अन्य शुल्क, लागत और व्यय।	स्टॉक (टेंट सामग्री) का दृष्टिबंधक, व्यवसाय का स्थान : डी-62, गली नं. 3, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 जीएसटी पते के अनुसार : तीसरी मंजिल, 10370ए, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 प्रोपराइटर : श्रीमती सुल्ताना वाया श्री शान मोहम्मद

2. आपने ओवरड्राफ्ट के भुगतान में भी चूक की है जो 17.03.2024 और उसके बाद भुगतान हेतु बकाया है।
3. आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 17.06.2024 को आपकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे बार-बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने अधिबकाया, ऋण तथा उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया।
4. ऊपर पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा आपकी खाता को एक गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित कुल रु. 10,31,696.46/- (रुपये दस लाख इकतीस हजार छः सौ छियानबे एवं छियालीस पैसे मात्र) का पूर्ण भुगतान एवं अपनी देयताओं का निस्तारण करें। हम पुनः आपको सूचित करते हैं कि यदि भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित राशि के भुगतान में आप विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे। कृपया, इसका ध्यान रखें।
5. कृपया ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधा के लिये ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उपचयित होती रहेगी।
6. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) ऊपर पैरा 1 में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण करने से आप वंचित हैं। हम पुनः सूचित करते हैं कि उक्त अनुबंध की धारा 13(13) में शामिल उपरोक्त प्रावधान की अवज्ञा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
7. हम पुनः आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि आप सार्वजनिक नीलामी/ कोटेशन/ निविदा आमंत्रित करने/ निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना के प्रकाशन के बाद आपको प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे लिमिटेशन रहित, हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार सहित हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों को छूट देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

मुख्य प्रबंधक, अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 04.07.2024

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
शकरपुर शाखा, यू-200, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-10092, भारत
फोन : +91 11-22541491, 22540338
ईमेल : shakar@bankofbaroda.com

कर्जदार को सूचना
(सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत)

दिनांक : 27.06.2024

श्रीमती सुल्ताना वाया श्री शान मोहम्मद, तीसरी मंजिल 10370ए, ललितापार्क, लक्ष्मीनगर दिल्ली-110092
श्रीमती सुल्ताना वाया श्री शान मोहम्मद, मैसर्स उमंग टेंट मैन्युफैक्चरिंग, डी 62, गली नंबर 3, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
गारंटरः श्री महबूब पुत्र जसबीर, गांव बिरौंडी ताजपुर, पोस्ट बिरौंडी, बुलंदशहर, उ.प्र.-203203
संदर्भः हमारी शकरपुर शाखा, दिल्ली के साथ कार ऋण।

1. हम अपने पत्र दिनांक 18.08.2023 का उल्लेख करते हैं जिसमें कार ऋण सुविधा की मंजूरी और मंजूरी की शर्तें बताई गई हैं। उपरोक्त मंजूरी के अनुसरण में आपने प्रतिभूति प्रदान करने के बाद क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और उपयोग करना शुरू कर दिया। ऋण खाते में कुल बकाया और ऐसी देयता के लिए सृजित प्रतिभूति हित इस प्रकार हैं-

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार	सीमा	ब्याज की दर (वर्तमान में)	27.06.2024 तक अनुबंधात्मक बकाये (22.06.2024 तक ब्याज सहित)	प्रतिभूति के संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिभूत समझौता
कार ऋण (वाहन का दृष्टिबंधक) 16520600003090	9.75	बीआरएलएलआर+ 0.25%+ 0.25%+0.05% यानी मूल मंजूरी के समय 9.70%. वर्तमान में (मूल मंजूरी के समान) यानी @9.70%	रु. 9,45,895.35/- (नौ लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पंचानबे रुपये और पैंतीस पैसे मात्र) तथा 23.06.2024 से भावी ब्याज प्लस डिफॉल्ट की तिथि से 2% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज प्लस एनपीए की तिथि से वसूली तक अन्य शुल्क, लागत और व्यय।	वाहन (महिंद्रा और महिंद्रा बोलेरो नियो) का दृष्टिबंधक, **रजिस्ट्रेशन नंबरः** DL7CV5914 **इंजन नंबरः** XZP6E49604 **चेसिस नंबरः** MA1NA2XZXP6E97921 श्रीमती सुल्ताना के नाम पर **निवास पताः** तीसरी मंजिल 10 370 ए, ललिता पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092

2. आपने कार ऋण के ब्याज के भुगतान में भी चूक की है जो 10.04.2024 और उसके बाद भुगतान हेतु बकाया है।
3. आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 17.06.2024 को आपकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे बार-बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने अधिबकाया, ऋण तथा उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया।
4. ऊपर पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा आपकी खाता को एक गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित कुल रु. 9,45,895.35/- (नौ लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पंचानबे रुपये और पैंतीस पैसे मात्र) का पूर्ण भुगतान एवं अपनी देयताओं का निस्तारण करें। हम पुनः आपको सूचित करते हैं कि यदि भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित राशि के भुगतान में आप विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे। कृपया, इसका ध्यान रखें।
5. कृपया ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधा के लिये ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उपचयित होती रहेगी।
6. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) ऊपर पैरा 1 में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण करने से आप वंचित हैं। हम पुनः सूचित करते हैं कि उक्त अनुबंध की धारा 13(13) में शामिल उपरोक्त प्रावधान की अवज्ञा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
7. हम पुनः आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि आप सार्वजनिक नीलामी/ कोटेशन/ निविदा आमंत्रित करने/ निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना के प्रकाशन के बाद आपको प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे लिमिटेशन रहित, हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार सहित हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों को छूट देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

मुख्य प्रबंधक, अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 27.06.2024

खबर कोना

प्रज्ञानानंद अंतिम स्थान पर, फिरोजा ने सेंट लुई चरण जीता

सेंट लुई, 17 अगस्त (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ब्लिट्ज वर्ग में बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन इसके बावजूद सेंट लुई रेपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट में अंतिम स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के अंतिम दिन प्रज्ञानानंद के ब्लिट्ज वर्ग में आठ अंक रहे। वह इससे पहले रेपिड वर्ग में चार ही अंक जुटा पाए थे। ग्रैंड शतरंज टूर प्रतियोगिता में प्रज्ञानानंद के कुल 12 अंक रहे। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा ने रेपिड में 11 और ब्लिट्ज में 12 अंक से कुल 23 अंक के साथ खिताब जीता। फिरोजा ने दबदबा बनाते हुए दो दौर शेष रहते ही खिताब अपने नाम कर लिया था।

जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए टीम चीन रवाना

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

भारत ने अगले साल अपनी मेजबानी में होने वाली विश्व जूनियर चैंपियनशिप से पहले खिलाड़ियों का मजबूत पूल तैयार करने के इरादे से चीन के चेंगदू में 20 से 25 अगस्त तक होने वाली बैडमिंटन एशिया (अंडर-15/अंडर-17) जूनियर चैंपियनशिप के लिए 39 सदस्यीय टीम भेजी। बंगलुरु में व्यापक चयन ट्रायल के बाद चुनी गई भारतीय टीम का अंडर-17 वर्ग में नेतृत्व ज्ञान दत्तू और तन्वी रेड्डी एंडलुरी करेंगे जबकि अंडर-15 वर्ग में श्याम बिंदिगनविले और तन्वी पत्री शीर्ष एकल खिलाड़ी होंगे। चेंगदू में ही हुए बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के पिछले सत्र में भारत ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता था।

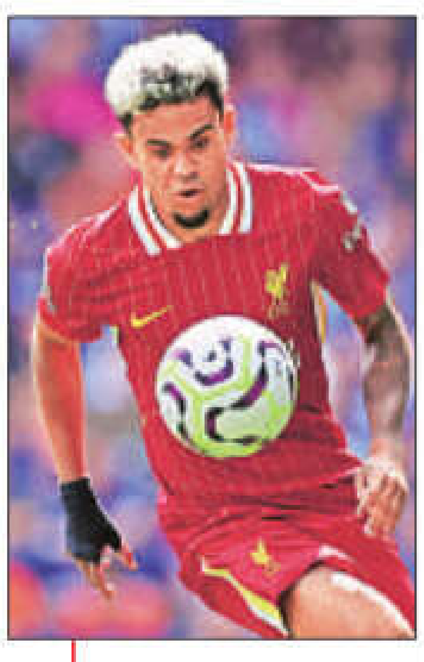

ब्रिटेन : इप्सविच में फुटबाल प्रीमियर लीग के दौरान शनिवार को इप्सविच टाउन के खिलाफ गेंद को गोल की ओर ले जाते लिवरपूल के लुइस डियाज।

विदेशी निशानेबाज पीटर ने कोच पद के लिए किया आवेदन

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

ग्रेट ब्रिटेन के महान डबल ट्रैप निशानेबाज पीटर विल्सन ने भारतीय टीम को कोचिंग देने में रुचि दिखाई है और उनका लक्ष्य 2028 लास एंजिल्स खेलों के लिए निशानेबाजों को प्रशिक्षित करना है। लंदन ओलंपिक 2012 में सबसे कम उम्र के डबल ट्रैप स्वर्ण पदक विजेता बने विल्सन की देख रेख में हाल ही में पेरिस ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन के नाथन हेल्स ने शीर्ष स्थान हासिल कर इस स्पर्धा में अपने देश के 12 साल के पदक के सूखे को खत्म किया था। 37 वर्षीय निशानेबाज के नाम डबल ट्रैप में विश्व कीर्तिमान है। वह क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन स्नो-बोर्डिंग दुर्घटना के बाद उन्होंने निशानेबाजी शुरू कर दी। विल्सन ने इंग्लैंड से शनिवार को एजंसी से बातचीत में कहा कि मैंने अपना 'बायोडाटा' भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) को भेज दिया है और मुझे अब उनके जवाब का इंतजार है। मैं टीम के साथ काम कर उन्हें लास एंजिल्स ओलंपिक और जूनियर टीम को अगले आठ से 12 वर्षों के लिए तैयार करना चाहता हूं।

पर्थ : रग्बी मैच के दौरान आस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के पीटर-स्टीफ डू टोयट गेंद को पकड़ने के लिए संघर्ष करते हुए।

मुकाबला

विरोध के कारण मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का फुटबाल मैच रद्द

कोलकाता, 17 अगस्त (भाषा)।

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच रविवार को यहां साल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले डूरंड कप मैच को शहर में मौजूदा अशांति के कारण रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय कोलकाता पुलिस अधिकारियों और टूर्नामेंट के आयोजकों के बीच एक बैठक के बाद लिया गया।

एक अधिकारी ने जानकारी दी कि दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाएगा, जबकि प्रशंसकों को खरीदे गए टिकटों का पूरा पैसा वापस मिलेगा। यह भी पता चला है कि कोलकाता में होने वाले डूरंड कप के सभी मैच जमशेदपुर में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार है। आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक का शव नौ अगस्त को मिला था, जिसके बाद से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फैन क्लब दोनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद स्टेडियम के पास लगभग एक लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है।

बयान के मुताबिक कि कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले जाने वाले मोहन बागान सुपरजायंट्स और इमामी ईस्ट बंगाल एफसी के ग्रुप ए मैच को रद्द कर दिया गया है।

डूरंड कप

टूर्नामेंट के टिकट साझेदार 'बुकमायशो' के अनुसार मैच रद्द होने के बाद सभी आनलाइन और आफलाइन टिकटों का रुपए प्रशंसकों को वापस कर दिया जाएगा। प्रक्रिया अगले दो दिनों के भीतर अधिसूचित की जाएगी।

दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 239 रनों की बढ़त बनाई

टैस्ट क्रिकेट

प्रोविडेंस, 17 अगस्त (एपी)।

एडेन मार्कराम और काइल वेरेन के अर्धशतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टैस्ट मैच के दूसरे दिन 239 रन की बढ़त हासिल कर ली। अपनी पहली पारी में 160 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 223 रन बनाए हैं।

वेस्ट इंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 144 रन पर आउट हो गई थी। मार्कराम ने 50 रन बनाए जबकि वेरेन 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर वियान मुल्डर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज की तरफ से जेसन होल्डर ने नाबाद 54 रन की पारी खेली। उन्होंने शमर जोसेफ (25) के साथ दसवें विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी करके वेस्ट इंडीज को दक्षिण अफ्रीका के स्कोर के करीब पहुंचाया।

प्रोविडेंस स्टेडियम में शुरुआती दिन 17 और दूसरे दिन आठ विकेट गिरे।

वियान मुल्डर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए चार विकेट लिए। वेस्ट इंडीज की तरफ से पहली पारी में तीन विकेट लेने वाले जेडेन सील्स ने दूसरी पारी में अभी तक 52 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। दोनों टीम के बीच त्रिनिदाद में खेला गया पहला मैच बारिश से प्रभावित रहा था तथा ड्रा समाप्त हुआ था।

हार के बाद अल्करास ने टेनिस रैकेट पर निकाला गुस्सा, पटककर तोड़ा

टेनिस

सिनसिनाटी, 17 अगस्त (एपी)।

चार बार के ग्रैंड स्लैम विजेता कार्लोस अल्करास ने सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में गेल मोनफिल्स से हारने के बाद अपना गुस्सा रैकेट पर निकाला और उसे कई बार नीचे पटककर तोड़ दिया।

मोनफिल्स ने तीन सेट तक चले इस कड़े मुकाबले में 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 से जीत दर्ज की। बारिश के कारण यह मैच गुरुवार को पूरा नहीं हो पाया था। दूसरी वरीयता प्राप्त अल्करास ने मैच के बाद कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे यह मेरे करिअर का अब तक का सबसे खराब मैच था। मैंने वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर रही थी और मैं अच्छा महसूस कर रहा था। मैं इस मैच को भूल जाना चाहता हूं और अमेरिकी ओपन में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं।

यह टूर्नामेंट 26 अगस्त से शुरू होने वाले अमेरिकी ओपन की तैयारी के सिलसिले में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। मोनफिल्स का सफर भी लंबा नहीं चला और शुक्रवार को बाद में खेले गए मैच में वह होल्गर रूण से 3-6, 6-3, 6-4 से हार गए। महिला वर्ग में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने मार्ता कोस्त्युक पर 6-2, 6-2 की शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर्यना सबालेंका भी एलिना स्वितोलिना पर 7-5, 6-2 से जीत के साथ आगे बढ़ने में सफल रही लेकिन विंबलडन में उपविजेता रहीं जैस्मीन पाओलिनी को मीरा एंड्रीवा से हार का सामना करना पड़ा।

पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा

नब्बे मीटर की दूरी हासिल करने का लक्ष्य भगवान पर छोड़ा

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

पेरिस खेलों में नब्बे मीटर के अपने लक्ष्य से मामूली अंतर से चूकने के बाद, दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने इस लक्ष्य को अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है।

नीरज ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में उनके छह प्रयास में से यह इकलौता वैध प्रयास था। लगातार दो ओलंपिक खेलों में पदक जीतना किसी भारतीय एथलीट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन नीरज लगातार दो स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। उनका प्रयास पाकिस्तान के अरशद नदीम के ओलंपिक कीर्तिमान प्रयास से 92.97 मीटर से काफी कम था। नदीम इस दौरान व्यक्तिगत खेलों में पाकिस्तान के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने।

नीरज ने निकट भविष्य में अपने 90 मीटर के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अब लगता है कि इस तरह के लक्ष्य को 'ऊपरवाले' पर छोड़ना होगा। उन्होंने शनिवार को आयोजित आनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं बस अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि भाला कहां तक जाता है। 90 मीटर के बारे में पहले ही बात हो चुकी है, अब मुझे लगता है कि इसे रहने दो। पेरिस में मुझे लगा था कि यह होगा और यह हो सकता था। अब मैं अगले दो या तीन प्रतियोगिताओं में अपना सौ फीसद दूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। इस दौरान मैं अपनी खामियों को सुधारने पर काम करूंगा। नीरज लंबे समय से कमर की चोट से परेशान हैं लेकिन 22 अगस्त को होने वाले डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे और फिर ब्रुसेल्स में 13-14 सितंबर को डायमंड लीग फाइनल में भाग लेने के बाद चिकित्सकों से परामर्श लेंगे। नीरज ने स्विट्जरलैंड में अभ्यास शुरू कर दिया है और चोट के बावजूद सत्र को शानदार ढंग से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नीरज ने कहा कि उन्हें अपने खेल में थोड़ी तकनीकी बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि पेरिस में आर्क स्पीड अच्छी थी लेकिन लाइन सही नहीं हो पा रही थी, अगर यह सीधी होती तो मैं इससे दो तीन मीटर दूर निकल सकता था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अरशद के थ्रो से बेहतर नहीं किया जा सकता। मेरा दिमाग तैयार था लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था।

भाला फेंक स्पर्धा

नीरज ने कहा कि जब मैं भाले के साथ दौड़ता हूं तो क्रास स्टेप लेने पर कमर पर भी काफी दबाव पड़ता है। लेकिन अभी मैं अपनी तकनीक में बदलाव नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा मेरी भाले की लाइन भी सही नहीं थी।

लुसाने डाइमंड लीग में हिस्सा लेने की पुष्टि

भारत के दोहरे ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शनिवार को 22 अगस्त को लुसाने में होने वाली आगामी डाइमंड लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की पुष्टि की। लंबे समय से ग्रोइन की चोट से परेशान नीरज ने हाल में संपन्न पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तीन साल पहले उन्होंने तोक्यो खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

जीव मिल्खा सिंह जांबिया लीजेंड्स में संयुक्त 19वें स्थान पर

महिला स्काटिश ओपन में कट से चूकीं अदिति

इर्विन, 17 अगस्त (भाषा)।

भारतीय गोल्फर अदिति अशोक दूसरे दौर में तीन ओवर 75 के लचर प्रदर्शन के साथ आइएसपीएस हांडा महिला स्काटिश ओपन टूर्नामेंट में कट हासिल करने में नाकाम रहीं। लेडीज यूरोपीय टूर पर पांच बार की विजेता अदिति ने पहले दौर में 81 का स्कोर बनाया था।

अदिति ने दूसरे दौर में एक बोगी और एक डबल बोगी की जिसका उनका स्कोर तीन ओवर रहा। वह दोनों दौर में एक भी बर्डी नहीं लगा पाईं। अदिति स्काटिश ओपन में आठ बार हिस्सा लेते हुए छह बार कट से चूकीं हैं, जबकि इस टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 में आया जब वह संयुक्त रूप से 55वें स्थान पर रहीं। आस्ट्रेलिया की मिनजी ली (तीन अंडर 69) और मेगान खेंग आठ अंडर के कुल स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर चल रही हैं।

गोल्फ

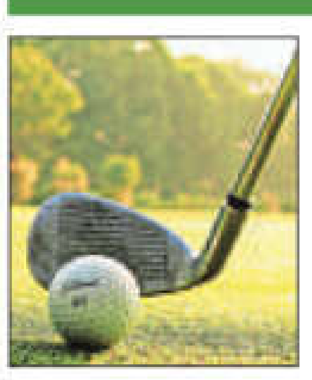

लाहिड़ी लिव ग्रीनबियर में संयुक्त 38वें स्थान पर

अमेरिका में भारत के अनिर्बान लाहिड़ी लिव गोल्फ ग्रीनबियर के शुरुआती दौर में पार 70 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 38वें स्थान पर है। लाहिड़ी ने इस 54 होल की स्पर्धा के पहले दिन एक बोगी और एक बर्डी लगाई। पिछले साल के व्यक्तिगत चैम्पियन टेलोर गूच 54 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में बोगी रहित सात अंडर 63 के स्कोर के साथ तालिका में शीर्ष पर है।

जीव जांबिया गोल्फ लीजेंड्स में संयुक्त 19वें स्थान पर : लुसाका में भारत के जीव मिल्खा सिंह जांबिया गोल्फ लीजेंड्स के पहले दौर में 72 के स्कोर से संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर हैं।

भारत में अगले हफ्ते लीजेंड्स टूर प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले जीव ने एक बर्डी और एक बोगी की, जिससे उन्होंने पार का स्कोर बनाया। साइमन खान ने पहले दौर में छह अंडर 66 के स्कोर के साथ बढ़त बना ली है और वह लीजेंड्स टूर पर पहली जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं।

फीफा अंडर-17 महिला विश्व में रियोहलांग सहायक रैफरी नियुक्त

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

रियोहलांग धर डोमीनिकन गणराज्य में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला सहायक रैफरी बन गई हैं। मेघालय की 34 वर्षीय रियोहलांग को शुक्रवार को फीफा ने 38 मैच अधिकारियों की सूची में शामिल किया जो 10 अक्तूबर से तीन नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में अधिकारी की भूमिका में मौजूद रहेंगी।

उवेना फर्नांडिस विश्व कप में अधिकारी की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला सहायक रैफरी हैं। उवेना ने जोर्डन में 2016 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में जिम्मेदारी निभाई थी। मेघालय पुलिस विभाग में काम करने वाली रियोहलांग ने कहा, 'विश्व कप के लिए मेरी नियुक्ति बहुत सम्मान की बात है।' सहायक रेफरी ने कहा कि मुझे फीफा की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं यह भी ध्यान रखूंगी कि मैं वहां भारत के प्रतिनिधि के तौर पर रहूंगी। मैं भारत का झंडा ऊंचा रखने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी।

फुटबाल

रियोहलांग ने कहा कि फुटबाल खेलना बंद करने के बाद मैं रैफरी पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई और यह मुझे दिलचस्प लगा क्योंकि इससे मैं उस खेल से जुड़ी रही जिसे मैं बेहद प्यार करती हूं।

पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा आयोजन | पैरालंपिक | भारत के 84 खिलाड़ी 12 खेलों में दिखाएंगे दम

प्रमोद का बाहर होना निराशाजनक : देवेंद्र झाझरिया

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)।

भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआइ) के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का भारतीय दल से बाहर होना निराशाजनक है।

पेरिस पैरालंपिक का आयोजन 28 अगस्त से आठ सितंबर तक होगा। इसमें भारत के 84 खिलाड़ी 12 खेलों में पदक के लिए जोर लगाएंगे। तोक्यो खेलों के स्वर्ण पदक विजेता (पुरुष एकल एलएल तीन वर्ग) पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को बीडब्लूएफ के डोपिंग निरोधक 'वेयरअबाउट' (ठिकाने का पता) नियम के उल्लंघन के कारण 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल के विदाई समारोह के इतर झाझरिया ने प्रमोद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस तरह के मामले से निपटने की पूरी जिम्मेदारी खुद खिलाड़ी की होती है। उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं की प्रमोद भगत हमारे स्टार एथलीट और तोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं लेकिन मैंने 25 पदक का जो लक्ष्य बनाया है वह हमारे मौजूदा 84 खिलाड़ियों के दल से है। इसमें प्रमोद भगत शामिल नहीं है। बीडब्लूएफ ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा था कि बैडमिंटन विश्व महासंघ इसकी पुष्टि करता है कि भारत के तोक्यो 2020 पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित किया गया है और वह पेरिस पैरालंपिक नहीं खेलेंगे। इसमें कहा गया कि एक मार्च 2024 को खेल पंचाट (सीएएस) डोपिंग निरोधक प्रभाग ने भगत को बीडब्लूएफ के डोपिंग निरोधक नियम के उल्लंघन का दोषी पाया। वह एक साल में तीन बार अपना ठिकाना बताने में नाकाम रहे थे।

छत्तीस वर्ष के एसएल3 खिलाड़ी भगत ने सीएएस (खेल पंचाट) के अपील विभाग में इस फैसले को चुनौती दी थी, जो पिछले महीने खारिज हो गई। झाझरिया ने कहा कि प्रमोद की देश के लिए उपलब्धि काफी बड़ी है लेकिन खेल के जो नियम-कानून है उन्हें खिलाड़ी को किसी भी हालत में पूरा करना होता है। पैरालंपिक खेलों में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने वाले झाझरिया ने कहा कि प्रमोद का भारतीय दल में नहीं होना एक झटका है, क्योंकि उन्होंने देश को पैरालंपिक का शीर्ष पदक दिलाया था।

तोक्यो पैरालंपिक में 56 खिलाड़ी थे, इस बार 84 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। खिलाड़ी पहली बार ब्लाइंड (दृष्टिबाधित) जूडो, पैरा नौकायन और पैरा साइकिलिंग में चुनौती पेश करेंगे।

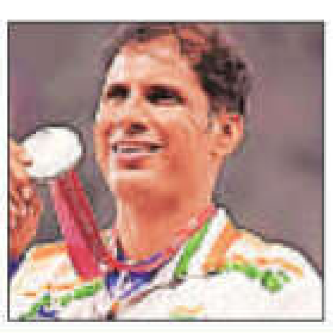

झाझरिया ने कहा कि हर खिलाड़ी पदक जीतने का दावेदार है, हमारा सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में है और मुझे सबसे ज्यादा पदक की उम्मीद इसी से है। 47 खिलाड़ी पहली बार पैरालंपिक में खेलेंगे।

'खेलों की शक्ति का उपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए'

ढाका, 17 अगस्त (भाषा)।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने शनिवार को कहा कि खेलों की शक्ति का उपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जैसा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान किया गया है।

पेरिस 2024 और साझेदारों ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से एक जिम्मेदार प्रतियोगिता बनाने का निर्णय लिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने कहा, 'मैं खेलों की शक्ति का उपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा हूं। मुझे खुशी है कि पेरिस ओलंपिक 2024 ने इस पर ध्यान दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 के साथ हमने ओलंपिक की एक नई अवधारणा बनाई 'सामाजिक व्यवसाय ओलंपिक।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 41, अंक 274

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,

बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com